श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या आप सदन को इस तरह से चलाना चाहते हैं ?

(*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. All of you please sit down. The Minister wants to say something. Please allow him to have his say.

(*Interruptions*).

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: Mr. Deputy-Speaker, Sir, this Motion is very important and, therefore, I do not want that there should be two opinions or controversy about it. Since we have got majority discussion on Bearer Bonds could have continued and voting would have taken place. But I do not want it. The issue is important and you can postpone the discussion and take up the Motion on Gujarat.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now the House will take discussion on the Motion on Gujarat. Shri Ram Vilas Paswan. . . . .

16.08 hrs.

MOTION *RE.* SITUATION ARISING OUT OF AGITATION AND DEMONSTRATIONS RE-RESERVATION OF JOBS FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं : —

> "कि यह सभा गुजरात, राजस्थान, और देश के अन्य भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए नौकरियों के आरक्षण के विरुद्ध आन्दोलन और हिंसात्मक प्रदर्शनों से उत्पन्न स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करती है ।"

उपाध्यक्षजी, . . . (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर): यह पता लग रहा है कि लोगों को इस से कितनी हमदर्दी है।

एक माननीय सदस्य: हमको बहुत हमदर्दी है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: आपको हम से ज्यादा नहीं होगी।

श्री राम विलास पासवान: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन काफी चर्चा हुई, मैं चाहूंगा कि आज जो चर्चा हो, उसमें कोई नतीजा निकले और हम लोग शान्तिपूर्ण ढंग से समस्या के समाधान के लिए क्या रास्ता निकाला जा सकता है, इस पर विचार करें। सरकार से भी आग्रह है कि इस विषय को वह गंभीरता से ले और सरकार और गृह मंत्री महोदय द्वारा जो कुछ कहा जाए, वह बड़ी गंभीरता से कहा जाए। यह नहीं होना चाहिए कि 193 के तहत मौका मिल जाए और दूसरे दिन अखबारों में आ जाए कि गृह मंत्री महोदय ने यह कहा और फिर इसके बाद फिर मर्ज बढ़ता ही जाए और हाउस में हंगामा हो कि इस पर फिर डिस्कशन होना चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार बहुत ही गंभीरता से जवाब दे और गंभीरता से इस विषय को ले।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ, जितने भी माननीय सदस्य यहां पर हैं, उन्हें मालूम है कि उस समय अंग्रेजों द्वारा "डिवाइड एण्ड रूल" की पालिसी चलाई गई थी। उस समय अंग्रेजों द्वार कमजोर वर्गों के दिमाग में यह चीज भर दी गई थी, हरिजन-आदिवासी और दलित वर्गों के लोगों के दिमाग में यह चीज बैठाने की कोशिश की गई थी कि यह देश तुम्हारा नहीं है और अगर तुम इस देश में रहोगे तो तुम्हारे जान-माल की सुरक्षा नहीं रहेगी । इसलिए तुम इस देश से अलग हो जाओ। आपको मालूम है कि उस समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि महात्मा गांधी जी को आमरण अनशन पर जाना पड़ा था और उन्होंने पूरे हिन्दुस्तान की जनता की तरफ से, हिन्दुओं और सवर्णों की तरफ से अछूतों को विश्वास दिलाया था कि तुम्हारे अधिकार सुरक्षित हैं और इस देश में तुम्हें समान अधिकार दिए जाएंगे। हरिजन-आदिवासी, अल्प संख्यकों और कमजोर वर्गों के लोगों को पूरे अधिकार रहेंगे और उपाध्यक्ष महोदय, यही कारण है जो हरिजन-आदिवासी और कमजोर वर्गों के अधिकारों को न सिर्फ कांस्टीट्यूशन में

रखा गया बल्कि इन्हें मौलिक अधिकारों में भी रखा गया । आप मौलिक अधिकारों में कांस्टीट्यूशन की धारा 15(4) में देखिए, जिसमें कहा गया है कि---

Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

इतना नहीं, आगे 16(4) में पढ़िए--

Nothing in this Article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State is not adequately represented in the services under the State.

छुआछूत की भावना के संबंध में डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी में ही नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों में भी लिखा गया है कि:---

'Untouchability' is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of 'untouchability' shall be an offence punishable in accordance with law.

उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी चीजें कांस्टीट्यूशन में कही गई हैं । इसके बाद आप देखिए क्लाज 46 में कहा गया है कि---

The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.

16.14 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी चीजें कांस्टीट्यूशन में इसलिए कही गयी थी कि जो करोड़ों लोग सदियों से शोषित रहे, पीड़ित रहे, जिनके साथ अन्याय होता रहा था, उनको विश्वास दिलाया जा सके कि हिन्दुस्तान तुम्हारा है । तुम्हारा भी इस देश पर अधिकार है । अब तुम्हारे साथ अन्याय नहीं किया जा सकेगा और तुम्हारा शोषण नहीं किया जा सकेगा । तुम्हारा उत्पीड़न अब नहीं होगा । हम देख रहे हैं कि आजादी के 32 वर्ष के बाद भी जब हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है तो यह मामला भी उसके साथ साथ चल रहा है, गुजरात का आन्दोलन भी चल रहा है और हरिजनों, आदिवासियों और कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर न केवल अत्याचार बल्कि घिनौने अत्याचार हो रहे हैं और इस तरह के अत्याचार की मिसाल आपको संसार के किसी अन्य देश में सुनने या देखने को नहीं मिलती है। जो गारंटी संविधान में हम लोगों को दी गई थी क्या देश की राज नेताओं द्वारा उसका इम्प्लीमेंटेशन सही रूप में हो रहा है या फिर हम पुनः पीछे की ओर जा रहे हैं, यह सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। बहुत ही खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे यहां महाराष्ट्र के लोग आए हुए हैं, गुजरात के लोग आए हुए हैं और यह कहा जा रहा है कि होली के दिन प्लान बन रहा है और खून की होली खेली जाएगी, हरिजन परिवारों में से एक एक हरिजन को उसी दिन मार दिया जाएगा । इसको आप कल्पना मात्र न समझें । उस दिन भी मैंने गृह मंत्री जी से कहा था और उनके नालेज में मैं इसको लाना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि हमारे यहां भी सारी तैयारियां रिजर्वेशन के खिलाफ चल रही हैं। जब इस तरह की बात आजादी के 32 साल के बाद भी देखने और सुनने को मिलती है तो हमें समझ नहीं आता कि हम लोग कहां हैं । गाड़ी में गार्ड होता है जिस के हाथ में हरी और लाल दोनों प्रकार की झंडियां होती हैं और जब वह हरी झंडी दिखाता है तो गाड़ी चल जाती है और जब लाल दिखाता है तो गाड़ी रूक जाती है। उसी तरह से हम लोग भी एक डिब्बे में सवार हैं और हरी और लाल झंडी दिखाई जाती है और कभी गाड़ी रूक जाती है और कभी चलने लग जाती है । यह मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इसको वह गंम्भीरता से लें ।

हमारे खिलाफ तर्क दिया जाता है कि इनके पास कार्य क्षमता नहीं है,

[श्री राम विलास पासवान]

ये योग्य नहीं हैं । मुझे बड़े अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ती है । प्रधान मंत्री जी ने उस दिन राज्य सभा में एक जवाब दिया था जिस के सम्बन्ध में हमारे एक साथी ने सवाल उठाया था और गृह मंत्री जी ने सफाई दी थी तब हम लोगों को लग भी रहा था कि प्रधान मंत्री का उस में कोई बुरा इंटेंशन नहीं है और प्रधान मंत्री जी सही रूप में चाहती हैं कि हरिजनों, आदिवासियों और कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याओं का समाधान हो । लेकिन प्रधान मंत्री जी ने जो वक्तव्य लायर्ज कान्फ्रेंस में दिया उस का कुछ अंश पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूं । मैं पूछना चाहता हूं कि दोनों चीजों को एक साथ कैसे ले कर चला जा सकता है :

"Mrs. Gandhi today held at the same time that because of this policy, genuine merit should not suffer".

इसके बाद स्टेट्समैन कहता है :

"Mrs. Gandhi's remark made at a meeting of the Congress(I) Parliamentary Party lawyer members was the first indication of a certain change and modification of the Government line held out so far that the policy of reservations is not negotiable."

देश विषम परिस्थिति में से हो कर गुजर रहा है । हम देख रहे हैं कि एक गलती हुई है जिस के कारण यह सारा वितंडावाद चल रहा है । एक बार नैगोशिएशन हुआ है और उस के कारण यह सारा कुछ हो रहा है । रोज अखबारों में दिया जा रहा है कि हम मैरिट का आदर करेंगे, कार्यक्षमता का ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ हरिजनों, आदिवासियों का रिजर्वेशन भी जारी रखेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह की बात कहने की जरूरत क्यों महसूस होती है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पुराना स्टैंड आपका है उससे आप पीछे तो नहीं जा रहे हैं ? कहीं आन्दोलनकारियों के आगे आप झुक तो नहीं रहे हैं ? कहीं आपके सामने दुविधाग्रस्त स्थिति तो पैदा नहीं होने लगी है ? इसको आप स्पष्ट करें ।

आज भी आप कहते हैं कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और माइनोरिटी के लोग योग्य नहीं हो पाए हैं । मैंने उस दिन भी कहा था कि देश को चलाने का मौका आप हमें दें, फिर आप देखें कि देश चलता है या नहीं ? अगर आप हमें सर्विस में लेते हैं तो कोई उपकार आप हम पर नहीं करते हैं । एक आदमी सरकारी नौकरी में चला जाता है तो कोई करोड़पति नहीं हो जाता है । सरकारी नौकरी में उसको आप इसलिए रखते हैं कि वह भी समझे कि इस देश में मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी भाग है । देश में ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं तो क्या ये रिजर्वेशन की वजह से होते हैं या डाक्टर से किसी के पेट में कैंची छूट जाती है तो यह रिजर्वेशन वालों की वजह से छूटती है ? आज भी लाखों रुपया ले कर मैडीकल में एडमिशन मिलता है । शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज कमिशन की रिपोर्ट को आप पढ़ें । बंगलौर में दो दो तीन तीन लाख रुपया ले कर लड़के को मैडीकल में दाखिला दिया जाता है । और वह जा कर के डाक्टर बनता है । तो दो लाख रुपये दे कर मेडिकल में 30 परसेंट वाला भी डाक्टर बन जाये उससे राष्ट्र को खतरा नहीं है । लेकिन हमारा 45 परसेंट मार्क वाला बच्चा डाक्टर बन जाये, हाउस सर्जनशिप भी कर ले, आई० ए० एस० में कम्पीट करके आ जाये और मसूरी में ट्रेनिंग भी ले ले फिर भी वह अक्षम हो जाता है । लेकिन जो लाख लाख रुपये दे कर डाक्टर बनता है

वह मेरिटोरियस हो जाता है। मैंने उस दिन भी कहा था जब अंग्रेज लोग यहां थे तो हम लोग पुलिस इंस्पेक्टरी के लिये भी योग्य नहीं माने जाते थे। लेकिन अंग्रेजों के हटते ही हम लोग रातों रात योग्य हो गये। इसलिये जो कार्यक्षमता का तर्क दिया जाता है उसको आप हटा दें। हम लोग घूमने जाते हैं तो देखते हैं कि एक शैड्यूल्ड कास्ट अफसर है, उसको आचरण पुस्तिका में लिखा रहा होगा रिमार्क्स कालम में कि गुड, रिलेशनशिप हायर अफसरों के साथ गुड, लेकिन फिट फौर प्रोमोशन के लिए लिखा होगा नहीं। मतलब यह कि सब चीज गुड है लेकिन प्रोमोशन के लिये फिट नहीं है। तो यह सारी चीजें आज चल रही हैं तो सर्वथा अनुचित है।

मैं एक केस देख रहा था, जब गृह मंत्री जो बोलेंगे जो जवाब देंगे, हीरा लाल बनाम स्टेट आफ पंजाब, 1970, इसमें साफ तौर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं आप मार्ग में बाधक नहीं है। लेकिन जब नीयत साफ नहीं रहती है तो नीति के चक्कर में उलझ जाते हैं। एक उदाहरण देता हूं, हमारे बिहार के माननीय चन्द्रशेखर और सतीश जो जानते हैं कि मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में प्रीमेडिकल टेस्ट हुआ और उसमें जितने छोटी जाति के लोग थे सब को फेल कर दिया गया। विद्यार्थियों ने वी० सी० का घेराव किया और मांग की कि फिर से कापियां जांची जायें। जब उनकी जांच की गई तो विद्यार्थी फेल थे वह पास कर गये और जो पास थे वह फेल कर गये। जहां से हम जन्म लेते हैं वहीं से हमारे संस्कारों को दबाया जाता है। स्कूलों में हमारे लिये चटाई की व्यवस्था नहीं होती और दूसरी तरफ अमीरों के बच्चों के पढ़ने के लिये एयरकंडीशन्ड मकान है। फर्स्ट क्लास मेरिटोरियस विद्यार्थी को फेल किया जायेगा और थर्ड क्लास ले लिया जायेगा। और आप हमेशा कहते हो कि मेरिट को इग्नोर नहीं किया जायेगा। बिहार में मिथिला विश्वविद्यालय है वहां की कापियां यदि बाहर भेज दी जाती हैं तो सेन्ट परसेंट हरिजन बच्चे पास कर दिये जाते है, लेकिन जब मिथिला विश्वविद्यालय में ही कापी जांची जायें तो उच्च जाति के बच्चे ही पास होते हैं। अब यह सारी बातें चलती हैं तो कैसे हम विश्वास कर लें कि गरीबों के साथ न्याय होगा? हमें याद पड़ता है, मेरिटोरियस का क्या मतलब है? एकलव्य में क्या किसी से कम योग्यता थी? लेकिन उसका अंगूठा काट दिया गया। इसी तरह शंबूक की गर्दन काट दी गई क्योंकि वह तथाकथित छोटी जाति के थे। हमारा कहना है कि आज भी हमारे पास कार्यक्षमता है, लेकिन उसकी कहीं पूछ नहीं है। जो हजारों साल से राजा रानी का देश रहा है, जो जातिगत व्यवस्था रही है उस का कारण है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश सब से ज्यादा दिन तक गुलाम रहा। सोमनाथ मन्दिर पर जब चढ़ाई होती है तो उच्च जाति वालों की फौज को वापस भेज दिया गया यह कह कर कि जो सारे संसार की रक्षा भगवान करता है उसका मन्दिर कौन गिरा सकता है। नतीजा हम सब को मालूम है कि विदेशी मन्दिर को लूट कर चला गया। जहां एक प्रतिशत लोगों को अधिकार दिया गया हो कि देश की रक्षा करें, किताबें लिखें और हमको पांव दबाने के लिये ही कहा गया हो वहां कैसे समता आ सकती है। और आज 5,000 वर्ष के बाद आप सोचते हों कि हमारे बच्चे मेरिटोरियस हैं कि नहीं।

[श्री राम विलास पासवान]

उसके बाद भी जब हम तैयार हैं, लाइन में आने के लिए खड़े होते हैं तो भी हमारे सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इसलिए मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि इसको देखिये।

दूसरा तर्क दिया जाता है कि आर्थिक पिछड़ापन है। आज तक हमारे दिमाग में यह बात नहीं आई कि यह क्या है? जो लोग यह तर्क देते हैं वह कुतर्क देते हैं। उनके दिमाग में कहीं न कहीं यह घुसता है, वह चाहते हैं कि रिजर्वेशन की पालिसी पर सीधे कुठाराघात न कर के इन-डायरेक्टली चोट करें।

बिहार में रिजर्वेशन किया गया था और वह आर्थिक आधार पर था। 20 परसेंट पिछड़े वर्ग के लिये रिजर्वेशन किया गया था। अगर हम गलत बोलते हैं तो मंत्री जी इसको दिखवा लें। इस 20 परसेंट में 14 सीटें, 60 परसेंट के हिसाब से एनेक्शचर 1 में है कि लोहार, कुम्हार, नाई, बढ़ई के लिये रिजर्व की गई थी। 6 सीटें बची 40 परसेंट उसमें दिया गया कि बैकवर्ड क्लासेज को देंगे जिनकी आमदनी 1 हजार रुपये से कम थी। 20 परसेंट ऐसे चला गया। 3 परसेंट दिया गया महिलाओं के लिये अदर दैन बैकवर्ड। 3 परसेंट दिया गया था उनके लिये जो आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब हैं। उसके बावजूद क्या वहां गोली नहीं चली और दूसरी चीजें नहीं हुईं?

वही चीज आज गुजरात में हो रही है। इसलिये जो तर्क देते हैं आर्थिक पिछड़ेपन का, तो यह क्या है, हमको आज तक समझ में नहीं आया। एक गरीब आदमी झोपड़ी में पैदा होता है और एक दूसरा आदमी राजमहल में पैदा होता है। दोनों में सारी चीजों में जमीन-आसमान का फर्क होता है। आर्थिक दृष्टि से क्या कहते हैं? जितने एम. पी. आये हैं एक पीढ़ी में किसी का सुधार नहीं होता है। आज आप होम मिनिस्टर हैं, आपका लड़का आई. ए. एस. बनेगा, लेकिन आप पहली पीढ़ी में आई. ए. एस नहीं बन सकते सकते थे। जिसके पेट में अन्न पड़ता है, जिसके दिमाग में बुद्धि रहती है, उनका जेनरेशन आगे बढ़ता है। आप कोई बतावें कि झोपड़ी में पैदा हुआ हो और आई. ए. एस. हो गया हो। यह अपवाद है। होता क्या है? जब आप इकनामिकली साउंड हो जाते हैं आपके पेट में अन्न आता है, बच्चा पढ़नेलिखने जाता है, जाकर नौकरी करता है, सर्विस में कम्पीट करता है तब जाकर मैं समझता हूं कि वह डाक्टर बनता है।

लेकिन यहां तर्क दिया जाता है कि रिजर्वेशन के नाम पर यहां जगजीवन राम जी हैं, रिजर्वेशन के नाम पर आई. ए. एस. अफसर भी हैं। मैं कहता हूं कि आप परसेंटेज देखिये उसमें आपकी कितनी है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की।

1979 में अनुसूचित जाति के प्रथम श्रेणी में 4.70 हैं, द्वितीय श्रेणी में 7.37 हैं और तृतीय श्रेणी में 12.55 और चतुर्थ श्रेणी में 19.32 परसेंट हैं। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति का है, कार्तिक ओरांव जी आप देखिये। 1979 में प्रथम श्रेणी में 0.94 परसेंट द्वितीय में 1.03 परसेंट, तृतीय श्रेणी में 3.11 परसेंट और चतुर्थ श्रेणी में 5.19 परसेंट है। चतुर्थ श्रेणी के लिए भी सूटेबल नहीं है। यह 1979 के आंकड़े हैं।

अब 1974 के आंकड़े भी देख लीजिये। अनुसूचित जाति का प्रथम श्रेणी का 3.25 परसेंट, द्वितीय श्रेणी का 4.59 परसेंट, कितना कछुवे की चाल से आगे बढ़ रहे हैं, यह देखिये। 6 साल के बाद द्वितीय श्रेणी में 4.59 परसेंट, तृतीय श्रेणी में 10.33 परसेंट और चतुर्थ श्रेणी में 18.53 परसेंट। इसी तरह अनुसूचित जनजाति का देखिये। 1974 में इसका प्रथम श्रेणी में 0.57 परसेंट, द्वितीय श्रेणी में 0.49 परसेंट, तृतीय श्रेणी में 2.13 परसेंट और चतुर्थ श्रेणी में 3.84 परसेंट। हमने आपको कहा कि हमारी नियत साफ नहीं है। अगर हमारी नियत साफ रहती तो यह सारा बैकलाग नहीं रहता। यह कभी का पूरा हो गया होता। लेकिन हमारा जो अफसर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वह यह सोचता रहता है, खोजता रहता है इन शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को कैसे खोजें कि ये अन-सूटेबल हैं।

मैंने पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन किया, रेल मंत्रालय से जवाब आया। झांझा में टेंडर के लिए एप्लाई किया गया। मेरे क्वेश्चन के जवाब में आया कि शिड्यूल्ड कास्ट्स भी एक को-आपरेटिव सोसाइटी है, जवाब में आया कि उसका सबसे कम टेंडर है, लेकिन उनको एक्सपीरिएंस नहीं है इसलिये एक बाबू से एक लाख रुपया लेकर ठेका दे दिया गया।

सभापति महोदय: आपका समय हो गया है।

श्री राम विलास पासवान: मैं कोई इर्रलेवेन्ट तो नहीं बोल रहा हूं।

जहां तक पब्लिक सैक्टर का सम्बन्ध है, अधिकारी श्रेणी में राष्ट्रीयकृत बैंकों में शिड्यूल्ड कास्ट्स 2.44 परसेंट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज 0.42 परसेंट, स्टेट बैंक में शिड्यूल्ड कास्ट्स 1.39 परसेंट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज 0.25 परसेंट, रिजर्व बैंक में शिड्यूल्ड कास्ट्स 2.82 परसेंट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज 0.32 परसेंट, औद्योगिक विकास बैंक में शिड्यूल्ड कास्ट्स 1.69 परसेंट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का एक भी नहीं, औद्योगिक वित्त निगम में शिड्यूल्ड कास्ट्स 3.05 परसेंट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का एक भी नहीं, औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम में शिड्यूल्ड कास्ट्स 2.72 परसेंट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज 0.28 परसेंट है। मैं कहना चाहता हूं कि यह जलन की राजनीति है। ये जो आर्थिक आधार और मैरिट आदि के तर्क दिये जाते हैं, वे सब जलन के पेट से निकले हुए हैं।

यह सारा हंगामा डाक्टरों को ले कर चल रहा है। जो लोग डाक्टरी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स 5.3 परसेंट है। नर्सों में शिड्यूल्ड कास्ट्स 4.08 परसेंट हैं।

गुजरात में जहां यह आंदोलन चल रहा है, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए रिजर्वेशन 7 परसेंट और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए 14 परसेंट है, लेकिन वहां प्रथम श्रेणी में शिड्यूल्ड कास्ट्स 4.05 परसेंट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज 2.03 परसेंट, द्वितीय श्रेणी में शिड्यूल्ड कास्ट्स 5.09 परसेंट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज 3.02 परसेंट हैं।

हरियाणा में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए रिजर्वेशन 20 परसेंट है। वहां शिड्यूल्ड ट्राइब्ज नहीं हैं। वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स प्रथम श्रेणी में 3.4 परसेंट, द्वितीय श्रेणी में 3.9 परसेंट और तृतीय श्रेणी में 7.5 परसेंट हैं।

केरल में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए 8 परसेंट रिजर्वेशन है, लेकिन वे प्रथम श्रेणी में 1.71 परसेंट, द्वितीय श्रेणी में 3.47 परसेंट और तृतीय श्रेणी में 3.95 परसेंट है।

मेरे पास सब स्टेट्स के आंकड़े हैं। सब जगह यही स्थिति है।

मैं श्री मकवाना का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों को न्यायालय से जस्टिस, न्याय मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में 16 जज हैं, मगर उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स का एक भी नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : अब हो गया है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह): एक है।

श्री बूटा सिंह : पहली बार—श्रीमती इंदिरा गांधी की कृपा से।

श्री राम विलास पासवान : क्या आप उसी पर संन्तोष कर लेंगे? जो कुछ आपने दे दिया है, उसको उपकार न समझिए।

देश के हाई कोर्ट्स में 355 जज हैं। उन में शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का एक भी नहीं है और शिड्यूल्ड कास्ट्स के केवल 5 हैं। जहां से न्याय की गंगा निकलती है, वहीं अन्याय है। तो फिर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग कहां जायें?

नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 में बनाया गया। उसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों द्वारा किये गये मामलों की संख्या 5325 थी। उनमें से 3991 मामले अनिर्णीत पड़े हुए हैं। जिन मामलों का फैसला हो चुका है, उनमें 1136 दोषमुक्त हुए और केवल 198 दोषसिद्ध हुए। इसका मतलब यह है कि हरिजनों द्वारा जो 5325 मामले दिये गये, उनमें से केवल 198 मामलों में अभियुक्तों को दोषी पाया गया।

[श्री राम विलास पासवान]

आज गुजरात में पुलिस के सामने ही क्या होता है? हरिजनों की हत्या होती है, उनके लड़कों को मारा जाता है। अगर कोई थाने में जाए, तो केस दर्ज नहीं किया जाता है। अगर गृह मंत्री इतने दिनों में कम से कम वहां की लोकल पुलिस को हटवा देते और अपने दहा की पुलिस को भेज देते, तो वह दर्जनों हरिजनों की रक्षा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

आज सारे देश में भीतर ही भीतर एक चिनगारी सुलग रही है, जिससे सभी पक्षों के लोग चिन्तित हैं। जब मैं ऊंची जाति की बात कहता हूं, तो मैं यह नहीं कहता हूं कि ऊंची जाति के लोग हमारे दुश्मन हैं। मैं तो यह कहता हूं कि ऊंची जाति के लोग भी यदि देश के नक्शे को सामने रखकर देखेंगे कि देश कैसे बनेगा तो वह कहेंगे कि हम खाद बनेंगे और हरिजन-आदिवासी लोगों को बीज बनने दो। वह भी यही कहेंगे। लेकिन जब वह देखेंगे कि हम को नौकरी मिल रही है या नहीं, तो उस परिस्थिति में वह कहेंगे कि हमारा हक मारा जा रहा है। लेकिन देश के नक्शे को सामने रखेंगे तो समझेंगे कि देश बनाने का यही एकमात्र तरीका है, इसी से देश आगे बढ सकता है, हरिजन और आदिवासियों के हक को छीन कर नहीं।

यह जो आज हो रहा है यह क्यों हो रहा है-- इसलिए कि आज हरिजन के पास में जमीन नहीं है। 1961 की जो फिगर है, आप शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेडयूल्ड ट्राइब्ज कमीश्नर की रिपोर्ट को देखें, शेड्यूल्ड कास्ट 345 लैंडलेस थे 1 हजार में लेकिन आज बढ कर 518 लैंडलेस हो गये हैं। उस समय शेड्यूल्ड ट्राइब्ज 197 लैंडलेस थे लेकिन आज बढ कर 320 लैंडलेस हो गए हैं। यह आप की रिपोर्ट में है। शेड्यूल्ड कास्ट के किसान थे 378 जो आज 279 बच गए हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के किसान 681 थे जो आज घट कर 573 हो गए हैं। यह इसलिए, कि जमीन पर सब जगह लागू है कि सिंचित जमीन हो तो अब जमीन पर सब को रोजगार मिल नहीं रहा है। नतीजा यह होता है कि दस पोस्ट्स निकलती हैं तो उस दस पोस्ट के लिए कम्पटीशन होता है और उस में गला-घाँटी चलती है।

आप ने मार्च 1980 में एक पत्र लिखा था सब मुख्य मंत्रियों के नाम और आप ने इस सदन में कहा था कि जितनी भी की-पोस्ट्स हैं ए एस पी, एस पी, कलैक्टर आदि की इन पोस्ट्स के ऊपर गरीब तबके के लोगों को, कमजोर वर्ग के लोगों को रखो, लेकिन यह आप का आदेश कहीं पालन हुआ? नहीं हुआ। और जहां हम लोग इसे लाइट में ले आए, इस बात को नौलेज में लाए, वहां उस अफसर को ताडना दी गई और ताडना दी जा रही है। पिपरा की घटना आप के सामने है। पिपरा में आप गए थे और आप ने कहा था कि हरिजन अफसर ने अच्छा काम किया है। लेकिन उस हरिजन अफसर की क्या दुर्गति हो रही है, यह ज्ञानी जी, आप को और भकवाना साहब को भी मालूम है। वह चीफ सेक्रेटरी इसलिए है कि इस ने हम को होम मिनिस्टर से गाली दिलवायी है, इसलिए उस ने उस का सी आर खराब कर के रख दिया।

ये सारी समस्याएं हैं और यह जो विद्रोह हो रहा है इस विद्रोह का कारण क्या है? इस विद्रोह का एक ही कारण हो सकता है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वह अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और जो दूसरी जाति के लोग हैं वह समझते हैं कि उन के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। मैं आप से कहूंगा कि यह सदन के लिए अपमान है, आज देहातों में क्या होता है कि बडे बडे लोग रात में शराब पीकर आएंगे, हमारी मां-बहनें सोयी रहेंगी, वह शराब पीकर भीतर जाएंगे और वहां से निकलेंगे। यह समाज की हालत है आजादी के 32 वर्ष के बाद में सरकार इस पर कार्यवाही करे।

यह स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस है। इंडियन एक्सप्रेस में एक यह फोटो छपी है, इस को आप देखिए। यह आरक्षण विरोधी लोग नारा लगा रहे हैं और आगे

में एक महात्मा गांधी की फोटो बनायी है। एक आदमी को खुला बदन कर के लंगोटी पहना कर महात्मा गांधी बना दिया है और ये लोग आरक्षण के विरोध में नारे लगाते हुए, झूमते हुए हिंसा के लिए जा रहे हैं। .... (**व्यवधान**)... क्या यह गलत बात है? दूसरा मैं आपको दिखाता हूं यह स्टेट्समैन इस स्टेट्समैन में गुजरात के एक अरुण साहू हैं उनका खुला लेख आप पढ़ लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वहां प्रशासन क्या कर रहा है। वहां के अखबार किस तरह आग उगल रहे हैं ? वहां जो प्रैस रिपोर्टर है वह क्या कहता है । आप वह प्रैस रिपोर्ट देखिए....

सभापति महोदय: वह तो सब ने पढ़ी होगी, आप क्यों उस को पढ़ते हैं ?

श्री राम विलास पासवान: नहीं सदन को कहां मालूम है? क्या सब लोगों ने इसे पढ़ लिया है? ....(**व्यवधान**).... मैं यह कहता हूं इस में एक प्रैस रिपोर्ट ने दस उदाहरण दिए हैं कि मैं गया था जहां के लिए कहा गया कि मैरिज हो रही है लेकिन मैरिज नहीं थी। मगर यह कहा गया कि हरिजन लोग आ कर औरत के साथ बलात्कार किए । यह फैलाया गया कि हरिजनों ने होटल में जा कर अटैक किया और लडकियों के साथ बलात्कार किया। इस तरह से एक से एक न्यूज फैलाई गई । पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट आई, पुलिस कमिश्नर ने किस तरह से कहा कि मान ने फोर्स पर अटैक किया? यह सब अखबार की रिपोर्ट है।

उस दिन भकवाना साहब बोल रहे थे और ज्ञानी जी भी बोल रहे थे। बोलते-बोलते उन्होंने कहा कि इसमें फलां-फलां पार्टी के आदमियों का हाथ है और हम लोगों ने चार्ज को डिनाई किया। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं कि जिस पार्टी, लोकदल की ओर से हम यहां पर जीत कर आए हैं उसका मेनिफेस्टो कहता है:

"The Scheduled Castes and Tribes also enjoy reservation in recruitment to public services proportionate to their pepulation. The Lok Dal proposed that similar reservation may be made in allotment of permits or licences that may lie in the gift of Government but do not require any technical skill exploitation."

हमारी पार्टी रिजर्वेशन के लिए तैयार है । मैं बूटासिंह जी से कहना चाहूंगा कि वे इसके खिलाफ कोई एक भी स्टेटमेन्ट चौधरी चरण सिंह जी का दिखला दें । (**व्यवधान**) बूटासिंह जी, उस दिन आपने कहा था, मैं यहां पर कोई पालिटिक्स नहीं उठा रहा हूं ...

SHRI BUTA SINGH: Chaudhury Charan Singh has gone on record with regard to the question of reservations. I am just trying to ascertain from the hon. Member whether he has also.... (*Interruptions*)

श्री राम विलास पासवान : सटीकली । मैं ने कहा कि हमारे लीडर ने सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन के लिए तैयार हैं बल्कि हमारा लीडर यह भी कहता है कि लाइसेन्स, कोटा पर्मिट में भी उनको रिजर्वेशन दिया जाए । आप बैकवर्ड क्लासेज के लिए भी रिजर्वेशन कीजिए । हमारी पार्टी के मेनिफेस्टो में आगे लिखा है :

"While the socially and educationally backward classes (other than the Scheduled Tribes and Scheduled Castes) both Hindu and Muslim, constituted more than half of our people, they have little place in the administrative map of the country and therefore, smarting in a sense of injustice and deprivation while the Lok Dal regards that reservation cannot be a permanent feature of our arrangement, there is no alternative to the policy of professional opportunities. At least 25 per cent of Groups A and B Group jobs in the Central Government services will therefore be reserved for young men and women coming from these classes as recommended by the Backward Classes Commission appointed in the fifties by the Union Government itself, under Article 340 of the Constitution."

[श्री राम विलास पासवान]

आपने काका कालेलकर कमेटी बना दी थी, 1953 में उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी। फिर आपने दूसरी कमेटियां भी बनाई लेकिन इस देश के बैकवर्ड लोगों में इतनी बुद्धि है, वे इस बात को समझ रहे हैं कि रोज आप कमीशन बनावें, उस पर खर्चा करें लेकिन जब उसकी रेकमेंडेशन्स पर इम्प्लीमेन्टेशन करने की बात आती है तब आप चुप हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि फला लीडर विरोध कर रहा है, फला लीडर विरोध कर रहा है। सरकार आरक्षण की नीति को कडाई के साथ लागू क्यों नहीं करती? जब हमारी पार्टी का राज था तब हमने कहा था और आज भी मैं यहां पर दो सुझाव देना चाहता हूं।

मेरा पहला सुझाव यह है कि आप एक तात्कालिक कार्यक्रम के लिए विचार करें और इस सम्बन्ध में जिन पोलिटिकल पार्टीज से भी बातचीत करनी हो वह करें तथा देश में विशेषकर गुजरात में जो आग भडक रही है उसको कडाई के साथ रोकें।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि गुजरात की जो लोकल पुलिस है उसको वहां से हटायें और अपने यहां से फौज भेजें ताकि हरिजनों की जानें बचाई जा सकें। होली के बाद प्रत्येक घर से एक हरिजन मार देने की शिव सेना की जो योजना बन रही है, आखिर इस सम्बन्ध में आपकी विजिलेन्स और आपका गुप्तचर विभाग क्या कर रहा है? आप वहां के डी. एस. और एस. पी. को सस्पेण्ड क्यों नहीं करते हैं? यदि आप सोलंकी और अन्तुले को सस्पेण्ड नहीं कर सकते तो कहीं न कहीं आपको चाबुक उठाना ही पडेगा।

इसके अलावा जो रॉलिजस इंस्टीट्यूशन्स हैं, रॉलिजस प्लेसेस में वहां पर पण्डित जी ही बैठ जाते हैं, हम वहां भी नहीं जा सकते हैं चाहे कितने ही अकलमन्द हम क्यों न हों। हम चाहते कि जो पढ़े-लिखे लोग हों जोकि डिग्री लेकर निकलें उन लोगों को ही मन्दिर-मस्जिद का पुजारी बनाया जाए, जाति के आधार पर किसी को पुजारी न बनाया जाए।

अन्त में जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं यह बेमेल लड़ाई नहीं चल सकेगी कि एक तरफ बन्दूक और राइफल हों और दूसरी ओर हरिजन निहत्थे हों। जो बडे-बडे लोग हैं या दूसरी जो प्रोटेक्शन फोर्सेज हैं उसमें कीजिए, उनके लाइसेन्स कैंसिल कीजिए और दूसरी तरफ गरीब हरिजनों को आप बन्दूकें दीजिए, लाइसेन्स दीजिए और उनको ट्रेनिंग भी दीजिए। इसके अलावा पुलिस में जो नीचे की पोस्ट वल्नरेबल की हैं या दूसरी जो प्रोटेक्शन फोर्सेज हैं उसमें इन स्थानों पर ज्यादा से ज्यादा इन लोगों की बहाली आप करें ताकि अपनी रक्षा करने में वे सफल हो सकें।

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That this House expresses its concern at the situation arising out of the agitation and violent demonstrations against reservation of jobs for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Gujarat, Rajasthan and other parts of the country."

MR. CHAIRMAN: There are some amendments.

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI (Banskantha): I beg to move:

That in the motion,—

add at the end—

"and resolves that all political parties in the country and all sections of the society should join not only in condemning the agitataion but also in lending their active support to the Central Government in tackling the situation so as to restore peace and normalcy" (1).

SHRI NAVIN RAVANI (Amreli): I beg to move:

That in the motion,—

add at the end—

"and resolves that all political parties in the country and all sections of the society should support

the Central Government as well as the State Governments in tackling the situation so as to restore peace and normalcy." (2)

MR. CHAIRMAN: Shri Eduardo Faleiro—absent

SHRI SURAJ BHAN (Ambala): I beg to move:

That in the motion,—

add at the end—

"and is of the opinion that there is no controversy as far as the reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes as provided in the Constitution is concerned but certain difficulties and disparities have cropped up in its implementation in various States which has led to agitations for and against reservation this House, therefore, appeals to all leaders of agitation to withdraw their movement and resolves to appoint an all party Committee of the House for removal of difficulties and disparities in implementation of reservation and safeguarding the interests of the weaker sections of the society." (4)

MR. CHAIRMAN: Prof. Ajit Kumar Mehta—absent.

श्री भेराबदन के. गधावी (बनासकांठा): सभापति महोदय, मैंने इस रेजोलूशन के बारे में पासवान जी की बातें सुनीं । हम तो यह चाहते थे कि इस बड़े देश के सामने, न किसी एक पक्ष के लिए, न किसी एक पालिटीकल पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए यह सबसे गंभीर समस्या है और इस सर्वोच्च सदन के ऊपर पूरे देश को एक राह दिखाने का दायित्व है । इसलिए थोड़ी गंभीरता से इस के बारे में सोचना चाहिए, मगर जब मैंने उनका भाषण सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत गंभीर बात न कहते हुए वे क्षुद्र राजनीति के ऊपर नहीं आ सके ।

एक जमाना था, हम पढ़ते थे और छोटे थे, तो हमने यह देखा कि 30 जनवरी, 1948 की शाम को एक बहुत छोटे आदमी ने एक बहुत बड़े आदमी, राष्ट्रपिता की छाती छलनी कर दी । वह छाती क्यों छलनी की गई थी और किस बात के लिए ऐसा हुआ था ? वह इसलिए हुआ था कि उस आदमी ने एक आवाज उठाई थी, हिन्दुस्तान के जो गरीब लोग हैं, हिन्दुस्तान के जो हरिजन लोग हैं, हिन्दुस्तान के जो बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं, हिन्दुस्तान के जो माइनोरिटीज कम्युनिटीज के लोग हैं, उनके लिए उसने आवाज उठाई थी और दूसरी आवाज अपने उसूलों पर खड़े रहने के लिए उठाई थी । उस वक्त भी कुछ ऐसी ताकतें मौजूद थी, कुछ ऐसे लोग थे जो यह चाहते थे कि ऐसा आदमी जो यह कहता है कि मैं अपने उसूलों पर खड़ा रहूंगा, जो अपने उसूलों पर खड़ा रहता है और जो आदमी यह कहता है कि जो गरीब हरिजन लोग हैं, जो इन कास्ट्स के लोग हैं और जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उन सब को बराबर होना चाहिए, जो आदमी अपने वायदों को निभाने की बात अपने इस देश में करने की बात करे, ऐसे आदमी को जिन्दा नहीं रहना चाहिए और इस तरह से उसकी छाती को छलनी कर दिया गया । उस के बाद हमारा संविधान बनाया गया और इसके पहले भी और आजादी के बाद भी, लगातार न किसी एक पार्टी ने, न किसी एक पक्ष ने बल्कि पूरे देश के लोगों ने यह बात कही कि हमारे जितने भी कमजोर तबके हैं, हमारे जितने वे लोग हैं, जो समाज में सब से पिछड़े हुए हैं, उनको हम मौका देंगे, उनको बराबर का गिनेंगे और उन के साथ मिलजुल करके उन को समाज में बराबर का स्थान देंगे ताकि वे आत्म-सम्मान के साथ इस देश में रह सकें । ऐसा वातावरण हम बनाएंगे । आजादी के पहले की बात जो पासवान जी ने कही, वह सही है । गांधी जी ने आमरण अनशन किया था और फिर पूना पैक्ट हुआ और उसी हिसाब से हम इस देश में चलते रहे हैं । आरक्षण हम ने इसीलिए दिया है । आखिर मरीज होता है, उसको दवा देनी पड़ती है और दवा देते हैं । तो दवा क्यों देते हैं ? इसलिए दवा देते हैं कि बाद में वह अच्छा हो जाए और उसको बाद में फिर ज्यादा दवा न देनी पड़े ।

मुझे अफसोस है कि प्रधान मंत्री जी ने जो लाइयर्स कांफ्रेंस में बात कही थी, उस

[श्री भेरावदन के. गधावी]

का इन्होंने गलत अर्थ लगाया । उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि गरीब तबकों को हम मदद दे रहे हैं, हम देने वाले हैं और उसके ऊपर मुकम्मल हैं, मगर इस का मतलब यह नहीं है कि मरीज अच्छा कभी न हो । हम तो चाहते हैं कि आरक्षण बना रहे मगर आरक्षण के साथ साथ जो हमारा ध्येय है और जिसे हमें कार्यान्वित करना है, वह वही है कि एक ऐसा दिन इस देश के अन्दर आएगा, जब हम यह कहेंगे कि आरक्षण के बगैर वे गरीब तबके, हरिजन, आदिवासी जो कुछ भी इन को सहायता मिल रही है, जाब्स में और एजुकेशन के मामले में जो फैसेलिटीज मिल रही है, वे उसके बगैर चल सकें और दूसरे लोगों के बराबर हो जाएं । यह देश की भावना है, यह हमारे संविधान की भावना है, और तोड़-मरोड़ कर राजनीति के हिसाब से इसको पेश करना अच्छी बात नहीं है । गुजरात में मैंने जैसे आप को बताया था कि 30 जनवरी, 1948 को गांधी जी की छाती में गोली लगी।

आज गुजरात में क्या हो रहा है ? जिन लोगों ने गांधी की छाती पर गोली लगायी थी, वही लोग देश के हर कोने में जहां भी बैठे हैं, वहां पर लोगों को उकसा रहे हैं कि हरिजनों पर अत्याचार करो । यहां जेठमलानी जी बैठे हैं, बात तो आप बहुत करते हैं कि हम भी यह कहते हैं, हम भी यह चाहते हैं । लेकिन आप-जबान से और दिल से एक बात किया करो । आपके दिल में और बात हो, जबान में और बात हो तो वह बात नहीं चल सकती है । **(व्यवधान)** यहां उन्होंने सब कुछ कहा है। **(व्यवधान)** आज पासवान जी यह बात कर रहे हैं, हम जानते हैं... **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपूर) : सभापति जी, यह सारा का सारा मामला राजनीतिक रूप में बदल रहा है, जबकि यह कहा गया था कि इसे राजनीतिक रूप से नहीं देखा जायेगा । **(व्यवधान)**

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : हमारे यहां से पासवान जी बोले हैं । यहां लोक दल की बात कही गयी है, पॉलिटिक्स की बात की गयी है । **(व्यवधान)** गुजरात की आप बात कर रहे हैं । **(व्यवधान)** मेरा चार्ज है कि आपके मिनिस्टर, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपके अफसर इसमें शामिल हैं । **(व्यवधान)**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): May I make an appeal? The debate should not, be an acrimonious one. It has been intended to discuss the problem in its entirety with all coolness. I will only request hon. Members opposite.... *(Interruptions)*.

SHRI RAM JETHMALANI (Bombay North-West): Request your people first. *(Interruptions)*

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: When Mr. Paswan was speaking, nobody from this side interruption him.. *(Interruptions)*

SHRI RAM JETHMALANI. I can give the names of the Ministers who are involved. But I am keeping quiet. Please ask him not to throw stones. *(Interruptions)*

श्री रामविलास पासवान : सभापति जी, श्री वेंकटसुब्बया जी ने मेरा नाम लिया है। मैं आपको कहता हूं कि आप सारी प्रोसीडिंग्स को उठा कर देख लीजिए कि कहीं भी मैंने किसी का नाम लिया हो। जब मुझ से बूटा सिंह जी ने इस बारे में पूछा कि लोक दल के नेता का क्या स्टेण्ड है तो मैंने सिर्फ लोक दल का मैनिफेस्टो पढ़ कर सुना दिया । इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा । **(व्यवधान)**

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: I did not say anything against you. What I said is that while you were speaking, nobody from our side interrupted you.

श्री राम विलास पासवान : वह क्या बोल रहे हैं, आप उनसे तो पूछिये ? आप हमेशा दूसरे के बारे में कहते हैं, मैं

आपसे कहता हूं कि आप समस्या के संबंध में बोलिये । इस बात पर बोलिये कि गुजरात में क्या हो रहा है, उसका निदान क्या हो सकता है । वह पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि वह पार्टी कर रही है, यह पार्टी कर रही है ? क्या इस से समस्या का समाधान होगा अगर आपकी तरफ से ऐसा जवाब आयेगा तो हमारे पास भी कागजात हैं, आपका कच्चा चिट्ठा है, हम भी बहुत कुछ आप को कह सकते हैं । इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप समस्या का निदान बतलाइये, उस पर बोलिए और सुझाव दीजिए । देश आज जल रहा है । क्या ऐसे समय में हम एक दूसरे को गाली दें ?

श्री उगपाल सिंह : मेरा इतना कहना है कि हम लोगों ने इस वजह से मूमेंट शुरू नहीं किया । **(व्यवधान)**

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI: We do not want to make this debate acrimonious; nor do we want that.... (*Interruptions*) so far as this debate is concerned. But I would certainly say with all the force at my command that when these forces are speaking with a double standrad, naturally, if I do not expose them, then I am not doing my duty.

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, किसी भी माननीय सदस्य के ऊपर रिमार्क लगाया जाए तो उसे एक्सपंज कराया जाना चाहिए ।

MR. CHAIRMAN: He said that he is not making any aspersion. (*Interruptions*).

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, आप ट्रेजरी बैंचेज से ऐसे लोगों को बुलवाया करें, जिनके मन में हरिजनों के प्रति दर्द हो । **(व्यवधान)**

श्री उगपाल सिंह : ये मन से ही खिलाफ हैं ।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: This is very unfair. None of our members is against harijans or against reservation. The stand of the Government has been made very clear. None of our members is against harijans or against reservation.

श्री भेरावदन के. गधावी : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि आज देश के सामने यह समस्या खड़ी हो गई है, यह प्रश्न खड़ा हो गया है, हमें इस पहलू को देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं। आप पिछली बातों की ओर ध्यान दें, जब पहली बार गुजरात में मेडिकल स्टूडेंट्स के द्वारा एजीटेशन किया गया तो हमने कहा कि आरक्षण जारी रहेगा और जिन लोगों को आरक्षण का अधिकार है, उन्हें पूरी सुविधा दी जाएगी, इसके साथ-साथ गुजरात सरकार ने कहा कि अगर किसी इंटेलीजेंट स्टूडेंट के साथ आरक्षण की वजह से अन्याय हो जाता है तो हम उसे दूर करेंगे और आरक्षण की सीटें बढ़ा देंगे, ताकि किसी की हानि न हो, न आरक्षण वालों की और न दूसरों की । आज गुजरात के स्टूडेंट्स और गुजरात के लोग उसे चलाना नहीं चाहते और स्टूडेंट्स जब समझौता करने के लिए आते हैं तो आर. एस. एस. के लोग उनको धमकियां देते हैं, यही रामविलास जी से मैं अर्ज कर रहा था । **(व्यवधान)**

श्री फूल चन्द वर्मा (शाजापुर) : सभापति महोदय, इन्हें अपना आरोप वापस लेना चाहिए, या ये प्रमाण प्रस्तुत करें । **(व्यवधान)**

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Let there be a debate between the Bhartiya Janata Party and the Congress.

श्री भेरावदन के. गधावी : मैं तो सिर्फ यही कह रहा था कि हमारा दल, जो आज यहां बैठा है हम आज से ही नहीं, बल्कि आजादी के पहले से इनके हित में बात करते आए हैं और पूरे हिन्दुस्तान की जनता जानती है कि अगर हरिजनों और आदिवासियों का कोई हमदर्द है तो वह कांग्रेस है । घड़ियाली आंसू बहाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है ।

SHRI N. K. SHEJWALKER (Gwalior): Sir, under rule 353, it is permissible to say anything against a person who is not present here, without the previous permission of the Chair?

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI: I have not blamed anybody. (*Interruptions*)

17 hrs.

श्री फूल चन्द वर्मा : आप क्या समझते हैं कि आपको ही बोलना आता है, दूसरे बोल नहीं सकते हैं ? मैं आपको चुनौती देता हूं, ज्ञानी जी को चुनौती देता हूं। वह जांच करा कर देख लें कि आर. एस. एस. का हाथ है या नहीं (**इंटरप्शंज**) अगर उनका हाथ है तो उनको फांसी लगा दो लेकिन गलत आरोप न लगाओ। यदि लगाते हैं तो आप को खेद प्रकट करना चाहिए वर्ना मेरी चुनौती को स्वीकार कर लेना चाहिए। सरकार में हिम्मत है तो मेरी चुनौती को स्वीकार करे।

श्री भेरादवन के. गधावी : आरक्षण की बात को हम ने कास्टीट्यूशन में रखा है और जो हमारे मंशे की बात कही जाती है वह इसी से साफ हो जाती है। आप यह भी देखें कि हमारे दल के न होते हुए भी बाबा साहेब अम्बेदकर को संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए कहा गया था। वह कांग्रेस दल के नहीं थे। इससे भी हमारा मंशा साफ हो जाता है।

गुजरात के आन्दोलन के सम्बन्ध में मैंने एक एमेंडमेंट रखा है और मैंने कहा है कि सभी दल मिल कर न सिर्फ इसके ऊपर सोचें लेकिन जो एजीटेशन चल रहा है, उसकी भर्त्सना भी करें।

MR. CHAIRMAN: You have already taken 16 minutes Your time is over. Please conclude. (*Interruptions*).

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI: That is why I have moved an amendment to know the bona fides of all the parties whether they would condemn the agitation and help restoring normalcy and law and order in Gujarat (Interruptions).

श्री फूल चन्द वर्मा : या वह आरोप वापिस लें या सरकार जांच की घोषणा करे।

श्री भेरावदन के. गधावी : गुजरात और राजस्थान तथा अन्य राज्यों में जो बातें चल रही हैं उनके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात के लोग बड़े शांतिप्रिय हैं और गांधी के देश में गांधी के पुतले को किसी ने रक्त का टीका इसके पहले नहीं किया था और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने दिल को टटोलें और जिस किसी ने गांधी के पुतले को रक्त का टीका किया है उसको ढूंढ निकालें।

श्री नवीन रवाणी (अमरेली): गुजरात में जो घटनाएं दो महीने से घट रही हैं और आज भी जो वहां से खबरें आ रही हैं इस से सारा देश चिन्तित है, हम सब चिन्तित हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर परम्परा का निर्वाह करते हुए हम सोच रहे हैं। गुजरात के आन्दोलन के संदर्भ में आज हम सब अपनी जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं इसमें इस सदन की गरिमा और संसदीय लोकशाही की परम्परा का प्रतिघोष मैं देख रहा हूं। इसलिए विपक्षी सदस्यों से मैं प्रार्थना करता हूं कि हम विशाल दृष्टिकोण अपनाएं और विपक्ष से भी मेरा अनुरोध है कि वह भी ऐसा ही करे और इस विषय में अपना सम्पूर्ण सहकार सरकार को दें।

मैं गुजरात से आ रहा हूं। गुजरात में जो घटनाएं घट रही हैं, गुजरात का एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि "उनको देख कर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। गांधी जी के प्रदेश गुजरात में किन लोगों ने किन लोगों पर हिंसा की, किन को दोष दिया, किन लोगों पर हमला किया, इसको आपको देखना चाहिये। महात्मा गांधी ने पूरी जिन्दगी भर हरिजनों तथा आदिवासियों के लिए काम किया और जो लोग आर्थिक और सामाजिक शोषण की बलि बने हैं उनके बारे में उन लोगों को मालूम नहीं है कि वे कैसे रहते हैं। आप सब ने तो देखा होगा। मगर देहातों में हरिजन और आदिवासी की झोंपड़ी नहीं देखी होगी जिसमें मिट्टी के दो बर्तन के अलावा और कुछ सम्पत्ति नहीं होती है, पहनने के लिये एक लंगोटी के अलावा और कुछ नहीं होता। उनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। उन के लिये गांवों में पीने को पानी नहीं मिलता, और मिलता भी है तो अलग कूएं से मिलता है हरिजन के रहने का स्थान गांव से दूर होता है।

है । उस हरिजन और आदिवासी को उठाने की बात है । गुजरात में कुछ लोगों ने आन्दोलन छेड़ा है, लेकिन अगर उनके सामने उन हरिजनों का सही चित्रण होता तो वह यह आन्दोलन नहीं छेड़ते। हम सब लोगों के बीच में रहते हैं, हम पिछड़े, गरीब और दबे हुए लोगों को उठाने की कोशिश करते हैं । यह कांग्रेस की परम्परा रही है । यह संदेश महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू से हमको मिला है । अब यह संदेश हमको अपनी प्रधान मंत्री और हमारी प्रमुख नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी से मिल रहा है । उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। आरक्षण के खिलाफ कितना भी प्रतिकार आये कांग्रेस सरकार और कांग्रेसजन इस आरक्षण के साथ सदा रहे हैं और रहेंगे । इस सम्बन्ध में मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है । महात्मा गांधी बिहार का दौरा कर रहे थे कौमवाद की आग बुझाने के लिए । दोपहर का समय था, गांधी जी थोड़ा आराम कर रहे थे। बगल की कुटिया में ठक्कर बापा सो रहे थे । एक आदिवासी वहां पहुंचा उसने कहा कि मैं गांधी जी के दर्शन करना चाहता हूं । लोगों ने कहा कि वह आराम कर रहे हैं । तब ठक्कर बापा जाग गये और उन्होंने बताया कि तुम गांधी जी की चारपाई के सामने जा कर बैठ जाओ । थोडी देर बाद गांधी जी जाग गये, उन्होंने आदिवासी को अपने पास बुलाया और पास बैठाया । उस आदिवासी ने क्या किया ? वह मुंह में घास का तिनका ले कर गांधी जी के पैर में लेट गया । जब उन्होंने उसको उठाया और कहा "मुंह में तिनका दूर और आइन्दा किसी के सामने ऐसा नहीं करोगे । फिर आदिवासी ने क्या किया? गांधी जी को एक पैसा भेंट किया । गांधी जी ने कहा कि" कहां से लाये । उसने जवाब दिया "आज की रोजी से मिला" । एक पैसे की दारू और ताड़ी पी, एक पैसे का चना खाया और एक पैसा आपको भेंट दे रहा हूं । कैसी स्थिति थी उसकी? आज भी आदिवासी और हरिजन बस्ती में ऐसा ही चित्र दिखाई पड़ता है । अगर डाक्टर और वकीलों को इस चित्र का ख्याल होता तो उनके खिलाफ वह आन्दोलन नहीं छेड़ते ।

आदिवासी और हरिजन के लिये आरक्षण की जो बात है वह इसलिए है कि उनकी आजीविका का साधन सीमित है । साल में कुछ ही दिन उनको रोजी मिलती है, दूसरे दिनों में वह रूखी-सूखी रोटी खा कर दिन गुजारते हैं । असल बात यही है कि कांग्रेस सरकार ने उनके उत्थान के लिए कानून बनाया । इस कानून के जरिये शिक्षा में, स्वास्थ्य में हरिजनों को स्थान दिया जाये । परन्तु हरिजन और आदिवासी इतने दबे हुए और पिछड़े हुए हैं, इसके पास्वान जी ने आकड़े दिये हैं । पहले इस विषय का बहस के समय गुजरात के उत्तम भाई पटेल ने आंकड़े दिये थे कि उनके सामने जो सुविधाएं रहती है, उनका उपयोग वह नहीं कर सकते हैं । इस स्थिति में उनको ऊपर लाने के लिए आरक्षण जरूरी है ।

पूना पैक्ट की बात कही गई है, उसमें मात्र गांधी जी और अम्बेडकर की ही नहीं बल्कि देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों के भी गांधी जी के अनशन छुड़वाने में दस्तखत थे । समाज कल्याण की बात सिर्फ सरकार के सिर पर ही नहीं है, देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों, प्राइवेट सैक्टर के उद्योगपतियों ने गाधी जी का उपवास छुड़वाने के लिये जो वचन दिया था, उसको उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है । उन्होंने हरिजन और आदिवासियों के कल्याण के लिये इस काम में हाथ नहीं बटाया ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि सभी प्राइवेट सैक्टर के उद्योगों में हरिजनों और आदिवासियों को स्थान मिले । इसके लिये कानून बनाया जाये । रिजर्वेशन की बात के बारे में आज हम सोच रहे हैं, मगर गांधी जी ने 1927 में "यंग इंडिया" में कहा था कि हरिजनों और आदिवासियों को राष्ट्र के प्रवाह में ले जाने के लिये चौकस कदम उठाने पड़ेंगे । आज जो बात चल रही है, गांधी जी ने 1927 में कहा था । लुई फिशर की किताब है, उसमें गांधी जी ने कहा था :—

[श्री नवीन रवाणी]

"....I am unconcerned with the question of what place untouchables will have in any political constitution that may be drawn up. Everyone of the artificial props that may be set up in the constitution will be broken to bits if we Hindus do not wish to play the game.. This removal of untouchability is not to be brought about by any legal enactment.

"It will be brought about only when the Hindu conscience is accused to action and of its own accord removes the shame...."

गांधी जी ने कहा था कि मानस-परिवर्तन का सवाल हमें करना है और हरिजनों को भी उन्होंने कहा था । उन्होंने यह बात बताई थी—

"You must not ask the Hindus to emancipate you as a matter of favour. Hindus must do so, if they want, in their own interests. You should, therefore, make them feel ashamed by your own purity and cleanliness...."

महात्मा गांधी ने उस दफे बताया था कि दया के तौर पर हरिजनों के उत्थान की बात नहीं स्वीकार करनी चाहिये । अभी जो बहस चल रही है, यह हरिजनों पर कोई, (व्यवधान) दूसरी बात आरक्षण के बारे में यही कही जाती है कि बैकवर्ड क्लास के लोगों के कल्याण के लिए क्यों न सोचा जाये? सरकार ने उनके लिये योजना बनाई है, लेकिन हिन्दुस्तान में हरिजनों और आदिवासियों पर इतिहास के 2,000 वर्षों से जो जुल्म किया गया है, वैसा जुल्म इस इकनामिकली बैकवर्ड क्लास पर नहीं हुआ। इसलिए इनके लिए आरक्षण का सवाल उपस्थित नहीं होता ।

मैं सोच रहा था कि तबीबी छात्रों में करुणा और सहानुभूति होती है, मगर गुजरात में इतना आन्दोलन क्यों बढ़ गया? गुजरात सरकार ने उसके मामले में विचार किया, उनकी बात को स्वीकार भी किया, मगर आन्दोलन क्यों भड़का? बात यही है कि जब सरकार और छात्रों के बीच में समझौता हो रहा है, कुछ लोगों को ऐसा लगा कि समझौता हो जायेगा तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ आन्दोलन का रास्ता नहीं निकलेगा, आन्दोलन नहीं हो सकेगा । जून, 1980 में प्रचंड समर्थन के साथ कांग्रेस सरकार बनी । और जनता ने विपक्ष को करारा जवाब दिया । जब आदमी निराश होता है, तो वह लोगों के बीच में नहीं जा सकता और सेवा नहीं कर सकता तब वह नैगेटिव राजनीति का अनुसरण करता है। वैसा रवैया इस समय गुजरात और सारे देश में विपक्ष द्वारा अपनाया जाना शुरू हुआ ।

सब से पहले जुलाई, 1980 में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आन्दोलन की शुरूआत की । मगर उसे लोगों का समर्थन नहीं मिला, क्योंकि वह बेबुनियाद था, उसमें सच्चाई नहीं थी । इसलिए वह आन्दोलन ठप्प हो गया । फिर दूसरा आन्दोलन शुरू हुआ। लोक दल को लगा कि अब हमारी बारी आई । लोक दल ने कहा कि "किसानों को खेत की पैदाइश के ठीक दाम नहीं मिल रहे हैं" । लेकिन 1980 के मौसम में किसानों को मूंगफली का इतना दाम मिला, जो 1950 से ले कर अब तक कभी भी नहीं मिला था । फिर दूसरा आंदोलन भी ठप्प हो गया ।

गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विशेष तालीम दी जाती है । यह साफ है कि "तबीबी छात्र कभी भी बस नहीं जलाते, बैंक और दुकानें नहीं लूटते । ये काम कौन लोग करते हैं? क्या यह कहने की

जरूरत है? गुजरात में दसाज गांव में हरिजन बस्ती को जला दिया गया । उनकी तस्वीर अखबार में आपने देखी होगी । यह कौन करते हैं ? एक तरफ गांधीवादी समाजवाद की बात करना और दूसरी तरफ हरिजनों की बस्ती जला देना । मुख में राम, बगल में छुरी, यही बात इस समय चल रही है ।

गुजरात सरकार ने इस आन्दोलन को शान्त करने के लिए सब कुछ इन्तजाम किया है । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गुजरात में वर्ग-विग्रह करवाने की जो कोशिश हो रही है, वह एक भयानक बात है । वे लोग आग से खेल रहे हैं । उन्हें मालूम नहीं है कि यह आग सारे देश में फैल सकती है । उनको मेरा सुझाव है कि वे आग के साथ खेलने की चेष्टा बन्द करें । वे राजनैतिक दल विशाल दृष्टि कोण अपना कर और संकुचित मनोवृत्ति को छोड़ कर गुजरात के प्रमुख नेताओं से कहें कि वे इस आन्दोलन से दूर रहें । अगर उनके निदेश के बाद फिर आन्दोलन शुरू हो, तो मालूम हो जाएगा कि यह आन्दोलन असामाजिक तत्वों द्वारा चलाया जा रहा है, जिन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे कर उसे बन्द कर दिया जाये ।

•SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): Mr Chairman, Sir, I would like to speak today in the language of Kabiguru Rabindra Nath Tagore, that is in Bengali.

Sir, we are today discussing a resolution which seeks to take into consideration the agitation and the riots that are taking place in Gujarat and other places where brother is being killed by another brother. The main objective of our discussion to my mind is to consider it as a national issue and we have to adopt a constructive attitude and try to find out how best we can solve it. With pain and anguish I have to say that in Gujarat, the birth place of Mahatma Gandhi where he had launched the agitation for the upliftment of the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, a agitation is going on for the last two months over the question of reservation for these people in the field of education, employment and promotion and whether such reservations should be or should not be there. Sir, I would not like to take the time of the House for quoting statistics because my friend and the mover of the motion Shri Paswan has already done it. The real question is that in Gujarat today the down trodden, poor, oppressed classes and all those belonging to the lower strata of the society, and those belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who work in field and in factories and who keep the life line of the nation going by upkeeping production are being harassed and oppressed, they are being physically attacked and their houses and mohallas are being burnt down and the flame of hatred is spreading towards Rajasthan. We have to assess the background of such events and factors that are contributing to such ugly incidents. Sir, we live in a society which is divided on class and caste basis where the rich fatten themselves by the labour of the poor, where the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are treated as hated untouchables and suffer from multifarious disabilities. It is because of these disabilities that the Constituiton of India has provided for safeguards which will lead to the development of these down trodden people. Therefore, what I want to say is that day by day on the hand the economic condition of these neglected and oppressed people of the Scheduled Castes and Scheduled Tribs is deteriorating and on the other hand the army of unemployed people in the country is sweliing fast. There is acute unemployment among the Scheduled Castes and also non-

•The original speech was delivered in Bengali.

[Shri Krishna Chandra Halder]

Scheduled Caste people and employment is becoming scarce and limited. When this is the real situation, instead of trying to find a basic solution to it, we are trying to evade the real problem and are trying to find alibi and shortcuts. It is this deception, which has lead to the happenings in Gujarat and Rajasthan. The question that arises next is how the people of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes can earn their emancipation. How can they be freed from all social and economic disabilities and discriminations. Sir, we firmly believe that the path to freedom for all these neglected people lies in a joint struggle where the people of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes should join their brothers belonging to the non-Scheduled Castes and who live below the poverty line, the minority Muslims and the poor caste Hindus below the poverty line should all join together and launch a relentless war against all social and economic disparities, against all exploitation against all forms of injustices and pull down the barriers that keep a vast majority of our population under bondage and economic fetters. It is in this joint struggle lies the hope of emancipation for all. We also feel that the constitutional provisions for safeguard and reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people as conferred in Articles 16 and 353 should also continue because even today in Andhra, Tamilnadu, Gujarat and Rajasthan such people are being denied the basic human rights, they still toil and suffer and the bondage of slavery and they live in a society where the laws are inequitous towards them, While we support reservation, we cannot shut our eyes to the realities of the situation because we have to make a realistic assessment to find out how far over all these 33 years these reservations have helped the people for whom they are meant in forging ahead and compete with others on equal footing. Needless to say with progress is shamefully negligible. Still we feel that with these reservation they would be able to go ahead and improve gradually. We also feel that all efforts should be made to set right the misunderstanding and in the matter of promotions also there should be reservation for the qualified and competent members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We also feel that for Post Graduate education for the boys belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes with minimum qualifications, there should be reservation and we support it. But I have no hesitation to say that the greatest weakness of the democratic movement as a whole, lies in the facts that we have failed to assess rightly the hopes and aspirations, pain and agony of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people and we have failed to enthuse them to link them with the democratic agitations of the working class—the labourer, the peasants and the workers and we have failed to link them with these movements and consequently we have failed to bring them to national mainstream. Therefore, I would like to say very clearly that mere expression of sympathy by the ruling class and the people in Government for these people will not help them to solve their problem. What is needed is a firm will and an action oriented plan which should take into consideration their difficulties and solve them

17.28 hrs.

(Mr. Speaker in the Chair)

Mr. Speaker, Sir, I would appeal to all my friends belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and their leaders that they should not keep their brothern delinked from the united struggle of the vast majority of the have nots for more than 50 per cent of our population live below the poverty line. There are many progressive elements among the caste Hindus who are against caste system. We have to take them also along with us. Only by joining such a joint struggle they would be able to free themselves from the

social injustices to which they have been doomed, and can free themselves from the banes of untouchability. This is the basic problem and this is the basic solution thereto. I would appeal to Babuji to take to this right path. But the most important step that should be taken in this direction is to introduce land reform in the country and give land to the tiller and those belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. It gives me a great sense of pride to say that the Government of West Bengal is pursuing this path in a very effective manner. By introducing reform in the Bargadari system, they are distributing land to the landless majority of whom belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Sir, before the mid-term election of 1980, Shri Bhola Paswan Shastri, Chairman of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission had gone to West Bengal and highly praised the work done by the West Bengal Government for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, people through land reform. During January, 1981, Shri Shastri visited my constituency and seen for himself how pattas of land were being given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. Once again he expressed his full satisfaction on this account I will say that through a proper land reform and through a joint struggle by the exploited people we can end social and economic injustices which continue to victimise the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Along with this is needed an urgent measure nationalise the industries of the monopolists. It is these monopolists and the feudal element in the country who will always try to baffle a joint struggle of the exploited people against the exploiters. It is these elements who will try to keep them divided. It is these elements who will engineer hatred amongst the different sections of the exploited class and engineer riots in the country. They are diverting the struggle for emancipation. There are the diversionary tactics of the vested interests which are responsible for the happenings in Gujarat, Rajasthan, Jamshedpur, Aligarh, Moradabad and in Assam. Sir, from the floor of this Parliament, I will appeal to the people of Gujarat and Rajasthan, in fact to all the people of our country, that they should immediately put an end to the fratricide. At the same time I will appeal to the Government that they should call a conference of all the political parties to arouse national consciousness which alone can curb the ugly divisive forces and which can infuse sanity among the elements which are indulging in riots on the reservation issue. Let there be an all out effort from a national plane to solve the present problem. And by tackling the basic problems, we should launch a joint struggle comprising all the Members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, those belonging to the multitude under the poverty line to declare war against poverty and eradicate all social evils and economic inequalities and exploitation. We have to create a society free from exploitation. I would therefore say: Come one—come all. Come Hindus, come Muslims, come Christians—come one and come all. Let us arouse the national consciousness. Let us forget our differences of our parties. Can we not do it when the fire is ravaging the country in Gujarat, Jamshedpur and in Assam. As elected representatives of the people do we have no responsibility towards the nation? If we fail to rise to the occasion, posterity will not excuse us. If the vested interests, the divisive and the communal forces feel that they can put off the revolution of exploited against the exploiters for all times to come, them I must say that they are living in a fools paradise. If we cannot stop fratricide in Gujarat, Rajasthan, Moradabad, Jamshedpur, U.P. and Kashmir then we will have to pay a very heavy price for it. Out of this fire will emerge men of gold who will not be known as members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes they will not be known as zamindars and the tillers they will not be

[Shri Krishna Chandra Halder]

known as Caste Hindus or Muslims but they will all form a society where every individual will enjoy equal social and economic status and they will be individuals all equal to one another and where the society will take care of his needs, his education and his development. I will appeal to all political parties and particularly to Government to adopt this path because Government has greater responsibility then all the rest. I am sure that if the Government adopts this path no opposition party will ever oppose them. I had hoped that when the Parliament is discussing a matter of national importance the Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi will be here in our midest but she is not here. I feel sorry for this but let us not forget that the time is fast running out. We must call a national convention for all political parties and arouse national consciousness and with this national approach lead the country through the darkness of the tunnel to the bright sun-shine of equality for all individuals. We should end thase riots and Parliament should give proper direction and leadership to the nation. If we fail to do it then the peoples faith in Parliamentary democracy will end. They will take to the path of revolution, set a new social order and create a new society where everyone will be equal and there will be no exploitation, no class hatred, no inequality and no untouchability.

SHRI C. D. PATEL (Surat): Mr. Speaker, Sir, I will confine myself to the agitation in Gujarat. So far as the agitaiton in Gujarat is concerned we have to see the root cause of the agitaiton and will have to go deep into it. But one need not bother to probe deep into it. The very reading of the agitaiton will show as to what was the root cause of the agitation.

So far as the reservation of seats in post-graduate medical course is concerned it started in the year 1975 and at that time there was Governor's rule. After the Governor's rule when Janata came over they ratified the action taken by the Governor. Now, there was no agitation from 1975 to 1981 and the agitation started in the year 1981. Sir, this is because Mr. Solanki's government has taken over and they are toying with the idea of toppling Mr. Solanki's government. There were two agitations which were sought to be made out political issues but when they failed in those agitations they came up with this agitaiton.

Sir, I will not go in detail so far as the carry-forward system or interchangeability law are concerned. These are the issues which have been discussed thread-bare but so far as the demand of the medicos is concerned I will illustrate my point by giving one example. So far as Ahmedabad B. J. Medical College is concerned there are 65 seats in respect of post-graduate studies. Out of these sixty-five if the present rule is to be seen and carry-forward system is to be allowed then there are thirty-eight seats for non-reserved categories and twenty-seven seats for reserved categories because of dispensing with the carryforward system ten seats have gone. So forty-eight seats are for non-reserved categories. Out of these sixty-five only seven seats are today filled up by reserved category. Now, they say that fifty-eight seats are for non-reserved categories and seven for reserved categories, are not enough. They said that on the question of merit, the meritorious students should not suffer. Then the Gujarat Government said that they are going to raise the seats. Then the question of selection of subjects came. They said: We don't mind if you raise the number of seats: but we are not ready to allow the selection of subjects challenging the roster. So far as the Medico's demand of Housemanship and Registership is concerned, this demand is most unreasonable. This demand cannot be acceded to. It goes at the root of the policy of reservation and so it cannot be accepted. So

far as the policy adopted by the Gujarat Government as a whole is concerned, I submit that there should not be any effort to bypass the policy of reservation. The Gujarat Government only wanted to see that meritorious students should be accommodated and meritorius students should not suffer. These steps taken by the Government of Gujarat were taken only to protect the interests of these meritorious students. But that is not at all detrimental to the interests of the reserved categories like scheduled castes and scheduled tribes. So, Sir, the action which has been taken by the Government is Gujarat is correct. The action has been rightly taken by the Gujarat Government.

Then I come to the agitaiton part of it. So far as agitation is concerned what happened was this. In addition to agitation simultaneously, they challenged this thing in the Gujarat High Court also. There were various judgements in this respect from 1962 till 1981 from various High Courts and in the Supreme Court. Now, Sir, the recent judgment of the Gujarat High Court has not been challenged in the Supreme Court. Now they say that they will take the issue to the Streets. This is not democratic. The cardinal principle of democracy is that if a person or a group of persons are aggrieved about something then the only course left open for them is to go to a Court of Law where it is required to be challenged. They have challenged it right from 1962 till 1981, as I mentioned earlier. My friend Mr. Chatterjee has quoted some paras from the Supreme Court Judgment. All those judgments go to show the *ratio decidendi* laid down by those judgments that reservation is a fundamental right and it has got to be protected. Sir, it has been enshrined in our Constitution and it has been accepted by all. If any law is unconstitutional or invalid, then, remedies to challenge it in a Court of Law are there and that can be resorted to. And if the law is ultimately found by the Courts to be legal and valid, then, the other alternative in democratic pattern, is the Elections. You can challenge it democratically by way of Elections. In Gujarat what has happened? We have had three elections so far in Gujarat within one year. In all those election that particular section which is clamouring for all these things got defeated. Since they could not succeed in any court of law or in any of these three elections held so far in the course of one yar, they are now toying with the idea of creating some trouble or the other for the Gujarat Government. It is an utterly undemocratic way of dealing with things. Sir, take th 1975 incident or episode. It had been widely and systematically propagatd that in 1975 Mr Viswanathan, who was the then Governor of Gujarat, wanted his son to be admitted and that is why these things were done. Now immediately there was a Press Statment which was issued categorically stating that his son was not to be admitted in 1975; his son was already admitted in 1973 and so on. The then Governor Mr Viswanathan does not belong to any scheduled caste or scheduled tribe. But unnecessarily this sort of propoganda was carried on and it was proved how this propaganda was false and malicious

With regard to the preservation of law and order and preventing atrocities on Harijans, I am very definite that the Gujarat Government and the present Chief Minister have dealt with the situation very effectively and very deftly and diligently.

So far as Ahmedabad is concerned there are 18 police stations under the Ahmedabad Police Commissioner's jurisdiction and out of 18 police stations there is no curfew in 14 and curfew is there only in four of these police stations and they are the hotbed of RSS elements which are creating such troubles to dislocate law and order; that is why in those pockets the agitaiton continued. My respectful submission is this. Now, they are not getting popular support so far as Gujarat people are concerned. So far as the law and order situation is

[Shri C. D. Patel]

concerned, my esteemed friends have submitted in their glorious speeches that there were atrocities on the Harijans. But I would reiterate that so far as protection to the Harijans are concerned, not only the Harijans but all classes of people are concerned, they are being protected well. So far as the Gujarat Government is concerned, my submission is that there is no atrocity made on Harijans. So far as the Police is concerned, a very systematic move is being made that the Police is being attacked by the agitators. (*Interruptions*) Now, our respected Member Babu Jagjivan Ram has made a reference regarding one memorandum circulated by one Shri Daya Bhai Parmar, ex-MP, who belongs to the Janata Party. That memorandum was not supplied to the Home Minister and the Chief Minister of Gujarat and as soon as this fact brought to their notice they immediately contradicted the words which were sought to be put in their mouth. It was circulated in Delhi and not in Gujarat. But I agree with the principle envisaged in the Memorandum. The Chief Minister of Gujarat and the other Ministers of the State Government have declared very categorically and in an unequivocal term that they would rather quit power than accept the abolition of the reservations. We will not budge an inch in this respect. This fact was not brought out in that memorandum.

My respectful submission to everyone in this House as also outside is that we will have to view the situation very seriously. This attack will shatter the very fabric of the society and the very fabric of the democratic set up. So far as Gujarat is concerned, so far as South Gujarat is concerned, so far as Surat and Bulsar districts are concerned, at least 75 per cent of the population residing in those districts fall in the reserve category. There is not a single village in Bulsar district where the population coing under reserved category is not less than 50 per cent. They are challenging the very fabric of the society and the democratic pattern that is followed in this country. We do not know where this agitaiton will lead us to If these things are allowed to continue, then this will lead us to a caste war which will ultimately result in class-war. It is very urgent that this agitation should be called off immediately. So far as this august House is concerned, everyone should condemn the present agitation in Gujarat.

My last point is this. So far as the agitation is concerned, with all sincerity, I submit that this will lead us to a very dangerous and disastrous situation which will not be in the interest of the country as a whole. If it flares upto the rest of the State and to the neighbouring States, then in that case we will be inviting a caste war and class war. If the upper class is the wrap, then the weft is the weaker section. So, the fabric is to be kept in tact without ignoring a single section of the society. This is a very serious matter and it is required to be dealt with in all seriousness. My respectful submission is and I would appeal to this august House that we may all unite together and condemn the agitaiton with one voice. A particular section is interested in this and they are toying with the idea of toppling the State Government. That must not be allowed. We must rise to the occasion. I most sincerely pray and hope that the hon. Members would agree to this so that the situation is not allowed to worsen.

श्री बैनूल बशर (गाजीपुर): आदरणीय अध्यक्ष जी, आज यह माननीय सदन देख कि बहुत ही गंभीर समस्या पर विचार कर रहा है। आज गुजरात में जो आग लगी है, उसका असर राजस्थान में भी पहुंच चुका है, यू. पी. में भी पहुंच रहा है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी उस आग की लपटें पहुंचना चाहती हैं। मैं प्रधान मंत्री का, केन्द्रीय सरकार का और गुजरात सरकार का आभारी हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने साफ-साफ कह दिया

कि आरक्षण के बारे में कोई बातचीत नहीं हो सकती।

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

17.52 hrs.

श्री चंदूलाल चन्द्राकर: सभापति जी, सरकार ने करेक्ट स्टैप लिया है, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और आरक्षण के बारे में किसी भी राजनीतिक दल की दो मत नहीं हैं। देश के संविधान निर्माताओं ने आरक्षण इसलिए रखा था कि सदियों से दबा हुआ, सदियों से कुचला हुआ गरीब हरिजन, आदिवासी, जो इस देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। जिनके साथ सदियों से अन्याय होता रहा है उनको राष्ट्रीय धारा में बराबर का हिस्सा मिल सके, वे आगे आ सकें, वे तरक्की कर सकें, इसके लिए संविधान निर्माताओं ने यह एक सही फैसला किया था। इसके लिए देश के उच्च-वर्ग के लोगों को, देश के आगे बढ़े हुए लोगों को कुर्बानी देनी होगी, कुछ सेक्रीफाई करना पड़ेगा, तभी उन लोगों की क्षतिपूर्ति हो सकती है।

सभापति महोदय, इस मामले में देश के सभी लोग राजी थे, सारी जनता राजी थी और इस मामले में कोई दो मत नहीं थे, लेकिन आज गुजरात से यह जो आग शुरू हुई है और कुछ लोग इस आग को भड़काना चाहते हैं, अगर यह आग देश के बड़े हिस्सों में फैल गई तो इस बात की आशंका है कि हमको एक नेशनल क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा, एक राष्ट्रीय संकट से गुजरना पड़ेगा और सारा देश गृह-युद्ध या सिविलवार की चपेट में आ जाएगा। यह सिविल वार अमेरिकन सिवल वार की तरह नहीं होगा जहां कुछ रियासतें कुछ रियासतों के साथ लड़ी थीं, जहां अमेरिका का दक्षिणी भाग अमेरिका के उत्तरी भाग से लड़ा था, अगर यह गृह-युद्ध हमारे देश में फैल गया तो गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले और एक-एक घर को अपनी चपेट में ले लेगी। इसलिए सभापति महोदय, यह एक नेशनल क्राइसिस है, जिसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। हमें इसे रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। इसे रोकने के लिए सभी की सहमति होनी चाहिए। अब वह समय नहीं है कि हम यहां से बैठे-बैठे विरोधी दल के लोगों की आलोचना करें और विरोधी दल के लोग यहां बैठे-बैठे हमारी आलोचना करें। इस मामले में सब की सहमति होनी चाहिए। जब बाहर से हमारे देश पर आक्रमण हुआ तब हम एक आदमी की तरह एक जुट हो गए थे, पूरा राष्ट्र एक जुट हो गया था और आक्रमणकारी का हमने एक जुट हो कर मुकाबला किया था तो आज जब आंतरिक खतरा है तो उसका मुकाबला करने के लिए हम सब लोग एक जुट नहीं हो सकते हैं? हमें एक जुट होना चाहिये। जब तक हम एक जुट नहीं होंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

गुजरात में हरिजनों पर अत्याचारों के समाचार मिल रहे हैं। इस सदन में और इस सदन के बाहर भी समाचारपत्रों ने लिखा है कि गुजरात पुलिस ने हरिजनों पर अत्याचार किया है। पुलिस के लिए यह कोई नई बात नहीं है। पुलिस में कुछ ऐसी मनोवृत्ति के लोग हैं जो जब भी माइनोरिटीज, कमजोर वर्ग के लोगों, आदिवासियों या शेड्यूल्ड कास्ट्स का मामला आता है हमेशा उन पर अत्याचार करते हैं। हरिजनों पर ये अत्याचार महात्मा गांधी के प्रदेश में हुए हैं। महात्मा गांधी जिन्होंने हरिजनों के उद्धार का नारा दिया, जिन्होंने इस देश को एक राष्ट्र बनाया, जिन्होंने उन पर दया ही नहीं बल्कि उनके साथ न्याय करने की बात भी कही, उनके प्रदेश में ऐसा हुआ। जिन्होंने इस देश को एक राष्ट्र के रूप में उभारा उसके प्रदेश में—मैं नहीं जानता, मुझे जान कर खुशी होगी अगर कोई मेरे सामने इस तरह की मिसाल पेश कर दे,—कोई भी गांधीवादी जब हरिजनों को मारा जा रहा था तो सामने नहीं आया। अगर एक भी गांधीवादी की हरिजनों को बचाते हुए हत्या हो जाती, उसका खून बह जाता तो महात्मा गांधी की आत्मा संतुष्ट हो जाती। गुजरात में गांधीवादी विचारों के बहुत अधिक लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग उनकी विचारधारा से प्रभावित हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक भी गांधीवादी किसी

[श्री जैनुल बशर]

भी हरिजन को बचाने के लिए सामने नहीं आया, उसने अपनी कुर्बानी नहीं दी ।

आज कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो आरक्षण के खिलाफ लोगों को उकसा रही हैं, जो इस झगड़े का फायदा उठा कर लोगों को उनके खिलाफ एक जूट करना चाहती हैं । हम तेजी के साथ कनफ्रंटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं । जो भी एजीटेशन कर रहे हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि सारी राजनीतिक पार्टियां सिद्धान्तों और कार्यक्रमों के आधार पर बनने के बजाय जातीय आधार पर बनने लग जाएंगी, राजनीतिक पार्टियों के बीच समझौते सिद्धान्तों और कार्यक्रमों के आधार पर न हो कर जातीय आधार पर होने लग जाएंगे तो इस देश में जितने भी मूल्य हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं वे सब समाप्त हो जाएंगी, यहां तक कि हमारा जनतंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमें कनफ्रंटेशन से बचाना चाहिये। जाति के नाम पर हम को एक जूट नहीं होना चाहिए । जाति के आधार पर नहीं सोचना चाहिए । जातियों के साथ समझौते जातियों के खिलाफ करने की बात नहीं सोचनी चाहिए । इससे किसी भी जाति का फायदा नहीं होने वाला है, किसी व्यक्ति का फायदा नहीं होने वाला है और हमारे राष्ट्र का नुकसान अवश्य होने वाला है, जिन मूल्यों के लिए हमारे फोर फादर्ज ने कुर्बानियां दीं, जिन मूल्यों के लिए हमने कुर्बानियां दी उन मूल्यों पर आघात अवश्य होने वाला है ।

सभापति जी, ऐसी स्थिति में यह प्रभुता सम्पन्न सदन है, यहां सभी वर्ग के प्रतिनिधि हैं, सभी राजनीतिक दलों, सभी जातियों वर्गों और समप्रदायों तथा सभी भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं, हमको सबसे पहले इस सदन में एक कांसेन्शस बनानी चाहिये। और वैसे भले ही हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जायें, लेकिन मैं जानता हूं कि सभी का हृदय कांप रहा है, सभी गम्भीरता से सोच रहे हैं और चाहते हैं कि इस तरह का कोई कांसेन्शस बने । मैं एक राय देना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि गुजरात में गृह मंत्री के साथ सभी राजनीतिक दलों के नेता सर्वश्री वाजपेयी, चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, चन्द्रशेखर, मधु दंडवते, इन सब का एक पीस मिशन गुजरात और राजस्थान में भेजा जाय जो अहमदाबाद और जयपुर में जा कर लोगों से अपील करे कि आप आन्दोलन बन्द कर दीजिये क्योंकि यह राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है, देश की भावनाओं के विरुद्ध है, महात्मा गांधी के आदर्शों के विरुद्ध है। सारे राजनीतिक नेता इस बात को भूल जायें कि किस से किसको फायदा और नुकसान होने वाला है, बल्कि यह सोचें कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और उसी रूप में इसको लेना चाहिये।

18 hrs.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली): सभापति जी, मैं आशा करता था कि गुजरात के बारे में आज की चर्चा कुछ दूसरे वातावरण में होगी। मैं आशा करता था कि इस चर्चा के दौरान सदन की नेत्री प्रधान मंत्री उपस्थित रहेंगी ।

कुछ माननीय सदस्य: प्रधान मंत्री जी आ गयीं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं यह भी आशा करता था कि सदन की ओर से इस सम्बन्ध में कोई बात एक स्वर से कही जायगी जो बात उमड़ी हुई भावनाओं को शांत कर सके, आरक्षण के सवाल को उसके सही परिपेक्ष्य में रख सके और उस संकल्प को दोहरा सके जो संकल्प इस सदन ने कुछ ही महीने पहले विधान मंडलों और संसद में रिजर्वेशन की अवधि को 10 साल बढ़ाने का फैसला करके किया था । इस सदन को उस संकल्प को दोहराने की जरूरत है कि सेवाओं में और शिक्षाओं में आरक्षण की जो नीति अपनायी इसने वह एक राष्ट्रीय नीति है, सारा सदन उस नीति से बंधा हुआ है, और इस नीति पर दृढ़ता से अमल करने की आवश्यकता है । लेकिन मैं देख रहा हूं कि कोई सर्वसम्मत प्रस्ताव लाने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है ।

कुछ माननीय सदस्य: प्रस्ताव आ रहा है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सत्तारूढ़ दल यह मामला विरोधी दलों पर नहीं छोड़ सकता। दो तिहाई बहुमत आपका है, शासन के सूत्र आपके हाथ में है।

एक माननीय सदस्य : यह राजनीति है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर आपको राजनीति दिखाई दे रही है तो फिर आप राष्ट्र नीति को कभी नहीं समझ सकते।

सभापति जी, मेरी कठिनाई यह है कि प्रस्ताव आ रहा है और आयेगा तो मैं क्या बोलूं।....

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat): Don't spring a Resolution on us suddenly, without letting us see the draft. Everybody wants a Resolution, a unanimous Resolution. But don't suddenly produce a Resolution and say, "Pass it."

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : और अगर प्रस्ताव आ रहा है तो फिर भाषण देने की जरूरत नहीं है प्रस्ताव रख दीजिये। we have not been consulted in drafting a Reolutions. Sir, they want to spring a surprise.

सभापति जी, आज मैं आरोप-प्रत्यारोपों में फसना नहीं चाहता। दोषारोपण समस्या का हल नहीं है। बलि के बकरे की तलाश हमें कहीं नहीं ले जायेगी। आप अगर आरोप करें, मैं प्रत्यारोप करने के लिये तैयार हूं। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि उस दिन श्री मकवाना ने सदन को गुमराह करने की कोशिश की, मैं नहीं कहना चाहता।

सर्वोदयी नेता ने अपमदाबाद में जो बैठक बुलाई थी, उसकी सूचना हमको नहीं मिली थी। लोक-दल को तो निमंत्रण दिया ही नहीं गया था। हमारे एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई थी, सब लोग उसकी शव-यात्रा में लगे थे। सर्वोदयी नेताओं ने बैठक में ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टीवालों से सम्पर्क नहीं हो सका है, लोकदल वालों को बुलाया नहीं गया है, फिर भी मकवाना साहब ने सदन में आकर इस तरह का आरोप लगा दिया, यह चीज हमें दुःख पहुंचाती है।

एक माननीय सदस्य : आप नहीं कहिये

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब मैं नहीं कहता, जाइये।

गुजरात में पोस्ट ग्रेजुएट मैडिकल कोर्सेज के डाक्टरों को अपना आन्दोलन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, कोई कारण नहीं है। यह बात मैंने अहमदाबाद में डाक्टरों से कही थी। जब हम मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कैरी फार्वड की प्रथा समाप्त कर दी गई है, इंटर-चेंजेब्लिटी की प्रथा समाप्त कर दी गई है। अगर शिडयूल्ड कास्ट और शियूडयूड लाइब्ज के विद्यार्थियों को स्थान देते से कोई योग्य विद्यार्थी वंचित होता है तो गुजरात की सरकार ते यह भी कहा कि हम उसके लिये अतिरिक्त स्थान बना देंगे।

इसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हो सकती ट्ट आगे जाकर, मगर हमने डाक्टरों से कहा कि इन व्यावहारिक कठिनाइयों के बारे में सरकार से बैठकर बात करें।

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): Do you support the steps of the State Government.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Yes, I do support them.

SHRI A. K. ROY: We do not support it. This is nothing but a surrender.

समापति महोदय : आप बोलिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं तो बोलूंगा ही।

सरकार ने जब यह बातें स्वीकार कर लीं तो फिर आन्दोलन को जारी

[श्री अटल विहारी वाजपेयी]

रखने का कोई औचित्य नहीं था। मगर मुझे ऐसा लगता है। कि आन्दोलन मैडिकल कालेज के विद्यार्थीयों के हाथ से निकल गया है।

मुझे स्कूल के विद्यार्थी मिले कि इस सम्बन्ध में भारतीय जनता पार्टी की नीति ठीक नहीं है। मैंने कहा कि आपसे रिजर्वेशन का क्या मतलब ? तो कुछ विद्यार्थीयों ने कहा कि हमारी परीक्षाएं होने वाली है, हम चाहते है कि वह परीक्षाएं टल जायें। अगर आन्दोलन बढ़ेगा तो परीक्षाएं टल जायेंगी, हो सकता है कि बिना परीक्षा के हम को पास कर दिया जाये। यह लड़कपन है, मगर बड़ा खतरनाक खेल है।

आरक्षण की नीति जिस तरह से अमल में लाई गई है, उसमे कुछ शिकायतें है और उन शिकायतों को देखा जाना चाहिये। उदाहरण के लिये पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में भी केवल 9 राज्यों में आरक्षण है, बाकी के राज्यों में नहीं है।

मेरा निवेदन है कि यह मामला गुजरात तक का नहीं है, जैसा अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे और उस दिन भी भाषण में मैंने सुना। जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलने वाला है और अगर वह यह कहें मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की इसमें मुश्किल है, गुजरात में आरक्षण किसा था जनता सरकार ने और वर्तमान सत्तारूढ़ दल में भी ऐसे सदस्य हो सकते हैं जो यह कहे कि जनता सरकार ने जो दिया था, वह इंटरचेंजेबिलटी आपने क्यों खत्म कर दी, कैरी फार्वड क्यों समाप्त कर दिया ? जगह खाली रखिये जब शिड्यूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइवस के लड़के आयेंगे, तब जगह भरी जायेगी। यदि ऐसा कहा जाये तो इसमें भी बल है।

जहां राज्यों में यह मांग नहीं है, जहां अभी आरक्षण नहीं है पोस्ट ग्रैजुएट मैडिकल कोर्सेज में, वहां अगर यह मांग होने लगे कि 9 राज्यों में आरक्षण है, यहां भी करो ? उस समय प्रतिक्रिया क्या होगी ?

दूसरी ओर जहां 9 राज्यों में आरक्षण है, वहां यदि यह मांग होती है कि अगर गुजरात में इंटरचेंजेबिलटी खत्म हो सकती है, कैरी-फार्वर्ड खत्म हो सकता है, तो और राज्यों में क्यों नहीं खत्म होना चाहिये ?

इसलिए ख़ाली गुजरात के मामले को नहीं देखना चाहिए। मैं इस मामले को केवल सीटों का मामला भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आरक्षण की सारी व्यवस्था इस बात पर टिकी है और टिकी थी--उसका आरम्भ इस बात में से हुआ कि समाज एक है, सैकड़ों वर्षों से हमारे कुछ बंध उपेक्षित रहे है, दलित रहे है, पीड़ित रहे है, अब उनके साथ हमें न्याय करना है और इसमें अगर थोड़ा सा अन्याय उनके साथ हो जाये, जो सैकड़ों सालों से आगे रहे है, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए समाज की एकता को कायम रखने के लिए यह कीमत देनी पड़ेगी।

मगर मैंने गुजरात में देखा है कि जो डाक्टर अच्छे लोग है, जो नौजवान आन्दोलन कर रहे है, मैं उनकी निन्दा नहीं करना चाहता हूं, वे अच्छे लोग है, लेकिन हम उनको यह समझाने में असमर्थ रहे हैं कि अगर 22 रजिस्ट्रार होते हैं और उनमें से एक शिडयूल्ड कास्ट का रजिस्ट्रार हो जाये, तो उन

आपत्ति क्यों होनी चाहिए । हम उनको नहीं समझा सके हैं। केन्द्रीय सचिवालय में काम करने वाले अपर कास्ट के कर्मचारियों को समझाना मुश्किल हो रहा है।

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

18.11 hrs.

इस सवाल ने सब दलों को बांट दिया है। कांच के घर में रहने वाले दूसरों पर पत्थर फेंकने की गलती न करें। इस सवाल ने सभी दलों को बांट दिया है, ट्रेड यूनियन्ज को बांट दिया है। यह हमारे समाज की एकता की जड़ पर कुठाराघात कर रहा है, और राष्ट्र की एकात्मता खतरे में है।

लोग वर्तमान संकट को सिविलाइजेशन क्राइसिस कहते हैं। तब हम यह नहीं समझते थे कि ऐसा वर्णन क्यों किया जा रहा है। ख्याल था कि वर्तमान संकट आर्थिक है या राजनीतिक है।

एक माननीय सदस्य : क्राइसिस आफ़ सिविलाइजेशन।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सिविलाइजेशनल क्राइसिस और क्राइसिस आफ़ सिविलाइजेशन एक ही बात है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : ट्रांसलेशन तो एक ही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बड़ी कठिनाई के दिनों में भी, विदेशी आक्रमण के जमाने में, पराधीनता के काल में, भेदभाव होते हुए समाज कुरीतियों से ग्रस्त था, इसके बावजूद एक विश्वास, एक भाई-चारा, कहीं न कहीं ममता, कहीं न कहीं आत्मीयता हम बनाए रखने में सफल हुए थे। वह ममता खत्म हो रही है, विश्वास टुकड़े टुकड़े हो रहा है। यह कुछ सीटों का मामला नहीं है, कुछ नौकरियों का सवाल नहीं है। अगर विश्वास मिट गया, तो फिर कोई व्यवस्था, कोई कानून कोई नियम उस स्नेह को पैदा नहीं कर सकता है, जिसके बल पर समाज साथ चलता है, कदम मिला कर आगे बढ़ता है।

इस लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस संकल्प को दोहराएं कि जो रिजर्वेशन है, वह जारी रहेगी। मगर नई पीढ़ी को विश्वास में लेने की जरूरत है, उसे समझाने की जरुरत है, उसके सामने आंकड़े रखने की जरुरत है। जो प्रोबलम का डाइमेंशन है, वह पोस्ट ग्रेजुएट में तो है ही नहीं। वहां के मेडिकल कालेज के विद्यार्थी कहने लगे कि साहब, जो योग्य नहीं है, वह कैसे पढ़ा सकता है। हमने पूछा कि अगर 94 टीचर्ज हैं, और उनमें एक शिडयूल्ड कास्ट का आ गया, तो क्या स्टैंटर्ड गिर जायेगा। यह नहीं हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : डोनेशन देकर कालेजों में प्रवेश पा रहे है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : डोनेशन से आ रहे हैं। अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कार्पोरेशन का जो कालेज है, उसमें ट्रस्टियों के उम्मीदवार आ रहे है। वे पैसे से आते हैं, योग्यता से नहीं। उनके बारे में हमारे मन में थोड़ी सी भी आपत्ति नहीं होती है। मगर यह अनुभूति कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे रक्त के रक्त, हमारे मांस के मांस है, हम अपने साथ थोड़ा अन्याय करेंगे लेकिन शिकायत नहीं होने देंगे, यह अनुभूति मर रही है।

यह राजनीति का खेल नहीं है। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री सदन में होतीं। वह बड़े नपे-तुले वक्तव्य दे रही हैं, बड़े संतुलित वक्तव्य दे रही है। मगर जब लोगों की भावनायें उभरती है,

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

वे तो जिस तरह से मतलब निकाल लेते हैं, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं।

"Dr. Murgesh Vaishnav, president of the action Committee of the agitating medicos, welcomed Mrs. Gandhi's statement in Delhi that meritories students should not suffor due to reservation.'

Dr. Vaishnav said, "we would like to congratulate her for taking a bold stand on the reservation issue."

जो आन्दोलन कर रहे हैं, यह उनके नेता है। वह प्रधान मंत्री के वक्तव्य में अपने लिए समर्थन देख रहे हैं। हमारे शिडयूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज वाले बंधु अपने लिए समर्थन देख रहे हैं।

श्री जगजीवन राम (सासाराम) : नहीं, हम अपने लिए समर्थन नहीं देख रहे हैं। यह बहुत घातक वक्तव्य है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि यह मामला चतुराई से हल नहीं होगा। और यह मामला दोषारोपण से भी हल नहीं होगा। अगर आप सारा श्रेय हमें देना चाहते हैं ....

एक माननीय सदस्य : तो हम लेने के लिये तैयार हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, हम इस के लायक ही नहीं हैं, हमारी शक्ति नहीं है और हम कन्विन्स्ड भी नहीं हैं। कन्विन्स्ड होंगे तो डंके की चोट पर कह देंगे। हम वोट के लिए राजनीति में नहीं आए हैं हम ने सत्ता के लिए सिद्धांतों का सौदा नहीं किया है। मगर हम कंविन्स्ड हैं कि ये जो पिछड़े लोग हैं इनके साथ न्याय करना होगा। मगर नयी पीढ़ी को कैसे समझाएं? एक कम्यूनिकेशन गैप है और यहां सरकार विफल रही है।

आप आंकड़े उठा कर देखें, मेरे पास रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं। कोई समझता ही नहीं है कि समस्या है क्या? आप रिजर्व बैंक के आंकड़े देखिए सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक—इन में पन्द्रह परसेंट होना चाहिए और कहीं एक परसेंट से भी ज्यादा नहीं है। किस को हम दोष दें? और आप जानते हैं बैंकों में क्या हो रहा है? बैंकों का मैनेजमेंट कहता है कि ट्रेड यूनियन के साथ हमारा ऐग्रीमेंट है और ट्रेड यूनियन सब आर एस एस नहीं चलाता, की जे० पी० नहीं चलाता, हमारे और मिल भी ट्रेड यूनियन चलाते हैं। इस सवाल पर वह कहते हैं कि मैनेजमेंट का और ट्रेड यूनियन का समझौता हो गया है, रिजर्वेशन लागू होता है, या नहीं होता है, इस चक्कर में मत पड़िए। यह चीज ट्रेड यूनियन को भी बांटती है।

मेडिकल कालेज में आप देखें कितने लोग हैं। मगर एक बात नौजवानों की समझ में यह नहीं आती कि सैकड़ों साल से अन्याय हुआ है। वह कहते हैं कि ठीक है, सैकड़ों साल से अन्याय हुआ है तो हम ने तो नहीं किया, हम क्यों भुगतें? उसके हृदय में यह समवेदना नहीं है, वह दर्द नहीं है और तैंतीस साल में अगर हमने कोई बात खोयी है तो यह दर्द खोया है, यह संवेदना खोयी है, यह भाईचारा खोया है। सारे प्रश्नों का दुर्भाग्य से सारे मामले का राजनीतिकरण हो गया है। देश दलों में बंट गया है और दल जातियों में बंट रहे है। देश ही नहीं बंटा है, दल ही नहीं बंटे है दिल भी बंट गए हैं।

इस सदन में बड़ी बड़ी बात कहने से नहीं होगा। बाहर की लड़ाई कौन लड़ेगा। एक दल नहीं लड़ सकता, मैं मानता हूं। अभी यह शिक्षा-संस्थाओं तक मामला है। अब गुजरात के कर्मचारी मांग कर रहे

हैं। उनसे पूछो कि क्या रिक्रूटमेंट में शिकायत है? कहते हैं कि रेक्रूटमेंट में तो चल सकता है, मगर प्रोमोशन हमारी समझ में नहीं आता जो हमारा जूनियर है वह सीनियर हो जाता है। मैं भी उनको संतुष्ट नहीं कर सकता। रेक्रूटमेंट में रिजर्वेशन समझ में आ सकता है, प्रोमोशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि प्रोमोशन में ठीक है और हम उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन जो दफ्तर में बैठा हुआ है वह कहता है कि यह बात ठीक नहीं है। आप उन्हें सुविधाएं दे कर सब के बराबर ले आइए मगर एक बार बराबर ले आइए तो छोड़ दीजिए। जो आगे जाता है वह आगे जायगा। वह मुझे रोस्टर दिखाते हैं कि पांच साल बाद डिप्टी सेक्रेटरी कौन होगा? मैं तो कह सकता हूं कि कोई भी डिप्टी सेक्रेटरी हो उसकी चिन्ता नहीं है, हो जाने दो, अपना ही भाई है मगर यह आर्थिक प्रश्न है, रोटी का सवाल है। व्यक्ति ऐसा अर्थमय हो गया है कि राष्ट्रीयता समाज की एकता, बन्धुता, भाईचारा, स्नेह, ममत्व, ये मूल्य आज किसी को अपील नहीं करते हैं। यहां हम विफल हुए हैं।

अभी सर्वोदय नेताओं की बात हो रही थी। ऐसा नहीं है कि सर्वोदय नेताओं ने निन्दा नहीं की है। मगर सर्वोदय नेताओं की भी सीमा है। राजनीति सब पर छा गई है। राजनैतिक नेताओं की बात हर मामले में चलती है। सर्वोदय वालों को हम ने पूछा कब है? अब गुजरात में संकट पैदा हो गया तो हमें सर्वोदय वालों की याद आ गई। मगर जब राजनीतिक को नैतिकता पर चलाने का सवाल आता है तो सर्वोदय वालों की बात कोई नहीं सुनता। तब सत्ता का लज्जाजनक खेल चलता है। आज एक एक संस्था टूट रही है, एक एक मान्यता मिट रही है, एक एक परम्परा पैरों तले रौंदी जा रही है। जो सत्ता में हैं वह सत्ता में रहना चाहते हैं और जो विरोधी दल में हैं वे ऐसे मौके का फायदा उठा कर थोड़ा सा लाभ उठाना चाहते हैं। मगर हमारे कांग्रेसी मित्र इसकी शिकायत न करें। उत्तर प्रदेश में लोक दल की सरकार थी। नारायणपुर में गड़बड़ हो गई, हरिजनों पर अत्याचार हुआ था, महिलाओं उस में फंसी हुई थी। प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी नारायणपुर गई। वह महिलाओं से मिलकर बाहर निकल रही थीं तो एक पत्रकार ने पूछा कि क्या यह कहा जा सकता है कि यह लोक दल की सरकार है और आप यहां उनकी गलती का फायदा उठाने के लिए आई हैं तो प्रधान मंत्री का उत्तर था कि अगर विरोधी गलती करें तो हम फायदा क्यों न उठाएं? यह उनका जवाब था। आज हमारे कार्यकर्ता वह जवाब हम को दिखाते हैं, कहते हैं राजनीति आपकी समझ में नहीं आयेगी, राजनीति इन्दिरा जी करना जानती है। बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए जनता शासन के दौरान रिजर्वेशन लागू किया गया तो कांग्रेस पार्टी ने खुलेआम उसका समर्थन नहीं किया। वे चुप रहे। अभी भी जो वक्तव्य दिया जा रहा है वह बड़ी चतुराई से दिया जा रहा है —इधर भी थोड़ा सा और उधर भी थोड़ा सा। अरे, इससे नहीं चलेगा, यह मैं कह रहा हूं। यह देश चतुराई से नहीं चलेगा, यह देश चलेगा तो चरित्र से चलेगा, यह देश मूल्यों से चलेगा। आपको भयभीत होने की कोई जरुरत नहीं है, आप बहुमत में है, सत्ता आपके पास है लेकिन साहसपूर्वक आपको फैसला करना पड़ेगा। और उसके लिए सभी को साथ लेने की तैयारी चाहिए। आरक्षण की नीति जिस ढंग से अमल में लाई जा रही है उससे कुछ समस्यायें पैदा होंगी और उन समस्याओं का मैंने उल्लेख किया है।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

उस दिन हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी भोगेन्द्र झा ने इस सदन में एक बिल पेश किया था, नान-आफिशियल बिल,—वे तो बी० जे० पी० के नही है, आर० एस० एस० का होने का सवाल ही नहीं है—उसमें उन्होंने कहा था एजुकेशन और सोशली बैकवर्ड के साथ एकोनामिकली बैकवर्ड का भी थोड़ा सा ख्याल करो। क्या गरीबी केवल जाति पर है? क्या गरीबी गरीबी नहीं है। भले ही आप उसके लिए कोई रिजर्वेशन मत करिए मगर कन्सेशन्स तो दीजिए। जो आर्थिक दृष्टि से गरीब है, भीख मांगते हैं उनका विचार हम नहीं कर रहे ह।

फिर क्या रिजर्वेशन प्रमोशन में भी वह चलना चाहिए? इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह तो कोई नहीं कह सकता कि 33 साल तक जो आरक्षण चला है उसका किसी को फायदा नहीं मिला है लेकिन यह भी देखने की जरूरत है फायदा जिन्हें मिलना चाहिए था उन्हें मिला है या नहीं मिला है? कहीं ऐसी बात तो नही है कि कुछ लोग ही फायदा उठा रहे हों और बाकी वंचित हों।

यह सारे पहलू ऐसे हैं जिन पर इकट्ठे होकर चर्चा करके कोई राजनीतिक मतैक्य कायम किया जाना चाहिए। लेकिन इसका ताल्लुक है प्रधान मंत्री जी से और प्रधान मंत्री जी सदन मे उपस्थित नही है इसलिए इस चर्चा का कोई अर्थ नहीं है।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात के सम्बन्ध मे एक बार पहले भी इस सदन में चर्चा हो चुकी है और उसके होने के बाद क्योंकि यह आन्दोलन समाप्त होने के बजाए और दूसरे प्रदेशों के अन्दर भी उसकी चिनगारियां पहुंचने लगीं और इस सदन के अन्दर यह आवाज उठी कि इस प्रश्न के ऊपर फिर विचार किया जाना चाहिए तो इस सदन में आज हम फिर इकट्ठे होकर विचार कर रहे है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो संघर्ष हमारे सामने देखने में आ रहा है उसका मूल कारण, असल में हमारे देश के अन्दर जो जाति प्रथा चली आ रही है उसी का यह परिणाम है। पहले कभी अगर शेड्यूल्ड कास्ट और कास्ट के बीच में झगड़ा हो जाता था तो उसको वर्ग संघर्ष का रूप समझकर नहीं चला जाता था। इस समस्या का हल आज कोई एक दल नहीं, सभी दल मिलकर निकालें—यह अत्यन्त आवश्यक है। मैंने पिछली बार भी कहा था और आज भी निवेदन करना चाहता हू कि आज इस सवाल पर जब हम बहस कर रहे है तो यह अच्छा रहेगा कि हमारी बहस का परिणाम यह हो कि बाहर आन्दोलनकर्ताओ पर उसका अच्छा और गम्भीर प्रभाव पड़े। पिछली बार हमारे देश के काफी पुराने नेता बाबू जगजीवन राम जी ने इस बात को यहां पर कहा था कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के ऊपर भारी बहुमत की ओर से एक तरह से जेनोसाइड हो रहा है। मै निवेदन करना चाहूंगा कि देश में कुछ जगहों पर कुछ आन्दोलन चल रहे हैं लेकिन उसमें सभी कास्ट हिन्दूज या दूसरे सभी लोक सम्मिलित होकर किसी शेड्यूल्ड कास्ट या किसी वर्ग विशेष के ऊपर आक्रमण करके उनका जेनोसाइड कर रहे हों—ऐसा कहना मैं समझता हूं ज्यादती होगी और यह गलत भी है कि उसको इस प्रकार की संज्ञा दी जाए।

उसका रियेक्शन होने की वजह से इस बात की गुंजाइश पैदा होती है। सभाध्यक्ष

जो, इसी प्रकार से कोई क्लास वर्ग के रूप में इस संबंध में बात करे या कास्ट-वार के रूप में इस संबंध में बात करे तो उससे समस्या हल होने वाली नहीं है, हल होने के लिए आवश्यकता यह होगी कि जो चीजें इस देश ने और इस सदन ने राष्ट्रीय नीति के तौर पर मानी है, उस पर हम मजबूती के साथ मिल-जुल कर अमल करें। मेरी यह निश्चित मान्यता है कि मैं किसी पर दोषारोपण करके वातावरण को तेज नहीं करना चाहता, लेकिन अगर सभी दलों के नेता, जो भारतीय स्तर के हैं, वे अपनी शाखाओं और उप-शाखाओं को ठटोलें तथा यदि कहीं कमजोरी पायें तो उस कमजोरी को हिम्मत के साथ दूर करें और समझायें तो इस समस्या को हल करने में आसानी होगी—बजाय इसके कि हम आक्षेप या प्रत्याक्षेप के अन्दर चलें। कई संस्थायें हैं, मैं किसी संस्था का नाम नहीं लेना चाहता हूं, राजनीति में इसको बदलना नहीं चाहता, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, उन बातों पर बजाय इसके कि हम एक दूसरे पर आक्षेप करें, उसको हल करने के लिए उसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है (व्यवधान) अगर हमारे यहां की कोई बात आपके सामने आई है, तो निश्चित तौर पर उसको लाइए और लाकर उसके भी ठीक करने की आवश्यकता है। मैं किसी जमायत के बारे में कहकर नहीं चलता, लेकिन जहां भी दोष हो, उस दोष को ठीक करने की आवश्यकता है, न कि उस दोष को बढ़ाने की इस आन्दोलन जो भी लाभ उठाने का प्रयत्न करेगा, कोई भी नेता लाभ उठाने का प्रयत्न करेगा, तो मेरी निश्चत मान्यता है कि न वह पार्टी लाभ उठा सकेगी और न ही वह व्यक्ति लाभ उठा सकेगा। वे ही नुकसान उठाने वाले हैं, जो देश तथा समाज को नुकसान देंगे, इस गलत काम को करके, लेकिन इससे किसी को भी लाभ पहुंचने वाला नहीं है।

आज देश में एक गम्भीर समस्या खड़ी हुई है और जो असंतोष हो रहा है, राजस्थान में जो कुछ हुआ—मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारे यहां पर दो जातियों के बीच में पैदा हुए झगड़े का रूप भी अखबारों में इसी प्रकार से दूसरी जगहों में आया, कि जैसे कोई आरक्षण के लिए लड़ रहा हो। हालांकि मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ फलना में हुआ, वह शैड्यूल्ड कास्ट्स और दूसरी जातियों के बीच का झगड़ा न होकर के दो बीच के झगड़े को लेकर एक बड़ी गम्भीर समस्या पैदा हो गई। यह उसी तरह की बात कही जा रही है कि जैसे हिन्दू-मुस्लिम आपस में पतंग उड़ाने के अन्दर लड़ गए और उसको लेकर काम्यूनल रायट हो गया—यदि इस तरह की स्थिति समाज में पैदा होगी तो भयंकर स्थिति पैदा हो जाएगी और यह किसी के लिए उपयुक्त नहीं होगा।

अभी मुझ से पूर्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे थे कि इसमें एक राष्ट्रीय कनसैंसस बनाने की आवश्यकता है, मिल-जुल कर के हम सच्चे दिल से इस समस्या को हल करने के लिए साथ दें—इसकी आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि कोई वक्तव्य या प्रस्ताव हम पास करें, उससे ज्यादा दिल से समस्या को हल करने की आवश्यकता है। प्रस्ताव भी कागज पर रह सकता है, भाषण भी भाषण की जगह पर रह सकता है, लेकिन दिल से इस समस्या को हल करना चाहते हैं या नहीं, यह मुख्य समस्या है, जिसको कि देखने की आवश्यकता है। उसकी गहराई के अन्दर हम जायें और उन समस्याओं को हल करें—ऐसा मैं मानता हूं और शायद सभी लोग इस बात को मानेंगे कि जहां तक जातिवाद और शैड्यूल्ड कास्ट्स के सवाल समय-समय पर यहां आते रहे हैं, कई प्रकार से आते रहे हैं और पहले भी इस सदन के अन्दर चर्चा हुई है। यह एक गम्भीर मसला है और इस गम्भीर मसले पर जैसा कि अभी कहा गया है और मैं समझता हूं कि सब तरफ से एक ऐसा वातावरण पैदा किया जाए, जिससे देश में समस्या को हल करने के लिए मिल-जुल कर बैठें और बैठकर सारी समस्याओं पर विचार करके, जो कुछ भी हमारे विधान के अन्दर हमने तय किया है कि इन लोगों को ऊपर रिजर्वेशन को कायम रखना चाहिए, उसकी

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

लिए वातावरण बनायें, न कि उस वातावरण को कमजोर करने की तरफ जायें। उठाया जाना चाहिए, शैडयूल्ड कास्ट्स के मैं कहना चाहता हूं कि उस आधार को कहीं पर भी हिलने नहीं देना चाहिए, वरना आज एक आन्दोलन होगा कि अमुक जगह पर रिजर्वेशन कम करो, फिर कल दूसरी जगह पर आन्दोलन खड़ा होगा कि कम करो, परसों फलानी जगह कि कम करो तो इस तरह से इसका कहीं अन्त नहीं होने वाला है, बल्कि कुछ और आन्दोलन को खड़ा करने वाले हो जायेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सोचें और कोई हल निकाल कर इस समस्या को हल करें। मुझे खुशी है कि लोकदल के माननीय सदस्यों ने भी इस मामले में काफी उत्साह के साथ इस बात को कहा है।

यहां पर अभी वाजपेयी जी ने भी कहा, हल्दर जी ने भी कहा और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि हम सब मिल कर, वास्तविक रूप में इस समस्या को हल करने के लिये ज्यादा से ज्यादा मिल-जुल कर काम करें और इस प्रकार का वातावरण बने, तो मैं समझता हूं कि हमारी प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी भी पसन्द करेंगे कि डायलोग का एटमासफीयर पैदा हो, जिस में सब साथ बैठ कर इस समस्या को हल करें। एक बार एटमासफीयर बन जायगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी भी इस बात से कभी नहीं झिझकेंगे कि साथ बैठ कर समस्या को हल किया जाय और मैं आशा करता हूं कि आज की बहस के बाद फिर से इस समस्या पर इस सदन में बहस करने की आवश्यकता नहीं होगी और इस का स्थायी हल ढूंढने की तरफ ध्यान दिया जायगा।

श्री मोहनभाई पटेल (जूनागढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात एक शान्तिप्रिय प्रदेश है। बाहर के बहुत से इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स गुजरात में आ कर अपनी इण्डस्ट्री लगाना चाहते हैं, क्योंकि हिन्दुस्तान में सब से शान्तिप्रिय प्रदेश गुजरात है। आज गुजरात में जो हो रहा है, उस से हम बड़े शर्मिन्दा हैं। गुजरात की अधिकांश प्रजा शान्ति चाहती है, लेकिन कुछ लोगों के इस आन्दोलन से एक महीने में दूसरी दफा हम को यह चर्चा यहां पर करनी पड़ रही है और यह चर्चा हम को यह बतलाती है कि इस सदन के सारे माननीय सदस्य इस प्रश्न को बड़ी गम्भीरता से देखते हैं और उस का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो चर्चा हुई थी और उस के बाद आज जो चर्चा हुई उस से सभी पार्टियों की नीति हमारे सामने साफ हो गई है। माननीय वाजपेयी जी का जो प्रवचन हम ने सुना, उस से ऐसा लगता है कि उन की पार्टी का अगर कोई व्यक्ति इस आन्दोलन से जुड़ा हुआ है तो उसे समझा कर वहां से निकाल लाने की पूरी कोशिश करेंगे। जब पहले इस विषय पर चर्चा हुई थी तो उस समय कहा गया था कि कांग्रेस के भी कई लोग इस एजीटेशन में शामिल हैं, लेकिन मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि उस चर्चा से पहले ही हमारी पार्टी ने ऐसे लोगों को दल में से निकाल दिया था। आज सभी पार्टियों का यह फर्ज है कि उनके दल के जो लोग उस में शामिल हों, उन को या तो समझना चाहिये और अगर वह नहीं समझे तो पार्टी से निकाल देना चाहिये। इस बात के लिए हम को तैयार हो जाना चाहिये।

आज जो आन्दोलन गुजरात में चल रहा है—उसके लिये बहुत से लोगों ने कहा है कि यह गुजरात में जो स्थिर सरकार चल रही है उस को तोड़ने का आन्दोलन है। यह आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वह सरकार खत्म नहीं हो जाती है। यह आन्दोलन सिर्फ मेडिकल में रिजर्वेशन के सवाल को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन आज जो बात सामने आई है—उसमें टोटल-रिजर्वेशन को दूर करने की बात कही गई है। उन लोगों का यह भी कहना है—यदि ये दोनों बातें स्वीकार कर भी ली जांय तो भी यह आन्दोलन खत्म नहीं होगा, वे फिर कोई और तरीका निकालेंगे जब तक कि गुजरात की सरकार टूट नहीं जाती, वे चैन से नहीं बैठेंगे। यह बात

हम सभी पार्टियों को गम्भीरता से सोचनी चाहिये, क्योंकि पहले जो तीन चुनाव आये, उन तीनों चुनावों में प्रजा ने मेन्डेट दे दिया और उसके बाद पंचायत परिषद के जो चुनाव हुए उनमें भी जनता ने मैंडेट दे दिया । वे सब एजीटेशन किसानों के नाम पर, रेम्यूनरेटिव प्राइसेज के नाम पर या मंहगाई के नाम पर जो हुए, उन सब आन्दोलनों में वे सफल नहीं हुए । इस लिए मैडिकल स्टूडेंट्स को अपना इंस्ट्रूमेंट बना कर के उस के पीछे और कई लोग काम कर रहे हैं । मैं यह अपील करना चाहता हूं कि अगर हम सब पालीटीकल पार्टियां जो यहां बैठी हैं, वे इस बात पर सहमत हों, तो यह एजीटेशन रुकना असंभव नहीं है । यह एजीटेशन रुक सकता है अगर दिल से सब चाहें, दिल से सब प्रयत्न करें । मेरा कहना यह है कि यह एजीटेशन गुजरात में सीमित न रह कर अभी पूरे देश में फैलने जा रहा है और बड़ा गंभीर प्रश्न यह अभी हो रहा है और आगे और भी गंभीर यह हो जाएगा । यह हम सभी जानते हैं और इसलिए मेरी यह अपील है कि अगर हम सब गुजरात में शान्ति चाहते हैं और पूरे हिन्दुस्तान में अगर हम शान्ति चाहते हैं, तो अपनी अपनी पार्टियों की पालीटिक्स और वाद-विवाद जो इस में डालते हैं, उसको छोड़ कर इस इशु को एक राष्ट्रीय इशु समझ कर सभी पालीटीकल पार्टियों के नेता मिल कर ऐसा रास्ता निकालें, जिससे यह रिजर्वेशन साथ में रहे और एजीटेशन खत्म हो । आज कांग्रेस (आई) इसके लिए काम कर रही है । पहले तो यह एलीगेशन लगाया जाता था कि कांग्रेस पार्टी अपने वोटों के लिए हरिजनों और आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन का ज्यादा काम करती है, वह सब कुछ अपने वोटों के लिए करती है लेकिन यह खुशी की बात है कि आज दूसरे जो लोग हैं, दूसरी जो हमारी पालीटीकल पार्टियां हैं, हमारी कांग्रेस रिजर्वेशन को जितना सपोर्ट दे रही है और पार्टियां भी उसको सपोर्ट दे रही हैं । श्री राम विलास जी हर दफा बड़े जोर-शोर से यहां पर बात करते रहे हैं जैसे हरिजनों और पिछड़े हुए लोगों की वे ही बहुत चिन्ता कर रहे हैं लेकिन मैं उन को बता देना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी जितना उनके लिए काम कर रही है, जितनी उनकी चिन्ता कर रही है, वह और पालीटीकल पार्टियों के मुकाबले में ज्यादा कर रही है ।

इसलिए मैं सब से अपील करता हूं कि गुजरात में और पूरे हिन्दुस्तान में शान्ति बनी रहे, इस के लिए हम सब प्रयत्न करें। इस हाउस का बड़ा असर पूरे हिन्दुस्तान में होता है। वह असर हम प्रस्थापित करें, यह बात कह कर बैठ जाना चाहता हूं ।

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO (Parvathipuram): I rise to speak on this subject. Let me first make it clear that my party has always taken a definite stand on this issue supporting the concept of reservations which has also been incorporated in the Constitution. It was out of historic necessity that these reservations had to be included in the Constitution. This concept had to be introduced because certain castes in our country have suffered for centuries. They suffered the wrath of feudal society and of economic exploitation and social degradation for several years. It was because of this that the founding fathers of our Constitution introduced this concept of reservations for certain backward castes and classes.

It has been 33 years since we achieved independence. I would like to know to what extent these disparities have been removed. I would like to know from the Home Minister whether he is prepared to lay a white paper on the Table of the House stating when these reservations were implemented, in which state, to what extent and in which areas. We shall be extremely grateful if you ask the Minister to lay a white paper to enlighten the Members of this House on these points. I would expect a specific reply from him as far as this is concerned.

To-day we have this problem between the Harijans and the down trodden castes and the rest of society. There are economic reasons for this. These people have been economically very backward and socially depressed for such a long time. Unless the economic condition of the Harijans and other

[Shri V. Kishore Chandra S. Deo]

backward classes is improved, this problem is not going to be solved.

Therefore, today, there is a lot of resentment amongst the unemployed youth in general and specially so amongst the Harijans, Tribals and backward classes.

The Government has to bring out some specific programme to give some sort of hope to these youngsters, the youth, about their future, about their employment prospects and about how they will be able to improve their economic condition. It is only when their economic condition improves will these disparities decrease.

As far as Gujarat situation is concerned, it has already been debated in this House. So, I do not want to repeat all that has been said during the earlier debate and also today regarding the causes or the reasons due to which Gujarat trouble sparked off. I also do not want to repeat about various atrocities that are being committed on Harijans. We have been reading about it in the newspapers and this House has also discussed it several times. I do not want to take the time of the House by repeating these matters.

What I would like to say about Gujarat is, after the trouble arose, what did the State Government do at that time. Some medical students wanted a seat for a blind boy who had secured more than 66 per cent marks. Later on, of course, they agreed to give a seat. Why was it not done earlier? At that time, the Provincial Armed Constabulary of Gujarat was also disarmed. As a result, the police were completely demoralised when the agitation sparked off. The police force had been completely demoralised. The Centre had completely failed to give support to the State Government in controlling the situation at that time The Ministers of the ruling party, both at the Centre and in the State were speaking in two voices. They were giving different statements publicly and also privately.

Just now, the hon. Member, Mr. Atal Bihari Vajpayee, read out from the Indian Expres a statement in which the leader of the agitators had welcomed a statement of the Prime Minister, I mean, about anti-reservation. This sort of a thing gives room for a lot of suspicion. The Government should not only be free from this kind of a suspicion but they should also appear to be free from this kind of a thing.

A lot of controversy has been going on between the Ministers of the State and also of the Centre, specially in Gujarat. I do not want to go into those details. It is not proper that this kind of personal feelings should be given vent to, specially in this kind of an agitation which is taking place.

Now, it has spead to Rajasthan. The whole situation, the law and order problem in the country, is being completely deteriorated and becoming explosive. The leaders like Mr. Jagjivan Ram and Prof. Kurien had also visited Ahmedabad and they reported that the situation continued to be grave. Even now the situation in Gujarat continues to be tense. The police firing is reported every other day. What have the Government done so far? It is not a question of only Gujajrat or Rajasthan. The entire law and order situation in the country has been deteriorating. Assam situation, for example, has been allowed to drift for a long time as a result of which we see posters in Karnataka asking non-Karnataka people to get out of the State.

What I am trying to say is that the law and order situation is getting explosive in the country. The Chief Minister of Maharashtra, the other day, received a Shiv Sena procession and also addressed them. There is no point in apportioning the blame to Opposition, as far as these things are concerned. This sort of an allegation can only be construed as an attempt to blackmail the Opposition at the expense of Harijans, Tribals and other weaker sections of people.

I would suggest that the Home Minister and the Prime Minister should take the Opposition into confidence and call for a meeting of the Opposition leaders, including other eminent citizens from different walks of life, to have a dialogue and discussion with them, to see that these problems are solved. This is not a party problem; this is a national problem. This kind of fissiparous tendencies will only lead to disintegration of the country and not to betterment and improvement of the weaker sections of the people in the country.

These are a few points that I wanted to make. With these words, I conclude.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अखबारों में पढ़ता हूं कि गुजरात में अन्दोलन चल रहा है, आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा है, मैं कहता हूं कि यह आंदोलन नहीं है, यह तो आक्रमण है, हमला है, इसको आंदोलन न कहिए, इसको आक्रमण कहिए, हमला कहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस में बैठने वाले लोग संविधान की मूल भावना के प्रति प्रतिबद्ध हैं । हमने जो मूल्य संविधान में स्थापित किए हैं, उन मूल्यों के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं और हम जानते हैं कि रोग क्या है और रोग का इलाज क्या है । रोग ला-इलाज नहीं है । अगर इसका इलाज करने का पूरा इरादा कर लिया जाए तो इस रोग को इसी वक्त खत्म किया जा सकता है । मैं एक बात उधर बैठने वाले माननीय नेताओं से कहना चाहता हूं कि वे जब बोलें तो भाषण की कला का उपयोग न करें और यह न कहें कि आरक्षण पर कुछ विचार होना चाहिए, बातचीत करिए । विचार क्या करना है ? जो भावना संविधान में है, उस भावना को हमें अमल में लाना है और हम अमल में ला रहे हैं, इसके लिए हमें त्याग करना होगा । हमने कई वर्षों तक, शताब्दियों तक उन लोगों को दबाए रखा, उनका शोषण किया, उनका दमन किया, हमें त्याग करना होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई कहता है कि गुजरात के मामले में समझौता होना चाहिए, मैं कहता हूं कि समझौता क्या होता है ? सिद्धांतों के आगे समझौता नहीं होता । गृह मंत्री जी एक बात समझ लें कि सिद्धांत जहां है वहां समझौता नहीं हो सकता । समझौता संविधान में कर लिया है और उस समझौते के प्रति हम प्रतिबद्ध है, उसके अनुसार चलना होगा । रोग फैल रहा है, डाक्टर धीरे-धीरे निदान सोच रहा है, निदान सोचने की जरूरत नहीं है । निदान हमारे संविधान में लिखा हुआ है, मैं उसी के अनुसार चलना है ।

उपाध्यक्ष महोदय, 5 जनवरी से यह आंदोलन चल रहा है । अखबार में मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा दुःख हुआ । महसाणा जिले के बीजापुर तालुका में एक गांव, जिसका नाम डेटरोज है, उस गांव के अंदर 7000 लोग रहते है और उसी गांव के अंदर 500 घरों की एक हरिजन बस्ती है । लोगों ने उस बस्ती को जला दिया । वहां पर क्या नजर आने लगा--आग, मलबे, राख के ढेर और उड़ते हुए पंछी और 2-4 पुलिस कर्मचारी । क्या कारण था कि पक्षी भी उस जमीन पर रहना नहीं चाहते थे । इस तरह से उस बस्ती पर अत्याचार किया गया । किसने किया यह अत्याचार ?

उपाध्यक्ष जी, अगर मजबूती के साथ कदम उठाए जाए तो इस रोग का निदान हो सकता है। हम किन से बात करना चाहते हैं, क्या समझौता करना चाहते हैं । मैं कहता हूं कि सरकारी कर्मचारी यदि सरकार में रहते हुए कर्मचारी की अवहेलना करते हैं जो ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त कर देना चाहिए । कौन सा एस. पी., कलेक्टर या कौन सी पुलिस है जो आंदोलन को रोक नहीं सकती । इसका दमन करना होगा और आज रात को ही करना होगा । यहां बैठकर बिद्वतापूर्ण डिबेट्स हमारे डिस्कशन, हमारी बहसें, क्या ये हमारी समस्या का निदान है ? इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता । यह तो नेशनल हिस्टोरिकल नेसेसिटी है, नेशनल कमिटमेंट है, कांस्टीट्यूशनल आब्लीगेशन है । इस पर कोई विचार नहीं हो सकता ।

(श्री मूल चन्द डागा)

उपाध्यक्ष जी, गांधी जी ने कहा था कि मैं तब समझूंगा जब भारत का राष्ट्रपति एक हरिजन कन्या को बनाया जाएगा । महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं पुनः जन्म लूं तो हरिजन के घर में जन्म लूं । यह था गांधी जी का दर्शन । इस वास्ते जो नीति हमने बनाई है उस पर हम को दृढ़ रहना चाहिये ।

आप इन आंकड़ों को देखें । मुझे दुख होता है । क्या हमने इनको दिया है ? मैडीकल कालेजों के अन्दर 106 प्रोफेसर हैं जिन में से केवल एक हरिजन है । एसोसिएट प्रोफेसर 101 हैं जिन में से केवल एक हरिजन है। 297 असिस्टंट प्रोफेसरों में से केवल पांच हैं। 237 ट्यूटरों में से केवल पंद्रह ट्यूटर ही हरिजन हैं । इस प्रकार से 737 में से केवल 24 हरिजन और आदिवासी हैं । हम को हिम्मत करके बात कहनी चाहिए । हम लोगों ने अपने कदम मजबूती के साथ नहीं उठाए । आज अनुसूचित जातियों, जनजातियों का स्वाभिमान जागा है, आत्म सम्मान की भावना उन में पैदा हुई है, संविधान में दी गई गारंटी की रक्षा करने की बात उन्होंने कहनी शुरू की है । वे भी भारत के नागरिक हैं । जीने को तो सब जीते हैं लेकिन स्वाभिमान से जीने, गौरव के साथ जीने को ही जिन्दगी कहते हैं । ओपिनियन बनने की बात, नैगोशिएशन की बात का क्या मतलब है ? बार बार कांग्रेस ने कहा है और उसकी नीति भी है, कि उनको हमें ऊपर उठना है । पांच फरवरी को मंत्री जी ने वक्तव्य दिया था । मैं उसको दोहराता हूं । उन्होंने कहा था :

"Government made it clear that abolition of the principle of reservation for Scheduled Caste and Scheduled Tribe students was not negotiable."

This was the statement which was given by the Home Minister on 5th February.

आप--समझौता करेंगे ? आप कहते हैं यह नैगोशिएबल नहीं है ।

जहां तक पुलिस कर्मियों का सवाल है मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम यह जो दीवाल है इसको तोड़ नहीं सके हैं, हरिजनों और स्वर्णों के बीच की दीवाल को तोड़ नहीं सके हैं, अभी हम उनका प्रेम नहीं जीत सके हैं, उसमें विश्वास की भावना पैदा नहीं कर सके, उनके मन तक पहुंच नहीं सके, उनके घरों में जा कर उनके पास नहीं बैठे हैं । हमने केवल वोट की राजनीति के आधार पर यह आरक्षण दिया है । हमें उनके घर जा कर उनके दिलों को जीतना होगा । दुनिया में कौन सी चीज है जो प्रेम से नहीं जीती जा सकती है ? इसने क्या, पशु पक्षियों को जीता जा सकता है, शेरों को भी पाला जा सकता है । तीस साल बाद आरक्षण पर पुनर्विचार की बात समझ में नहीं आती है । क्या तरकीब से कहा जाता है पुनर्विचार होना चाहिये । वे डाक्टर बनना चाहते हैं । उन्होंने यह सब किया है । क्या वास्तव में वे मैडीकल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस तरह की कार्यवाइयों में भाग लिया है ? इस में हम को जाना होगा । आग भड़काने वाले कौन हैं ? ये वे लोग हैं जो वोट की राजनीति करते हैं । हम को राष्ट्रीय एकता कायम रखनी है, अखंड रहना है । हिन्दुस्तान के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि राष्ट्रीय एकता को वह बनाए रखे । यह तब बनेगी जब हिन्दुस्तान का रहने वाला जो गरीब आदमी है, उसके प्रति हमारा प्रेमभाव पैदा होगा, उसको आदर मिलेगा, उसको विश्वास होगा कि वास्तव में हम उसका भला चाहते हैं और स्वाभिमान से वह जिन्दा रह सकता है । वे उठते हैं तो उनको उठने दो उनमें योग्यता अपने आप आ जाएगी । वह पढ़ा लिखा होगा तो सन्तान भी उसकी ज्यादा अच्छी होगी । वे पीढ़ियों से, सदियों से, चार सौ साल से दबे हुए हैं, आर्थिक संकट वे झेलते आ रहे हैं । उनको ऊपर उठने का मौका मिलना चाहिये ।

यह कहा जाता है कि मिडल स्कूलों में वे नहीं पढ़ते हैं, वे योग्य नहीं हैं । मैं कई बार कह चुका हूं कि क्या पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला आदमी कलेक्टर बनेगा और सादे स्कूल में पढ़ने वाला चपड़ासी बनेगा ? यह चीज आपको शोभा नहीं देती है । बात धीरे धीरे नहीं बनेगी । तेजी से काम करना होगा । अच्छा हुआ कि हरिजन आज अपनी हिम्मत के बल पर

आगे बढ़ रहे हैं । देश उनके साथ है । कांग्रेस का तो हमेशा से यही कर्म रहा है, धर्म रहा है और आज भी है । यह हमारी भावना है कि हम लोग कांग्रेस के लोग हरिजनों के साथ रहेंगे, उनके साथ खड़े होंगे और उनके हितों की रक्षा के लिए अपनी जिन्दगी दे देंगे । कहीं की भी मिनिस्ट्री में आप देख लें, यहां केन्द्र में भी जो मिनिस्ट्री बनी है उसमें हरिजन और शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के काफी लोग हैं । मुझे इस बात का गर्व है । यह आवाज जो आती है आप अपने दिल को टटोलें क्या आवाज आ रही है। हम अपनी गलती को मानते हैं, हमारे गृह मंत्री जी रोग को जानते हैं उनको इसका इलाज करना चाहिये और इनको वहीं गुजरात में जा कर रहना चाहिये जब तक वहां शान्ति न हो जाय और इस को दबाने के लिये अपनी पूरी ताकत लगायें । नये-नये डाक्टर बनेंगे, कहते हैं हम आपको निदान बताते हैं । आप क्या निदान बतायेंगे ? संविधान हमारा मौजूद है उसी में इस समस्या का निदान है । यह रोग मेरे जिले और राज्य में भी फैल रहा है, मेरा जिला गुजरात से लगा हुआ है । मैंने कहा यह रोग क्यों फैल गया । यह फैलाने वाले कौन हैं, मैं जानता हूं । युवक कौन होते हैं यह भी मैं जानता हूं, और इसको कौन आगे ले जा रहे हैं यह भी मैं जानता हूं । फलना और आबू में जो घटना घटी है उसके बारे में मैंने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, जो भी आरक्षण विरोधी तत्व हैं उनको जेल में उसी वक्त बन्द कर दिया जायगा । यह आन्दोलन नहीं चलेगा, बन्द कर दो इनको ।भाषण दिया कि हमें सब को मिल कर बात करनी चाहिये । कौन सी बात करनी है ? संविधान है जिसकी शपथ सब ने खायी है, संविधान के जो आर्टिकल्स इस बारे में है उनकी मानिये और देश को आगे बढ़ाइये, यही मेरा कहना है । एक बात और याद रखिये कि आरक्षण के मामले को समाप्त करने से कोई यह समझे कि बेरोजगारी खत्म हो जायगी, यह भी गलत है । जो बात आप कहते हैं वह मुझे बिल्कुल पसन्द नहीं है । अपना अपना तरीका होता है राजनीति में अपनी बात को किस प्रकार रखना चाहिये । मैं तो यही कहता हूं कि जो कुछ आप कहते हैं अगर वह आपके दिल की आवाज है तो लोग अपने आप आपके पीछे आ जायेंगे । इसलिये यह प्रस्ताव है, हम प्रतिबद्ध है । हम अपनी कमजोरी मानते है कि सख्त कदम नहीं उठाया । आप मिलिटरी लगा दीजिये, कुछ आदमी मर जायें कोई परवाह नहीं लेकिन यह आन्दोलन पनपना नहीं चाहिये, यही मैं चाहता हूं ।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): This House has got certain conventions developed over the years. Sir, whenever there had been an aggression on the country, this House has risen like a man and I am sure in the present crisis, when the weaker sections of the society are involved, whether we belong to this side of the House or we belong to that side of the House and no matter whether one Party is in power or the other Party is in power or whether one Party is in the opposition or the other Party is in the opposition, I hope and trust we will rise like one man and stand by the weaker sections of the society not only in Gujarat but elsewhere also. Sir, last time, I had said that what had happened in Gujarat was a thin end of the wedge. The aberration will not remain restricted only to Gujarat, it will go to the other parts of the country. It is not an aberration of one particular state but it is an aberration of mind. Mind is not restricted to a State but it gets engulfed to the entire country and that is what has happened to-day; it has gone to Rajasthan; it has gone to Uttar Pradesh and it is likely to go to other parts of the country and, therefore, it is very necessary that we look at the entire problem as a national problem and, in the perspective of a national problem, we try to solve this issue.

19 hrs.

Sir, as far as this problem is concerned, I wish to make it clear that when I say that all parties should take it as a national outlook, as far as we are concerned, we have made it explicitly clear that the commitment to the policy of reservation is a historical necessity; it is a national commitment and it is a constitutional obligation. I

[Prof Madhu Dandavate]

fully agree with my friend, Shri Daga that all of us when we have entered this House have taken the pledge to abide by the provisions of the Constitution. Therefore, we have to uphold this Constitution. Since we have to uphold the Constitution, we have to stand by the commitment to the Constitution and we have also to stand by the interpretation of various provisions of the Constitution. These were controversies regarding reservations and those controversies have gone to the Supreme Court. Let us not forget that the Supreme Court has also given their judgment and when we say that we are committed to the constitutional obligation, we are also committed to the interpretation of the constitutional obligations in this country and, therefore, we stand by that commitment also.

Sir, very often, it is pointed out that it is not only the caste aberration but also economic problem. That has to be taken note of. All I wish to bring to the notice of this House is that leaving aside only a microscopic minority, I dare say, that as far as scheduled castes are concerned, the caste is co-terminous with the oppreassed class. That is the essential feature of the scheduled castes. To say that by getting certain jobs the scheduled castes have been converted into an elite I think is again a distortion of facts. Scheduled castes have not been converted into an elite class; they continue to be co-terminous with the oppressed-class in the society. Therefore, as far as the scheduled castes are concerned, I do not distinguish between the economic aspect and the caste aspect at all and, therefore, that particular point has to be noted completely. This is another aspect. There are certain class aspects on our politics and on our economics. But, as far as their sociology is concerned, some people, no matter whatever be their economic status, certainly feel that stigma is attached to them by dint of their birth. It is this policy based on birth which has to be destroyed and we are determined to see that caste policy based on the birth is destroyed irrespective of whatever resolution or motion we may adopt in this House. Unfortunately, in the Hindu Society, people tell us that what is written in the Gita, in the Upanishads or in the Vedas is the quintessence of Hindu religion. But, let me say on behalf of the Scheduled castes in this country that they do not understand the quintessence of Hindu religion through the message of Gita, through the message of Upanishads or through the message of Vedas but they understand Hindu religion by the manner in which the members of the Hindu society behave with the population in the rural and urban areas. That is how they understand the Hindu religion. They do not understand the Hindu religion on the basis of the scriptures; they understand the Hindu religion on the basis of the behaviour of the upper class Hindus with the scheduled castes in this country. So that particular aspect has to be taken note of I am sorry that I find that some sections of the Hindu religion give up this religion and accept some other religion. That is how their Problems are solved I say that they are not solved even when they become Buddhists because they say that these are scheduled Castes Buddhists; even if they become Christians, they are told that these are caste-Hindu Christians; these are scheduled castes Christians. Even when they embrace Islam people do not forget that they are those Muslims who have come from the scheduled castes. So that stigma that is attached by birth does not get erased at all. Our society, particularly Hindu society, is based on Chaturvarnya. If one is born in one partcular community then he is destined to take a broom-stick in his hand and sweep the roads; if he is born in one particular community and caste then he is destined to take a barrel of a gun and become a warrior; if he is born in one particular community then he is supposed to become a pandit. He is supposed to become a pandit no matter whether he has knowledge or not but because he is born in one particular community he is supposed to be a learned man. Because he is born in a particular

community he is destined to purchase the Special Bearer Bonds. That is how certification takes place and unless we try to destroy chaturvarnya whatever legislation you may have and whatever constitutional amedments you may make and whatever historical necessity you accept it will not be possible for the scheduled castes to get justice. Therefore, let us try to go to the root of the problem and destroy the system of Chaturvarnya which is at the root of the entire injustice to the society. That is what I want to say.

Let me point out one more aspect to which I had made a reference last time. Sir, it is no more a problem of admission to the post-graduate medical courses. It has extended to the job opportunities also. I will repeat what I said las time. Equality of opportunity will not be able to give benefit to those who have lagged behind for centuries and centuries together. They are to be brought at par with others by giving them perferential opportunities. While giving them preferential opportunities some other sections may suffer but we have to suffer for the sins which we have committed for thousands of years and for that if we suffer we should not be sorry at all. We should not have a feeling of anguish. Rather we feel that we are getting rid of the sins which we committed for thousands of years. Therefore, preferential opportunities to the oppressed sections of the society are highly necessary from the sociological point of view. In the field of Sport if there is a handicap race in sociological field also handicap race in the society has to be admitted. That is why these preferential opportunities.

Sir, wrong figures are quoted and I would like to put the record straight. From the time this particular reservation system in the post-graduate scheme of medicine has been introduced actually 857 seats were available and out of that only 37 seats have been actually filled up. Out of 857 only 37 were available and, as such, 37 have been filled up.

Now, this point has to be explained to the youth. I do not blame every section of the youth because sometime they are misguided. There are certain prejudices. There are frustrations due to unemployment. All those problems are there and whenever they are frushrated with employment they try to seek solace in temporary solutions not realising that in trying to have temporary solutions they are trying to create problems for eternity. Now that particular aberration is there. That has to be removed and for removing that one particular aspect is to be noted. Very often, a campaign and a slanderous campaign, goes on to the effect that when Scheduled Castes and Scheduled Tribes are given certain opportunities, in that case, the quality suffers. Sir, at one stage fortunately or unfortunately I happened to be a Railway Minister and I know how many accidents have taken place and I had carefully gone into the figures to find out who are responsible for these accidents I would like this Government to go and examine the statistics and they will know the situation. Were the Scheduled Caste drivers responsible for these accidents? No. They will not be able to justify that at all It is only a false and slanderous campaign which is being carried on Sir, if one happens to be absent-minded, he is absent-minded, whether he happens to be a Scheduled Caste or a Professor. And, Sir, a Professor is supposed to be proverbially absent-minded.

MR. DEPUTY-SPEAKER: With the exception of Prof. Madhu Dandavate?

PROF. MADHU DANDAVATE: No, Sir, I don't want to exclude myself also. Therefore, Sir, as I was pointing out, this wrong campaign is going on. I demand: Have a statistical study. Have a sociological study. Try to find out how many patients have died at the operation table because the doctor or the surgeon happened to be a scheduled caste or a scheduled tribe person. Try to find out how many accidents were there because the driver happened to be a scheduled caste or a scheduled tribe. You will find that these statistics will not justify the types of slanderous campaigns that are going on against the scheduled

[Prof. Madhu Dandavate]

castes and the scheduled tribes. And therefore I would demand this. There is a Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission. It has already been appointed. Let that Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission go into this problem. Let them also go into the problem in Gujarat and elsewhere, how many people have been killed, which are the sections that have suffered the most when a clash takes place. When there is a clash with the police, the police try to fire; sometimes there is resistance; some police might be hit. Try to find out in all these disturbances which are the sections that have lost the most. It will be an interesting study. Let the Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes do that. Let there be one more effort at the national level by the Government. There are various parties As rightly pointed out already, the policy of reservation has not been effectively followed all over. Try to find out how the reservation polices are implemented in the different States. And you will find the need for streamlining and rationalising the reservation policy in different States. The policy is not at all rational. It is not streamlined. There is need for that. And if anybody demands that there should be a streamlining and rationalising of the policy of implementation, it should not be construed to mean that one wants to do away with the reservation policy, but what he wants is only to know how it is implemented, whether there is any lacuna, whether there are any anomalies—these have to be investigated. And a policy has not only to be laid down in the Constitution, but, it has to be effectively implemented.

Sir, I shall conclude by reminding this House about a monumental book, the book on Mahatma Gandhi, written by his former Secretary Pyarelal. He has written a beautiful preface to his book. And in that book he says that when some distinguished dignitaries from other parts of the world come over here, they are taken to the Ganhiji's Samadhi, they see various projects, they see the five-star hotels. This is what Pyarelal, Gandhiji's Secretary has written in his Preface to the book 'Gandhiji—The Last Phase'. While they return back to their country, they say, 'We have seen India; but where is Gandhiji's India? When these visitors visit Gujarat, Rajasthan, U.P., Bihar and other parts of India we do not want these tourists to go back to their countries and say 'We have seen India, but where is Gandhi's India?' Let us show them the whole India of Gandhiji. Madam Gandhi, I am not referring to you, I am referring to Mahatma Gandhi. When they go back from this country let them go back and say: 'We have seen Mahatma Gandhi's India. We are proud of Mahatma Gandhi's India.'. So, let that be the message when the tourists go back from our country. And if that is to be done, the policy of reservation which has been the national commitment of all the parties has to be effectively implemented, that has to be rationalised, that has to be streamlimed and I hope and trust that without any barriers of political parties in this House, when we close this discussion, we will adopt some motion unanimously which will reflect the unanimous mind and the national mind of the Lok Sabha represents the national sentiment of the country.

SHRI R. R. BHOLE (Bombay South Central): Sir, I am very happy to see that on this question of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the House is almost unanimous. Sir, the question before us and also before the country is not as narrow a question as this question regarding reservations for those weaker sections. The important question which is very important and serious one. Are we in this House and in this country to raise the standard of the 60 per cent of the people who belong to poorer and weaker classes? Are we now going to raise their standard of living, their economic and social conditions and educational standards? Another point in issue is: do we want to keep up the national integration, the national unity as before or not? So much atro-

cities are committed on these poor and helpless people in the villages as also in towns. We would like also to know whether the scars which are left in the minds of the large sections of the people in Gujarat and elsewhere would be allowed to remain or would not be allowed to remain. These are, in my opinion, some important questions which the Government has to consider. We are bound to raise their standards in respect of their social, educational and economic status. The founding fathers had drafted the Indian Constitution keeping all these important points in mind and it was also the view of Pandit Jawaharlal Nehru when the amendment to our Constitution was made with the addition of Article 15(4). The question, therefore, as to whether we owe allegiance to the Constitution or we do not owe allegiance to the Constitution is also involved. All these questions or issues are to be thrashed out and solved. I am glad to know that these questions are tackled harmoniously in this House and everybody appears to be of the view that these poor and downtrodden sections of the society must be elevated to the level of other people.

Sir, there is a whispering going on in this House. In fact a propaganda is going on that after 10 years the Scheduled Caste people in all the services in the Government organisations will be over represent and then the general category people will no more be in the services. At the outset I must say that the Scheduled Caste employees in the Government services are perhaps not more than 3 per cent or 5 per cent. So far as the number of Scheduled Caste people employed in various Government organisations is concerned, it may hardly be 0.1 per cent of the total population of the Scheduled Castes. I will now give the figure as to what exactly the progressive representation of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people in Central services are during the period from 1965 to 1978. In so far as the Central Government services are concerned, the percentage in the Class-I posts of the Scheduled Castes is concerned, it was 1.64 per cent and for the Scheduled Tribes, it was 0.27 per cent. In class II, the representation of the scheduled castes was 2.82 per cent and that of the scheduled tribes. 34 per cent. In Class III, it was 8.88 per cent and 1.14 per cent and in Class IV, it was 17.75 per cent and 3.39 per cent respectively. This was the ratio, from which one could easily conclude that it was nothing, almost zero. What is the state of affairs now as on 1-1-1978. In Class I services, the representation of the scheduled castes is 4.75 per cent and that of the scheduled tribes is .94 per cent. In Class, II, the scheduled castes are 7.37 per cent and scheduled tribes 1.03 per cent. In Class III, the percentage is 12.55 and 3.11 respectively. In Class IV, the representation of the scheduled castes is 19.34 per cent and that of the scheduled tribes is 5.19 per cent.

I must also bring to the notice of the House the representation of these people in the public sector till now. I have got the figures as on 1-1-1978. The representation of the scheduled castes in Class I posts is 2.35, in Class II 4.22, in Class III 16.73 per cent and in Class, IV, it is 23.75. The representation of the scheduled tribes in Class I posts is 0.52 per cent, Class II .95 per cent, Class III 7.80 per cent and in Class IV, it is 9.51 per cent.

Thus, it will be seen that the representation of these weaker sections of people even after a period of 33 years of independence is almost 5 per cent or 4.5 per cent in the various classes. Therefore, the propaganda that is being carried on that in ten years time, the scheduled castes and scheduled tribes will be all over and the others will be nowhere is a vicious propaganda.

There is another point which I would like to mention and that is about the reason for this violence which is taking place in Gujarat. The Gujarat Government has almost solved all the problems that were facing the medical students. I do not think there is anything left now to be solved so far as the issues that were raised

[Shri R. R. Bhola]

by the post-graduate medical students are concerned. But it dose appear that there are some anti-social and anti-national elements who are interested in seeing that nothing is given to these classes, or that the Government should be defamed. That is the reason why violence in these days is being committed in villages. Violence is not committed by these medical students I am sure, the violence is also not committed by the college students. What have the villagers done? They are not students in the medical college or in any college. This violence, atrocities, burning of the houses of the poorer sections in the villages is not by the post-graduate medical students or some other students, but by some elements who are interested in seeing that the solidarity of our nation is violated by caste war. I must also bring to the notice of the House that there is social boycott of these weaker sections in some of the villages of Gujarat. I think it is high time the Government of Gujarat takes up this issue, because such boycotts can easily be said to be an offence committed under the Protection of the Civil Rights Act But uptil now at any rate the report is that no such offences are registered against the villagers who are socially boycotting and killing these people. These are the matters, Sir, which I thought, I should bring to the notice of the House. But at the same time we must see that this national solidarity remains, this national integration remains, these poor people are brought to the level of the other better people; and until and unless these reservations are there for some time, these poorer people will never be able to rise to the level of the others. Otherwise, if they are not allowed in any educational institution, it is possible Sir, these people will Start thinking that the old era of Manusmriti is coming because we are not allowed to join any college or any school. The sort of mental attitude and suspicion should not be allowed to grow amongst these weaker sections. Sir, I know this House has taken up this problem very seriously. It will tackle also very tactfully and see that these poorer and downtrodden sections do not suffer the violence and hadships which they are at present suffering. Sir, I have done

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I believe that there is an exercise underway to enable this House to adopt a unanimous resolution and I hope that the effort succeeds. I see quite a number of drafters at work, and I hope the effort succeeds. In that case, I think very many speeches are now no longer required. It is not the first occasion when the Fundamental Law of our land as enshrined in our Constitution is being challenged by the thousand-year old Law of Manu. This is not the first time when it has happened in our country. Sir, the roots of this problem have been spoken about here by so many Members. The roots are not to be found in this question only on reservation of jobs the roots lie in social nad economic oppression. And I am acutely conscious of the fact that this social and economic suppression, oppression, exploitation which exist in our society are not going to be overcome in a day and it is not going to be solved even by a resolution of this August House. But the compulsion of the moment is that fire is burning, a conflagration is going on in the Western part of our and North Eastern part of our councountry and it is our bounden duty to do everything possible to see that that conflagration is put out.

Something happened in the Eastern and North Eastern part of our country, which has still not subsided, which has been going on and on for over one and a half years. I do not go into the merits of that question, but there is no doubting the fact that it is something which has threatened the concept of national unity and national integrity that we all cherish. And now at the other opposite end of the country, on the Western side, we find something similar happening, taking up a different kind of issue. Sometime when passions cool down, may be, you should do some assess-

ment, some study of the fact of how it is that for example in Assam this issue, which later became such a big issue of agitation, the so-called foreigners' issue, was never raised till 1980. Elections were held in 1977, Assembly elections and Lok Sabha elections were held in 1978 on the basis of the same voters' list. Nobody ever raised this question of foreigners, and raised it to the level of a State-wide disturbance. But suddenly from 1980 it began.

This question of reservation in post-graduate medical colleges is also, as you have heard here, something which was introduced by the Janata Government in 1975. Then how is it that nobody picked it up and made it into such an issue of conflict and clash till 1980? So, I suspect very strongly—and I have no means of proving it; but I suspect very strongly—that it is not simply just a matter to be studied on the surface. There are some forces at work in our country—we have said it here many times before—who are out for destabilization, for wrecking the unity and integrity of this country. And there may be internal forces; there may be external forces at work also.

I must say one thing which, I hope, will not be taken amiss. At this particular moment when the fire has been lit in Gujarat, and the fire is burning and attempts are made to spread the fire even into adjacent States like Rajasthan and so on, with all due respect to the Prime Minister, I don't think that this was the correct moment for her to come out with the statement about merit, and the fact that we are always for merit also; we don't want to denigrate merit. Who wants to denigrate merit. Nobody. But this statement in which she has said, "this reservation was meant to be a sort of a crutch to help weak people to walk; but we should not get used to crutches for all times to come, etc."——well; it is all right, of course, in theory. I am sure the people who are concerned themselves don't want the crutches for all times to come; they want to come up to a status of equality with other people and throw away those crutches. But let us be practical. Is there any such prospect, realistic prospect in the near future? Can you see it before you? It will take a good long time. So, I would have preferred it if the hon. Prime Minister had said this some other time. Yes; some other time she could have expressed these thoughts. Why I am saying this, is this: at this particular moment her coming out with this statement may be misused and distorted by people there who are interested in keeping this trouble going. If they are only temporary crutches, well, why not try to see that these crutches are done away with? But this House at least—whatever anybody may say outside—cannot, under any circumstances, make any sort of a compromise with any question of diluting or weakening or giving up of the policy of reservation which has been adopted in the Constitution and by this House. As was mentioned here, some years ago, *i.e.*, 18 or 19 years ago when the aggression had taken place, we adopted a resolution, with everybody standing. We passed a resolution standing here, and took a pledge in 1962; and it is my humble request—you may ignore it—that at the end of to-day's discussions we do the same and adopt a resolution which, I fervently hope we will be able to do. Here too, as aggression is being committed. A war has been declared against the Harijans, scheduled tribes and the poorer sections. Then let us, to-day also, give some encouragement and strength to those people by passing that resolution, with everybody standing up in this House. I would suggest that, humbly.

Now, the figures have already been given. I do not wish to repeat them about the actual state of affairs in Gujarat as regards these reservation of seats; and how ridiculous the position is. Anybody can say that they have been threatened, swamped by Harijans or CS & ST people. Only 25 per cent of seats, 110 seats out of

(Shri Indrajit Gupta)

347 in the Post Graduate courses were kept reserved; and out of them, as somebody said here, only 37 seats have been filled and the rest has been added to the general quota. Out of 737 posts of Professors, Assistant Professors, Associate Profesors and Tutors in five medical colleges, only 22 are held by SC people and 2 are held by ST people. This is the reality; and on the face of it, I am afraid, I cannot approve of the attitude of the State Government; on the fact of these facts, I cannot approve of the action of the State Government in trying to appease these agitators by giving them farther concessions, in doing away with all that, what is transferability and carry forward and all that which were all there. It has not helped to quieten the agitation. In fact, some people feel that by their agitation we have been forced to give certain concession; if they intensify this agitation, they will get some more. So, this policy of appeasement is no good and I certainly condemn it.

Mr. Vajpayee had mentioned this fact. I am also going to mention it and then you can see how the chauvinistic feeling of some upper class is; how far it has gone. They object to these reserved seats, but they do not object to what are called donation seats, which are given by doners by paying money; they do not object to that? (*Interruptions*). They only object to the seats which are kept reserved for SC&ST people. (*Interruptions*) That is exactly what I say.

The state of administration there, of course, should be explained to us in more detail by the hon. Home Minister. What is going to happen now? Can we rely on this administration and the condition in which it is to handle this situation? Mr. Daga had made very serious charges there about various bureaucrats, officials, police officers and others who may be actually colluding, because this is not our first experience of riots and disturbances. Weaker sections, Harijans, and Muslims know to their cost that in all cases when such circumstances develop, how at least a part, I do not say the entire administration, but certainly a part of the administration and certainly the police force do not play a role which they are supposed to play in the Secular States. The same thing is found by our people who have been there. Mr. Bhupesh Gupta also went there personally. He had heard endless complaints about how some incidents took place which were situated a long distance away from the Harijan *bastees* but the police had gone to those *bastees* and beaten up people there and arrested them. I, as a trade unionist, am also deeply distressed by the fact that the workers have been so seriously divided that the Ahmedabad textile mills came to a stop because all the workers of the Spinning Department who happen to be Harijans refused to go to work, because there was no protection. They said, "Until we get protection and normalcy is restored, we cannot go to work in the mills." Almost the entire labour force of the Spinning Department in the various textile mills stayed at home and could not go to work and as a result of that, the mills were closed.

Normally, of course, when production in the mills gets interrupted by such factors, then the mill-owners are very anxious to see that somehow or other normalcy is restored, because they suffer some loss because of that. But this time I find that nothing is there of that sort. Nobody is bothered about it. Some suspicion is definitely aroused.

I was very agreeably pleased, I should say, to hear the speech made today by my friend Shri Atal Bihari Vajpayee, and I wish that the sentiments which he expressed here and the appeals that he made here were also faithfully followed by the followers of his party down below. I am not saying that for scoring a point.

We have got our own reports. Our people are there. Our people have visited those areas. I do not doubt Shri Atal Bihari Vajpayee's honesty or veracity at all in this matter and I am very glad that he has spoken. the way he spoke. But you see that in all parties there are people who do not follow what their leaders say. All I am saying is, here a fire is burning; a fire is burining. Thercore, I would be very happy if what he has said here is really followed by his followers down below. Because that is not our report at all.

This problem of some posts and some seats and all that is not going to solve this problem. That is all I wish to say. It is a much deeper problem, social and economic problem in our whole society and there is a type of informal reservation of seats also which is not sanctioned by law or by Constitution but there also we find that the same mentality operates. Can I give you two examples of Scheduled Tribes and Adivasis, particularly of the Santal Paraganas and Chota Nagpur of Bihar? You see, there is an agreement there that if the lands of these people are acquired in order to construct a project, a public sector project or a something, then, at least apart from compensation that is given for the land which is statuorily given, at least one member of each family which is dispossessed will be given a job in that project. That is a type of—you can call—reservation. It is a sort of promise of reservation without any law behind it to justify it.

Recently, a couple of weeks back, an incident took place at Balrampur, in Hazaribagh District firing took place and people were killed. It is only due to the fact that the Central Coalfields which is a public sector undertaking and which is a party to this agreement, decided not to implement it. Naturally, people get excited and agitated and there was some trouble and firing took place and people were killed. And in the Eastern Coalfields near Lalmati they are carrying out this agreement faithfully. Somebody here decided that they would not follow it up.

What is happening in Jameshedpur? There are 10.000 contract labourers. The point is, they are Adivasis and tribals. They are scheduled Tribe people and their welfare has to be looked after by our Government. There was an agreement signed in Jamshedpur by all the managements, of TELCO, Tin Plates TISCO; everybody is a party. I have a copy of the agreement with me, signed by them, that in those jobs which are permanent jobs, of a perennial nature the contract labour will be absorbed as regular workers, in those jobs. TELCO has formally carried it out, Tin Plate has carried it out, the Tube Company has carried it out. But Mr. Rusy Modi, Managing Director of TISCO, he refuse to carry it out. They are Adivasi workers. It is some type of employment opportunity opening for them. They are getting agitated. Police did a lathi charge. Our veteran Kedar Das died as a result of it. Is it a joke or what? Whom does this Rusy Modi want to win over? Is he trying to win the Government over, or Mrs. Gandhi over by issuing a statement? "Out. It is all a conspiracy of the Communists." The Adivasis, poor down-trodden contract workers are wanting to get the jobs which they were promised and Rusy Modi, because he is the boss of Tatas the Government is afraid of laying a finger on him and he is allowed to get away with this kind of contemptuous attitude towards these Adivasis and Scheduled Castes people. A debate or a resolution here may not solve the problem, but all we can do, is, let us pass a resolution. That is good, as far as it goes.

I do not want to take more time, but I will end by making two suggestions. One, I have said already. If you adopt a resolution, please consider at least whether we should pass that resolution in all due solemnity by

(Shri Inderjit Gupta)

standing up, as we did at the time of the Chinese aggression. I also consider this to be an aggression on a huge section of our people who happen to be downtrodden.

Secondly, I endorse the suggestion made by a member over there that instead of each of us belonging to different parties visiting Gujarat separately and coming back and issuing a press statement or holding a press conference—you cannot prevent anybody doing that, but why not for a change—I would have liked it to have happened in Assam also last year, if we could have done that—let the top leaders at the national level of all those parties who have got a firm commitment to secularism and to those principles which are enshrined in our Constitution, who are for national unity and integrity, let all those leaders from that side and this side—I am prepared for it; our party is prepared for it—let us go together in one common mission or group to the affected spot. Let us go together and appear before the people together and appeal to them. What will they do to us? Will they attack us? Let them attack us. Will they throw stones at us or beat somebody? We should say, we are prepared for it. But if we go there together and tour those affected places together like that—please don't say 'security', this and that; Mahatma Gandhi had the courage to do this kind of thing all by himself when there used to be trouble anywhere—if we go together, I am sure it will have a big, decisive impact on the people. It will be possible to isolate the real people who are trying to create trouble and it will make sense to the general mass of the people who are good people—some of them may be misled—but peace can be restored; normalcy can be restored. I would commend from my party that course of action for all of us to follow.

डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी (सीतापुर): हम आज यहां एक गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आरक्षण का सवाल कोई राजनीतिक सवाल नहीं है और इस पर हमें इस रूप में विचार नहीं करना है कि यह किसी पार्टी का सवाल है। मुझे उधर से लोगों के भाषण सुन कर अफसोस हुआ है। उन में ऐसे भाषण भी किए गए हैं जिन का आरम्भ तो इस रूप में किया गया कि हरिजनों के आरक्षण की बात तो ठीक है लेकिन बाद में पिक्चर यह खींची गई कि कांग्रेस ने आरक्षण को पूरी तरह से लागू करने के लिए कदम नहीं उठाया या हरिजनों के लिए कांग्रेस ने इन वर्षों में कुछ विशेष काम नहीं किए। मैं खास तौर से बी जे पी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात करना चाहती हूं। जब बोल रहे थे तो उन्होंने हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर यह आक्षेप किया कि प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को कुछ बातें चालाकी से नहीं कहनी चाहिएं थी। इसका आरोप उन्होंने हमारी नेता पर लगाया है। मैं पूछना चाहती हूं कि उनकी जो बात थी क्या वह चालाकी से भरी हुई नहीं थी? श्रीमती इंदिरा गांधी दुनिया की वह नेता हैं जो जिस बात को कहती हैं उसी को करती भी हैं, हर चुनौती के सामने जिन्होंने खड़े हो कर अपनी बात को कहा है और उसका सामान किया फिर चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़ा हो। अभी हमारे भाई श्री इन्द्रजीत गुप्त बोल रहे थे और कह रहा थे कि उन्हें यह स्टेटमेंट नहीं देना चाहिये था। क्यों न दिया जाए, क्यों सही बात न कही जाए? सही बात को सही समय पर कहना क्या गुनाह है? जहां तक आरक्षण का सवाल है इसको संविधान में रखा गया है। किस ने रखा है? कांग्रेस जब गवर्नमेंट में आई पंडित जवाहर लाल जी नेहरु के नेतृत्व में तो 1950 में उसने संविधान बनाया और उस में हम ने आरक्षण को माना। लेकिन उसके पहले मुझे याद है अपने बचपन की बात, हम सब कांग्रेस के परिवार से जो लोग आते हैं हमें सिखाया गया कि हरिजनों के साथ कैसे व्यवहार रखना है, उनके साथ किस तरह खाना पीना, उठना बैठना है, किसी तरह की छूआछूत नहीं माननी है। इस तरह से हम बड़े हुए। यह कांग्रेस की

फिलासफी में रहा है, कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के अन्दर रहा है। और जब आजादी आई तो उसको हमने संविधान में रूप दिया और अस्पृश्यता, छुआछूत को खत्म करने के लिये कानून बनाया। संविधान में हमने कहा कि इस देश में कोई भी अगर छुआछूत मानता है तो कानून की दृष्टि से वह दंडित है और उसके बाद उसके पालन के लिये कदम उठाये गये। पहली बार जो संविधान में 10 वर्ष के लिये आरक्षण रखा गया था उसको 1960 में फिर 10 वर्ष के लिये बढ़ाया। किसने बढ़ाया? कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाया। 1970 के बाद फिर कांग्रेस सरकार ने 10 साल के लिये बढ़ाया। और 1980 में जब बढ़ाने की बात आयी, जनता सरकार खत्म हो गई उसका समय बीतने को आ रहा था और उस समय लोक दल सरकार भी आ गई थी, वह आरक्षण की बात को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन उनके अन्दर ऐसे कुछ तत्व थे जो आरक्षण में विश्वास नहीं करते थे। इसलिये उन्होंने आरक्षण को 10 साल के लिये नहीं बढ़ाया। और आज गुजरात में जो आग फैलाये हुए हैं उनमें से कुछ ऐसे तत्व हैं जो आरक्षण विरोधी हैं। गुजरात की जनता यह लड़ाई नहीं कर रही है। अब माननीय इन्द्रजीत गुप्त एग्रेशन की बात कहते हैं। एग्रेशन कौन किस पर कर रहा है? कोई न हमला कर रहा है और न कोई हमलावर है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: मैं ने यह नहीं कहा आप हमला कर रहे हैं। मैंने कहा हमला हो रहा है इन लोगों पर।

डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी: हम नहीं मानते हैं एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। हम प्यार के साथ इस समस्या को दूर करना चाहते हैं। क्लासवार की बात जो लोग कहते हैं उस पर न हमारे पार्टी और न हमारी सरकार विश्वास करती है। इसलिये हम अपने प्रस्ताव में, जिसका जिक्र आप बार-बार करते हैं, इसको एक मत से लायें। यह एग्रेशन किसको हम कहने जा रहे हैं? समाज के एक वर्ग को अलग करने की बात आप करते हैं, समाज में आरक्षण की बात को ले कर जबान से दूसरी बात करते हैं, करते दूसरी बात हैं। यह दोनों बातें नहीं चल सकती हैं।

अभी माननीय बाजपेयी जी कह रहे थे हमें आरक्षण स्वीकार करेंगे और मानेंगे और आगे भी कुछ बात करनी होगी। उन्होंने गुजरात जाने के बाद एक स्टेटमेंट भी दिया था। मैं पूछना चाहती हूं बातचीत किस तरह की? बातचीत करने से क्या मतलब आप चाहते हैं? आरक्षण तो हमने स्वीकार किया है और उसको हम इमप्लीमेंट कर रहे हैं, आगे भी करते चले जायेंगे। 10 साल के लिये जो बढ़ाया है उस बीच में फिर देखा जाएगा किस तरह हम इसमें कामयाब होते हैं और कितनी तरक्की होती है? हमारे भाई बहनों को समाज में पूरा स्थान क्यों नहीं मिल रहा है? लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि इस स्थिति का फायदा उठा कर राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। जब कि गुजरात में कुछ दिन पहले ही पंचायत और कारपोरेशन के चुनाव हुए। अहमदाबाद में जहां सबसे ज्यादा उपद्रव और परेशानी है वहां की कारपोरेशन में महीना भर पहले कांग्रेस की जीत हुई और जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया। पंचायतों के चुनाव में नीचे के लेविल से गांव-गांव में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले। फिर उसके बाद निराश हो कर अब क्या करने लग गये हैं? तो आज जो आग भड़काने की बात करते हैं इससे काम नहीं चलने वाला है। देश की जनता श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ है और गुजरात की जनता तो विशेष रूप से श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ है। मैं यह भी जानती हूं कि अभी तो अहमदाबाद में या गुजरात में हो रहा है, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। यह तो जो लोग इसको करा रहे हैं, वह जानते हैं, उनकी आत्मा जानती है, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री ने जो 11-3-81 को

[डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

अहमदाबाद में गुजरात के मामले पर बोलते हुए कहा था, उसमें उन्होंने बहुत साफ शब्दों में यह कहा था कि गृह-मंत्री श्री, प्रबोध रावल ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर पाबन्दी लगाने की धमकी दी है और श्री रावल ने राज्य विधान-सभा को बताया कि चालू आन्दोलन के पीछे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हाथ है, विशेषकर अहमदाबाद और मेहसाणा जिलों में ये लोग बहुत सक्रिय हैं। श्री रावल ने यह कहा कि यदि जरूरी हुआ तो सरकार संघ पर पाबन्दी लगाने से हिचकेगी नहीं। कांग्रेस (इ) के विधायक के प्रश्न के उत्तर में भी रावल ने सदन में एक वक्तव्य दिया। उन्होंने बताया कि राज्य में कुछ दिनों तक शान्ति रहने के बाद पिछले 24 घन्टों में राज्य के कई भागों में पुनः हिंसा भड़क उठी है।

महसाणा जिले के पाटन नामक स्थान में जनता विधायक ,डा. डाह्या भाई पटेल आरक्षण विरोधी छात्रों के एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए गिरफ्तार कर लिये गये।

अब आप कहते हैं कि इसमें हमारा हाथ नहीं है। आज जनता पार्टी के विधायक कैसे नेतृत्व करते हैं इन चीजों का?

एक माननीय सदस्य : विधायक नहीं है।

डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : ऐसे गंभीर प्रश्न को हम सब लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिये और जो भी प्रस्ताव करें, एक दूसरे पर कीचड़ न उछालते हुए हमें शांतिपूर्वक और गम्भीर तरीके से इस पर विचार करना चाहिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: One appeal from the Chair. Our discussion should not further deteriorate the situation that may be prevailing in Gujarat. Therefore, I would very much like to say, let us not give importance to emotions, but to reasoning.

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी शर्म की, हम सब के लिये कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है कि आजाद हिन्दुस्तान के 34वें साल में हम लोग एक ऐसे मसले पर यहां पर बहस कर रहे हैं जिस पर कभी का हल होना चाहिये था।

गुजरात पर प्रस्ताव तो आयेगा और मैं आशा करता हूं कि वह एक राय से इस सदन से पारित भी हो जायेगा, लेकिन मैं इस गलतफहमी में रहने के लिये तैयार नहीं हूं कि आज इस सदन में जो भी बहस होगी और जो प्रस्ताव होगा, उसमें इस समस्या का कोई निदान आना है, कोई हल निकल आना है। मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। क्योंकि कुछ बातें बहुत ही स्पष्ट कही जायें, और कुछ बातों पर हम चाहेंगे कि अपने दल से भी उठकर, अगर उनमें हिम्मत हो, असलियत का सामना करने की, असलियत रखने की तो वह रखने का काम करें।

सवाल बुनियादी है कि हिन्दुस्तान में जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में सम्पत्ति है और यह सत्ता व सम्पत्ति के साथ जो जात जुड़ी हुई है, क्या इस देश में वे लोग उस सत्ता को कुछ हद तक छोड़ने के लिये तैयार हैं।

जब तक लोग इस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हो जायेंगे और मन से किसी निर्णय पर नहीं पहुंच जायेंगे, तब तक यह सदन चाहे जितने प्रस्ताव पारित करे, वह चाहे जितने आश्वासन आज गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में जलाए जाने वाले, मारे जाने वाले, हरिजनों, आदिवासियों और समाज के पिछड़े वर्गों को दे, उन पर कोई अमल नहीं होना है।

अकेले गुजरात का सवाल नहीं है। क्या हुआ था भागलपुर में ? किनकी आंखें निकाली गई थीं। (**व्यवधान**)

20 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. I appeal to you to sit down. (*Interruptions*). On the previous occasion the hon. Speaker allowed five hours' discussion. We have now allowed another discussion to solve the problem, not to fight among ourselves.

(*Interruptions*).

श्री जार्ज फर्नान्डीस : और कौन लोग थे, जो भागलपुर की सड़कों पर जलूस निकाल कर चले थे और बोले थे कि पुलिस ने जो किया है, वह ठीक किया है ? अगर कोई मुझे कहे कि पुलिस के समर्थन में भागलपुर की सड़कों पर निकला हुआ जलूस डकैती और डकतों के विरोध में था, और और वह जलूस इस देश की उस समाज-व्यवस्था के समर्थन में नहीं था, जिसने आज गुजरात में आग लगाने का काम किया है तो जिसको भ्रम में रहना है, वह रहे---मैं रहने के लिए तैयार नहीं हूं ।

एक माननीय सदस्य : चले जाइये विदेश । **(व्यवधान)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. George, why can't you speak with a smile? You speak with a smile, everything will be all right.

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे विदेश भेजने वाली शक्ति हिन्दुस्तान में पैदा नहीं हुई है । मैं इस देश का हूं, यह मेरा देश है । मुझे इस देश से कोई नहीं भेज सकता है । **(व्यवधान)**

Mr. Deputy Speaker: India belongs to everbody. Why are you worried? It belongs to everybody.

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं यह बात बहुत स्पष्ट तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि हम नकली बहस क्यों चलायें, सब के मन की बात यहां पर हो जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि हसते हुए बोलो । क्या यह हंसी का विषय है? मैं देख रहा हूं कि सदन में कितनी देर से हंसी हो रही है । मगर मेरे लिए यह हंसी का विषय नहीं है । इसी लिए मैं भागलपुर की बात को यहां लाया हूं, और अब मैं डोली राजहरा की बात को लाता हूं ।

एक कमेटी ने इस बारे में एक रिपोर्ट दी है । मैं उसके दो जुमले सदन के सामने रखूंगा । गुजरात के बारे में बहस सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि वहां हरिजनों को जलाया जा रहा है, बल्कि इस लिए भी बहस है कि कुछ इधर-उधर और लोगों पर भी पुलिस की तरफ से चोट लग रही है । इस लिए भी बहस है कि अगर इस आन्दोलन में सब लोग अपना अपना हाथ धो कर कुछ निकालने का काम कर सकते हों, तो वह भी हो जाए ।

डाली राजहरा में मजदूरों के बीच में, हरिजन और आदिवासी मजदूरों के बीच में काम करने वाले एक कार्यकर्ता को उस कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया, जो गैर-कानूनी कानून है--राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उसका नाम है शंकर गुहा नियोगी--एक ऐसा व्यक्ति, जिसने ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी और तीन रुपये रोज पाने वाले हरिजन और आदिवासी मजदूरों को 17 रुपये पर लाने का काम किया। पांच बरस के मेहनत के बाद ऐसा व्यक्ति, जिसने पच्चीस हजार आदिवासियों को शपथ दिला कर शराब के नशे से मुक्त कराने का काम किया और जिस ठेकेदार ने वहां 17 लाख रुपये में शराब का ठेका लिया था, पिछले साल उसका दो लाख रुपये का व्यापार नहीं हो पाया । उन ताकतों से लड़ने वाले व्यक्ति को दलीय राजनीति पर चल कर प्रदेश की सरकार ने पिछले महिने की 11 तारीख को गिरफ्तार किया। सुबह के 11 बजे उसे कहा गया कि कलेक्टर साहब ने मजदूरों की समस्या के बारे में बात करने के लिए दुर्ग में बुलाया है। अपनी यूनियन के अन्य पदाधिकारियों को ले कर वह नौजवान वहां पहुंचता है, उस की जीप के ड्राइवर को वहां पर गिरफ्तार कर के जीप सरकारी कचहरी में रखी जाती है और शंकर गोहनियों को सागर की जेल में पहुंचा दिया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत। मैं शंकर गोहनियों जी की गिरफ्तारी बुनियादी मसलों पर यहां पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन समाज के उन शोषित तबकों के साथ जो व्यवहार है और वह अकेले गुजरात का नहीं है वह अकेले भागलपुर का नहीं है, देश के कोने कोने में प्रति दिन जो हो रहा है उसकी ओर मैं सदन की नजर खींचना चाहता हूं । हंसने वाली बात भी नहीं है और इस तरह से हो हल्ला कर के दबाने वाली बात भी नहीं है ।

सत्याग्रह किया वहां पर महिलाओं ने । शंकर गोहनियो जी की पत्नी आशा, एक आदिवासी महिला, तीन बच्चों की मां, 6 वर्ष का एक बच्चा, चार वर्ष का एक बच्चा

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

और उसके हाथ में 6 महीने का एक बच्चा, उसके नेतृत्व में सत्याग्रह हुआ और फिर क्या हुआ, यह जिन को इस समस्या का हल खोजना है न, वह इस का भी हल निकालने का काम करें ।

"In the evening, around 6 p.m. about 460 women and children were loaded in two trucks and one BSP Bus and taken to the forest of Manpur, about 40 kms. away from the township. These women and children were forcibly left behind by the police in the deep forest, which is wolf-infested, at the banks of Kotri river, which is dry. Women and children were literelly draged out and thrown out in the open. Many women and children sustained injuries. They were left in groups at three different places-KHARGAON, PANKHAJUR AND KOTRI RIVER. In a taped interview, many women and children broke down while narrating their harrowing experiences. They had to treck back to their destinations. Twelve women and children were still missing at the time of writing this report. There was no water in the vicinity. While tracking back to their destination, many stopped the Transport Bus coming from Manipur, which was also the last bus. The Bus driver and conductor refused to take any of these labourers, as they had been instructed by the police not to help these labourers trecking back to Dalli-Rajhara.

The women complained that the police had misbehaved with them, threatening to shoot them. While many children, who could not remain hungry for such a long time, had to be fed with leaves etc."

They had to be fed with leaves, etc., from the forest.

SHRI ERA ANHARASU (Chengalapattu): Who is the author of the Report? Are we to believe the Report? What is this? How is the Deputy Speaker allowing such a Report? What is the relevancy of the Report? Deputy Speaker should ask these things. (*Interruptions*).

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): What is this?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I would very much like that extraneous things are not brought. All the hon. Members may kindly not bring in extreneous things.

SHRI GEORGE FERNANDES: We are not bringing any extraneous things. There is nothing extraneous. These are Harijans and adivasies and the treatment you are giving.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is that the situation unfortunately in Gujarat.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Union leader has been detained under the National Security Act. He was leading the movement of these workers. That cannot be denied.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I want to ask you is it because of this that Gujarat trouble started?

SHRI INDRAJIT GUPTA: Is Resolution about only Gujarat? (*Interruptions*).

SHRI GEORGE FERNANDES: Do you want to treat symptom and not the disease? (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: I would very much appeal to you, let us not take political advantage. Every one of us should feel ashamed as to what is happening in Gujarat, Rajasthan or Uttar Pradesh. There is no two sided opinion on this issue. Every one should agree. Let us discuss it in a cordial atmosphere so that we can find a solution to this problem. That is what I want.

(*Interruptions*)

When we do not allow discussion there is big furror and when it is allowed,

it further damages the situation. Therefore, I would make an appeal that these discussions are allowed only to discuss and find a solution to the problems of this country.

(*Interruptions*)

Mr. George Fernandes has mentioned about it in the course of his another speech. I have heard, (*Interruptions*) I am only trying to help you so that there is a cordial atmosphere and we discuss it in an impartial way.

SHRI GEORGE FERNANDES: "While many children....(*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Why do you mention it here? You mention it on some other occasions. This is not a correct procedure. If he wants to read the report, wherefrom is the repot?

SHRI GEORGE FERNANDES: This is the report from the People's Union of Civil Liberties. It is headed by a former judge.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You place it on the Table of the House. I shall see the authenticity of it and then only you can continue with it.

SHRI GEORGE FERNANDES: I will place it on the Table of the House. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not a correct procedure. You place it on the Table of the House. It will be examined I will not allow you to read that report.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): May I tell the House that Mr. George Fernandes is making capital out of the issue of atrocities committed on Harijans....(*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: He cannot read the report. He will place it on the Table of the House. I will see the authenticity of the report and then only I will allow it.

SHRI GEORGE FERNANDES: Under what rule? You can ask me to authenticate the report. How can you say, I cannot read from the report?

THE MINISTER OF COMMUNICATONS (SHRI C. M. STEPHEN): It cannot be placed on the Table of the House....(*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you want the rule, I can tell you the rule. Under residuary rules. I will not allow it.

SHRI B. SHANKARANAND. Mr. George Fernandes, don't play with the live of Harijans..(*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can continue with your speech.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): Whatever he has read must be expunged from the record. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will go through the proceedings. You continue your speech.

SHRI GEORGE FERNANDES: On what? (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: You continue your speech on the Motion. I appeal to Mr. George Fernandes to cooperate.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): You can ask him to authenticate the report. How can you prevent him from reading the report?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: How can you prevent him from reading the report?

SHRI C. M. STEPHEN: He should be relevant, he cannot be irrelevant. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will not allow it. (*Interruptions*). I have already said that Mr. Gearge Fernandes cannot read that report. He can only speak on the Motion.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Under what rule can you prevent him from

[Shri Indrajit Gupta]

reading the report? (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You proceed. It is not the atmosphere..... (*Interruptions*).

AN HON. MEMBER: How is it possible?

PROF. MADHU DANDAVATE: I am rising on a point of order. Any Member speaking in the House on any subject is entitled to make quotations. Sometimes one makes a quotation from the book and sometimes from a report. All that is done. If anybody has a doubt, all that he can do is that he can demand that it may be laid on the Table of the House. He has to authenticate it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: When he began to read that report, I did not object to it. Then he read the report. I found there were certain allegations, some ill-treatment to Adivasis, they were threatened and all that. When he read that, I found that there were so many objections.

Mr. Dandavateji, do you agree that what he read is relevant? I will not allow anything today. He takes political advantage. (*Interruptions*).

SHRI GEORGE FERNANDES: Do you want me to speak what you like me to speak? I want to speak. Not that you want me to speak or they want me to speak.

AN HON. MEMBER: Under what rule you prevent him from speaking?

SHRI P. SHIV SHANKAR: Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Resolution before the House is that this House expresses its concern at the situation arising out of the agitation and violent demonstrations against reservation of jobs for scheduled castes and Scheduled Tribes in Gujarat, Rajasthan and other parts of the country. Other parts of the country is with reference to the reservation of the jobs. This is the issue.

Sir, if this is the issue, may I bring to your kind notice Rule 179;

"The discussion on a resolution shall be strictly relevant to and within the scope of the resolution."

If this is the Rule, he cannot say anything and everything under the Sun.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your point of order is in order.

point of order is in order. Mr. Fernandes, you continue your speech. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: I rule his point of order as in order.

AN HON. MEMBER: What is the point of order?

SHRI GEORGE FERNANDES: Will you please tell me what I should speak? Please tell me my speech. I am not accustomed to reading my speech. Please tell me what I should speak. I will repeat that. You say and I will repeat. (*Interruptions*) you say, Mr. Deputy-Speaker, what I should speak and I will repeat.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

SHRI GEORGE FERNANDES: I will not sit down.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Then I Will call the next speaker.

SHRI GEORGE FERNANDES: How can you? I am on my legs. How can you prevent me from speaking?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have asked you to proceed. But you are refusing to proceed.

SHRI RAM JETHMALANI: How can you sustain a point of order before you have heard every one?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nobody need speak on the point of order.

SHRI RAM JETHMALANI: The Law Minister got up on a point of order. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will allow only if I want to know the opinion. I can give my ruling, and I have given. Now he can continue.

SHRI RAM JETHMALANI: You must hear us.

SHRI GEORGE FERNANDES: Mr. Deputy-Speaker, please do not compel us to take steps which we would not like to take. We want to respect your office, we want to respect the Chair. Please do not act as the stooge of these people. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am sorry; this expression will not go on record.

(*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. George, are you going to continue your speech?

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, I say I respect the Chair....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do you want to continue your speech?

SHRI GEORGE FERNANDES: I want to.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I do not mind whatever you call me. That is allright. You continue your speech. You are my good friend. That is alright. (*Interruptions*)

AN HON. MEMBER: You cannot say under the rules. I am quoting a specific rule. (*Interruptions*)

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Before I start speaking, I want to draw the attention of the hon, Members opposite to the words that have been used and the attitude that is being displayed before them. I am not making any comment. I just want you to note it. Why did we have this debate? I am not interested in the specific words used in the Resolution or the motion or whatever it is. As you yourself have stated—even though I was not in the House, I was listening to th peeche till I came here and, of course, after I came here—with some minor exceptions and taunts, to which I do not want to refer now, I do not think this is important in the context—there was a genuine desire that we should come to some understanding, that we should, if not take some action, at least exhibit an attitude which would try to help to defuse the situation in Gujarat and in other places where such incidents are taking place. This was the purpose of the debate. Quite often when people want a discussion we are hesitant to allow it, it is not bcause we are worried about what they will say or the criticism they will mount but because of this doubt that the situation may become worse. This is a moment when tension is high on this particular issue on all sides. At first I had not thought of speaking, but after hearing my hon. friend opposite and also Shri Vajpayee, I thought I should say a couple of words. Anyway, I am not on that issue now. I am not speaking on the question of reservation. I think that our attitude has been made very clear in quite unambiguous terms in this House, in the Rajya Sabha and in all outside forums.

SHRI RAM VILAS PASWAN: Merit.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: I do stand by what I said on merit. I think the whole point of what we are trying to do, the manner in which we are trying to help—I admit that we may not have succeeded and we may not have done it fully. But the point is that merit exists in all our people, but merit has not always been able to come up because opportunities were denied. This is the whole question. Why do we have reservations? It is not for the fun of having reservations. It is because certain opportunities and privileges were denied to groups of people that we wanted to help them to make up. That is what I meant. There is no question of removing reservations or suspending any other help. These were measures to help certain under-privileged communities. So long as their position does not improve these measures and others will have to be taken. Otherwise, we would not have con-

[Shrimati Indira Gandhi]

tinued reservations. We could have very well said, 'We have tried for 15 years. That is over and we do not continue. But we have continued them because we found that the need still exists. But, at this moment I do not want to discuss this question.

Let us recall how this present situation was sparked off. I agree with the hon. Members that there is a basic attitude. There is discrimination in thought and action and such attitudes of mind have to be fought by us. My attention was drawn to the case of a handicapped young man who secured a first class and got a gold medal but this particular post to which he aspired was a reserved one. But that was no reason to start an agitation. In no way do I support the agitation or what they are doing. But when there is such a case, we should look into it and see whether some way out can be found. This is all that I meant. I do not think that there was any misunderstanding about my words, either amongst the Harijans or others. I am sorry that some people have sought to create that misunderstanding. However, that is beside the point. The point is: what are we trying to do in this debate? Has Mr. George Fernandes's speech helped in creating the atmosphere which all members, even including Mr. Vajpayee have tried to create?....

PROF. MADHU DANDAVATE: Why 'even'?

SHRIMATI INDIRA GANDHI: I think an hon. Member opposite hinted at what I mean by 'even'. I do not want to elaborate because I do not think that we should get into polemics.

The other question is: just when we are thinking of rising together to pass a particular resolution, is this the atmosphere to create? This is the point which you, Sir, were trying to make. This is the point which all of us want to clarify. I have not seen this particular report which Shri Fernandes is reading. Mr. Chairman said that the hon. Member has quoted from it before. Hon. Member could have mentioned it at some other time but not at thi pariculars moment when the entire objective is to create an atmosphere of calmness, of coolness, of co-operation, to solve a question which is not merely confined to Gujarat or Madhya Pradesh but which is a national question. Apart from the atrocities, the hardships which the Harijans or the tribals in other areas have suffered, there is a bigger question.

The hon. Member opposite referred to national intergation. What is happening now is striking at the very root of national integration.

These are the matters we have to consider. I can only add my voice and appeal that the hon. Member opposite.... Sir, in spite of your allowing me, to stand, he has not yielded.....

SHRI GEORGE FERNANDES: I thought the Prime Minister wanted to make some submission on the point or on something that I had said .... *(Interruptions)*

SHRIMATI INDIRA GANDHI: No, I am not making any such points. That is not important.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am very happy that you are at least smiling now. Mr. Fernandes.

PORF. MADHU DANDAVATE: Neither of them is yielding.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: I was asked to speak. Before I sit down I want to make one more point. So far as I have heard the speeches, I have not heard from any Member whether he is supporting the bandh on the 25th or whether he is willing to call for its withdrawal. This point needs to be clarified.

SHRI GEORGE FERNANDES: I think Mr. Deputy-Speaker let me

first of all state that I did not intend to say what I said about you.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you very much.

SHRI GEORGE FERNANDES: Having said that, I would also....

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are withdrawing it.

SHRI GEORGE FERNANDES: Yes, Sir. Having said that, I would like to submit—I think the Prime Minister....

SHRI RAM JETHMALANI: This is the effect of the Prime Minister's speech. At least this had a good effect.

SHRI GEORGE FERNANDES: I think the Prime Minister made the point that the issue is not Gujarat or what is happening there alone but it is so much a basic question. That is precisely what I was trying to discuss. Only the Prime Minister understood me and none else understood me.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: I entirely agree with the hon. Member. But I object to his manner of putting it.

SHRI GEORGE FERNANDES: I am glad that we always differ on the manner of putting things. This is nothing new. This has been going on for several years. But, I am glad she confirms again what I said that she is the only person who differs with the manner of putting things. All the rest of it she did not understand and she was keeping on waving her hands and asking us to keep quiet. But the irreprehensible Minister who never makes the telephones work came up with a howler. which I do not know whether you understand or not.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please remain in Gujarat.

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, I will read the last sentence.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There will be confusion.

SHRI GEORGE FERNANDES: There is no confusion on the issue. This is what the Prime Minister said. This is an issue which will have to be settled.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am making an appeal to you. Please do not read that.

SHRI GEORGE FERNANDES: There are no sentiments involved. We are concerned with certain basic problems at the moment which are bothering the country. If someone comes with a document and quotes it, it is said that he cannot quote this: that cannot be quoted What the hon. Prof. Dandavate said was a quotation frim Shri Parelal or whatever is said by the hon. Member from the other side... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please be relevant to the subject.

SHRI GEORGE FERNANDES: I think that point has been cleared. The relevancy has been resolved. It is relevant.

SHRI H.K.L. BHAGAT (East Delhi): Sir, Rule 353 is clear that anything said should not be defamatory.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will take care of it, Mr. Bhagat. This is my personal appeal to you Mr. George. Please do not spoil the good atmosphere.

SHRI GEORGE FERNANDES: I do not want to got into this situation of the socalled atmosphere. Let me be frank. Let us not fool ourselves. There is nothing called atmosphere everywhere. We look at each other. I am not interested in that kind of a situation. I am interested in dealing with the basic problem. That is the harijans and adivasis and shudras in this country are at the receiving end in every sphere of life and in every sphere of activity. That is a

[Shri George Fernandes]

fact. There are atrocities against harijans and when the present Prime Minister was in the Opposition, she had to go through muddy area and then get on the back of an elephant to have a look at the way the harijans were dessimated in Belchi. They had been dessimated in Pipra and they had been dessimated in Afalta and they had been dessimated in umpteen different places. How can you therefore separate these two issues? How can you say that let us discuss Gujarat and create an atmosphere or look at each other? How can you say that let us forget all that happens everyday? Let us not forget the shooting of the adivasis in Goa and everywhere. Let us not forget the kind of harassments with which the adivasis were subjected to at Teliraja. How can you? Babu Jagjivan Ram hit the nail on the right spot. Two days ago or three days ago, he spoke perhaps in Lucknow and he hit the nail at the right spot. How can you run away from the realities? How can you run away from these facts that in this country the 'Shudra' is at the receiving end. If he is at the receiving end socially for centuries and now when you try to provide him with some economic relief people are trying to deny him that economic relief which the Constitution and the will of this House expressed at various stages provided him with.

This, Sir, is the crux of the problem. Therefore, looking at the Gujarat problem in isolation will not take us anywhere. There is no differing in so far as the broad sentiments that are being expressed are concerned but unless you bring about a debate and not merely a debate but a qualitative change in the attitudes of those who because of caste and money —and, perhaps, to some extent because of English but primarily because of caste and money—have cornered power and authority in this country. There is no solving the basic problem which one sees everywhere of which Gujarat is but a symptom. As Mr. Vajpayee wished to say every party, every organisation, every community, every town, every village and even a trade union which is a class organisation is today divided on some of these issues which are related not merely to economic but to basic social problems. Therefore, while we want that problem in Gujarat be resolved the resolution of Gujarat will not come about—we have this problem evrywhere—unless everyone here, every political party, commits to certain basic and redical changes that are necessary and those radical changes not only in the social and economic life of this country but in the total approach in terms of dealing with people, in terms of talking to people and in terms of putting across. As Prof. Dandavate wished to say that ultimately people judge the whole system, the whole social system in this country and not what is written in the scriptures but how people are being treated in everyday life.

Let me also make the point that mere equality of opportunity in the Indian situation is once again trying to fool those who have been denied that equality of opportunity for hundreds of years. This country needs to accept as a matter of principle preferential opportunities, special opportunities, to those who have been denied these opportunities for generations.

Therefore, Sir, while I would go along with any Resolution that this House unanimously wants to adopt I would also urge that the issue be discussed in all its ramifications if necessary. If there is going to be a difference of opinion amongst us let the difference of opinion be expressed because it is being expressed outside this House everyday by all of us. So, let it be expresed and while committing ourselves to the equality of opportunity let us also find out to what extent preferential opportunities could be given to those who have

been denied these opportunities for generations. Thank you.

MR. DEPUTY-SPEAKER: On the Congress (I) side, there are many hon. Members who wanted to speak. But they are not pressing as it is already 8-45.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Everybody has taken part in the discussion. He is moving his Substitute Motion.

श्री हीरालाल आर. परमार (पाटन) : गुजरात के हरिजनों का यह सवाल है । मैं अकेला हरिजन हूं । मैंने नाम दिया है।

SHRI R. N. RAKESH (Chail): We will take only a few minutes.

AN HON. MEMBER: Members from Opposition have to speak.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Only from the Opposition side. Every hon. Member will take only 3 minutes. Shri Rakesh. Please take only 3 minutes and conclude.

श्री आर. एन. राकेश : एक बार पहले भी इसी विषय पर इस सदन में बहस हो चुकी है और आज फिर से इसके ऊपर हम को बहस करनी पड़ रही है। गृह मंत्री जी ने पिछली बार जब बहस हो रही थी तो कहा था कि अब हरिजनों के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो वह खुदकशी कर लेंगे । उनके प्रति उन्होंने बड़ी हमदर्दी दिखाई थी, उनके प्रति बड़ी दरियादिली दिखाई थी । मैं कहना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण बात नहीं है कि आप उनके प्रति कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कितनी मीठी बात कह रहे हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि आरक्षण विरोधियों की कितनी आर्थिक मजबूत पकड़ है। आपकी नीति और नीयत नेक है या नहीं यह भी देखना होगा। अटल जी ने इंडियन एक्सप्रेस की बात कही और डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी ने कहा कि प्रधान मंत्री जी जो कहती है उसको करती भी है । अगर यही बात है तो ऐसी बात पर अगर कोई प्रस्ताव आता है तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो इसका विरोध करूंगा। क्या कहा है प्रधान मंत्री ने ? उन्होंने कहा कि मैं आरक्षण की पक्षधर हूं लेकिन मैरिट की हत्या नहीं होने दूंगी । मतलब यह है कि मैं हरिजनों के प्रति सहानुभूति रखती हूं लेकिन हरिजनों की हत्या करने वाले जो हैं उनको सजा नहीं होने दूंगा --

श्रीमती इन्दिरा गांधी : बिल्कुल गलत बात है। जो दोषी लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिये, इस में कोई दो राये किसी की नहीं हैं।

श्री आर. एन. राकेश : बड़ी अच्छी बात है कि प्रधान मंत्री जी ने इस बात की सफाई दे दी है। लेकिन उनके इसी भाषण से गुजरात में जो आन्दोलनकारी हैं उनको बल मिला है, इंडियन एक्सप्रेस इसका सबूत है।

गृह मंत्री महोदय ने कहा था कि उनके हक छीन कर हरिजनों को दिये जाते हैं। यह बात उन्होंने अपनी पिछली स्पीच में कही थी। आरक्षण विरोधी आन्दोलनकारियों के अधिकार छीन कर हरिजनों को दिए जाते हैं, यह उन्होंने कहा था । सोलंकी जी का ब्यान पहले आ चुका है । प्रधान मंत्री जी द्वारा जो ब्यान दिया गया है दो दिन पहले, ज्ञानी जैल सिंह के ब्यान को और सोलंकी जी के बैयान को और साथ ही साथ आन्दोलनकारियों के बयान को देखा जाए तो शब्दों में हेरफेर जरूर दिखाई देता है लेकिन जो आब्जैक्टव या इटैंशन है वह कामन है, उन में कोई हेरफेर दिखाई नहीं देता है ।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा ।

20.45 hrs.

(MR. SPEAKER IN THE CHAIR)

लेकिन प्रधान मंत्री ने कह दिया कि मैरिट देखी जाएगी । तो क्या सुप्रीम कोर्ट के बाद लोगों को अपील प्रधान मंत्री के यहां करनी पड़ेगी ।

[श्री आर. एन. राकेश]

दूसरी बात प्रधान मंत्री जी ने अपने ब्यान में कही है . . . . .

श्रीमती इन्दिरा गांधी : आप बिल्कुल नहीं समझे कि मैंने क्या कहा। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही ।

श्री आर. एन. राकेश : इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात को अच्छी तरह समझा है और माननीय वाजपेयी ने यहां उसको कोट किया है। उन्होंने भी अच्छी तरह इस बात को समझा है ।

आरक्षण का फायदा कुछ लोगों को तो हुआ है, लेकिन वह फायदा सब को होना चाहिये। मैं आकड़ों में नहीं जाना चाहता, संक्षेप में इतना कहना चाहता हूं कि जितना इस देश के हरिजन, आदिवासियों को दो वर्ष के अन्दर फायदा होना चाहिये 33 सालों के अन्दर भी उतना फायदा नहीं हो पाया है। जो फायदा उनको आप देने के लिये कहते हैं वह उन्हें भी मिलना चाहिये था । यदि आपकी नीति और नीयत ठीक ठीक थी तो आपने क्यों नहीं दिया? किसने आपको रोका था?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आरक्षण के इशू पर हरिजनों की प्रतिभा को मेरिट की तराजू पर तोलने की कोशिश की जा रही है। अगर हरिजनों की मेरिट को ही तोलना है तो महर्षि बाल्मीकि की प्रतिभा को तोल लीजिये जिन्होंने देश की प्रतिभा क तोल लीजिये जिन्होंने देश के लिये संविधान बनाया, जिसकी एक एक लाइन पर हम 33 साल से बहस कर रहे हैं । अगर हरिजनों की प्रतिभा को ही तोलना है तो बाबू जगजीवन राम की प्रतिभा को ही तोल लीजिये, जिस कुर्सी पर वह बैठे उसका वजन बढ़ा है ।

MR. SPEAKER; Your time is up. Pleas sit down.

तीन मिनट सब को दिये हैं, यही फैसला किया है।

श्री आर. एन राकेश : सब को बहुत टाइम मिला है । मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं ।

मान लीजिये आज आरक्षण को आप समाप्त करते हैं तो शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को किस कैटेगिरी में आप रखेंगे? क्या वह वर्ण व्यवस्था जिसने इन्सान इन्सान में फर्क पैदा किया है और हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों का शोषण किया है उसको आप कायम रखना चाहते हैं ? मेरा कहना है कि जब तक वर्ण व्यवस्था कायम रहेगी तब तक उनको आरक्षण देना पड़ेगा । आज हालत यह है कि संविधान में उनको अधिकार मिला हुआ है फिर भी उनकी रक्षा नहीं हो पा रही है । जब संवैधानिक सरक्षण खत्म हो जायेगा तब हरिजन कहां जायेंगे, क्या होगा, मैं नहीं जानता। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हिन्दू वर्ण व्यवस्था की ऊंची चोटी पर बैठने वालों अगर तुम्हारे मन में यह बात है कि हिन्दू धर्म तुम्हारा है तो हर आंधी तूफान में जब हिन्दू धर्म रक्षा की बात आयी तब हरिजन उस कसौटी पर सही उतरे हैं ।

MR. SPEAKER: Please sit down now

श्री आर. एन. राकेश : अगर मेरी बात आप नहीं सुनना चाहते तो मैं यही कहूंगा कि:

हमें सताते हो हमारे होकर,
मिला इनाम क्या यही हमें तुम्हारे
होकर ।

श्री हीरालाल आर० परमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गुजरात के गभीर सवाल के लिये उपस्थित हुआ हूं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि जब कोई आदमी बीमार होता है और डाक्टर के पास जाकर अपनी बीमारी न बताये तो उसका इलाज नहीं हो सकता है ।

इस सदन में मैं भी गुजरात का एक हरिजन हूं। हरिजनों पर गुजरात में जुल्म हो रहे हैं। मैं अपनी बीमारी को सदन के डाक्टरों के सामने पेश करना चाहता हूं। आन्दोलन दिन-प्रति-दिन क्यों बढ़ रहा है, उसी को बताने के लिये मैं थोड़ा ज्यादा समय लूंगा । मैं मानता हूं कि सदन का जो समय मुझे दिया गया है, इसमें से कुछ नतीजा निकलने वाला है।

यह आन्दोलन क्यों हुआ है, क्यों बढ़ रहा है, इसका इलाज क्या है, यह मैं सदन

के सामने पेश करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि इसके लिये मुझे वक्त ज्यादा दिया जायेगा।

गुजरात के आन्दोलन को भड़काने के लिये गुजरात के अखबार में "गुजरात समाचार" ने कुछ भड़काने वाली खबरें प्रकाशित कीं। आन्दोलन ज्यादा बढ़ा। राजनीतिक दलों के आदमी इसमें कुछ गैर-फायदा लेने के लिये शामिल हो गये। सैंट्रल गवर्नमैंट, स्टेट गवर्नमैंट के कर्मचारियों और यूनियन वालों ने ओपन अखबार में छपवाकर इस आन्दोलन को समर्थन दिया। सरकार ने उसको रोकने के लिये कुछ नहीं सोचा। इसमें स्टेट गवर्नमेंन्ट और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी शामिल हो गये। 144 की कलम थी, हजारों कर्मचारी 144 की कलम के अगेन्स्ट आन्दोलन में शामिल हो गये हरिजनों को मारने के लिये। सरकार खामोश है। उसी गुजरात की पुलिस से आन्दोलन ज्यादा भड़क गया और आन्दोलन मे ज्यादा समर्थन आया। आखिर हमारे बचने के लिये एक ही सहारा था, पुलिस का। गुजरात की पुलिस क्या कर रही है?

28 फरवरी को जनसत्ता अखबार में गुजरात कांस्टेबल यूनियन ने जाहिरात कर दिया कि हम आन्दोलन वालों के साथ हैं पुलिस कांस्टेबल यूनियन शामिल हो गई और ये सारी यूनियनें अखबारों में खबर देकर शामिल हो गईं। हमारे को बचाने वाला कौन रहा?

मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि 11-3-81 को मेरे क्षेत्र पाटन में एक हरिजन को आन्दोलन करने वालों ने उठाकर एक कोठी में लेजाकर मार दिया। इस टाइम पर पुलिस खड़ी थी, एक इन्सपैक्टर के तमंचे से गोली निकली, कहां गई? हरिजन कांस्टेबल पर गई। उसे रोकने वाली सारी पुलिस खड़ी थी लेकिन इन्सपैक्टर ने तमंचे में से गोली निकली और हरिजन कांस्टेबल जो खड़ा था, उसको फयर किया। आज इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यह सारा जुल्म गुजरात में हो रहा है। इसको रोकने का सही तरीका निकाला जाये, नहीं तो यह सारे देश में फैल जायेगा। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, सच्ची बात सदन के सामने पेश करना चाहता हूं कि कोई रास्ता निकालो। 20, 21 तारीख को अहमदाबाद में काफी जुल्म शूरू हो गया।

मुझे अपने गांव की एक घटना याद आती है। एक हरिजन की लड़की की शादी थी, बारात आई, बिजली नहीं थी। एक छोटी लड़की दिया जलाने लगती है, उस दिये से किरासिन तेल निकल गया, और वह लड़की जलने लगी। बारात वाले इच्छित थे लड़की को बचाओ, वहां के सब लोग इच्छित थे कि लड़की को बचाओ, यहां सदन में बैठने वाले सब लोग इच्छित हैं कि आन्दोलन नहीं होना चाहिये, लेकिन वह लड़की जल गई। सब की भावना बचाने की थी, लेकिन कोई बचाने को खड़ा नहीं हुआ। मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि "बचाओ, बचाओ" सब लोग कहते हैं, लेकिन बचाने का कोई तरीका करो। होली आ रही है। गुजरात में एक बात जोर-शोर से चल रही है कि होली के दिन हर गांव में एक हरिजन को होली में डाला जाये। (व्यवधान) हमारे दर्द की बात सुनिए। अगर यह बात सच न हो, तो अच्छी बात है। इसमें इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है।

मैं प्रार्थना करता हूं कि गुजरात में हरिजनों के उपर से पुलिस को हटा दिया जाये और मिलिटरी को वहां लगाया जाये। स्टेट गवर्नमेंट और सैंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं। गवर्नमेंट के कानून को भंग करने वाले लोगों को शिक्षा क्यों नहीं देते हैं?

आपने मुझे समय दिया है। मुझे बहुत बातें कहनी थीं, लेकिन मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री एन. ई. होरो (खूंटी) अध्यक्ष महोदय, आरक्षण-विरोधी जो आन्दोलन गुजरात में हो रहा है, इस सदन में उस पर चर्चा हो रही है। मैडिकल कालेज के छात्रों ने जो आन्दोलन शुरू किया है, उस की चर्चा यहां हुई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आरक्षण-विरोधी कार्यक्रम तो केन्द्रीय सरकार के दफ्तरों में चल रहा है, पब्लिक अंडर-

[श्री एन. इ. होरो]

ठेकेदारों में चल रहा है, स्टेट के डिपार्टमेंट्स में चल रहा है। कुछ कर्मचारी वहां हैं, वे आरक्षण-विरोधी काम कर रहे हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले मैंने दो हरिजन एम्पलाईज के प्रोमोशन के सम्बन्ध में एम एम टी सी--मेटल्ज एंड मिनरल्ज ट्रेडिंग करपोरेशन--की जेनरल मैनेजर को एक चिट्ठी लिखी थी। दो हरिजन ने टेस्ट में पास किया थे और उनके मार्क्स 50 परसेंट से ज्यादा थे। उन्हें न ले कर एक गैर-हरिजन को, जिसके नम्बर कम थे, ले लिया गया। मगर इसका नतीजा यह हुआ कि उस आफिसर ने मेरी चिट्ठी को फाड कर फेंक दिया यह कह कर कि एम. पी. लोग इस प्रकार पब्लिक अंडरटेकिंग्ज के काम में बाधा डालते हैं। मैं होम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि मैं उन्हें उस आफिसर का नाम बताऊंगा और उनसे चिट्ठी का जिक्र करूंगा। वह पता कर लें कि उस आफिसर ने चिट्ठी को फाड़ा है या नहीं।

जब सरकारी कर्मचारी इस प्रकार हरिजनों और आदिवासियों के अधिकारों को छीनेंगे और उनके अधिकारों के खिलाफ जायेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि सिर्फ गुजरात में ही रिजर्वेशन-विरोधी काम हो रहा है--यहां सरकारी दफतरों में भी हो रहा है। इस लिए यह गम्भीर मामला है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

हम सदन में एक रेजोल्यूशन पास कर लें और यह कह दें कि संविधान में लिखा हुआ है, हम उसके प्रति कमिटिड हैं और हमने कास्टीट्यूशन की कस्म खाई है, इससे बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। हमें इन मामलों को देखना चाहिए। इसलिए मैं सरकार और होम मिनिस्टर से अनुरोध करूंगा कि विभिन्न विभागों में जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका स्क्रीनिंग कीजिए और जिन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में पाया जाये कि वे हरिजनों और आदिवासियों के हित के खिलाफ काम करते हैं, उनको सजा दीजिए और उनको नौकरी से छुट्टी दीजिए।

जब तक सरकार कुछ ठोस कदम नहीं उठायेगी, तब तक हमारे यहां रेजोल्यूशन पास करने से कुछ बात नहीं बनने वाली है। हरिजनों और आदिवासियों का जिक्र श्री जार्ज फार्नांडीज और दूसरे माननीय सदस्यों ने किया है मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में पुलिस की गोली से बहुत आदिवासी मारे गये हैं। पिछले साल 8 सितम्बर 1980 को गोंदा में और 6 फरवरी, 1981 को बलरामपुर में और सिंहभूम में कई जगह जो फायरिंग हुआ, उसमें आदिवासी घायल हुए और मरे। यह काम सरकार की तरफ से होता है। आपको जान कर तकलीफ होगी कि बिहार में होम विभाग में कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं, जो साफ साफ कहते हैं कि इन आदिवासियों को डंडे से पीटो, इनको गोली से उड़ाओ, आदिवासी लीडर्स को फ्रेम अप करो, इन को केसेज में फंसाओ। अगर अधिकारीगण का ऐसा विचार हो, ऐसी मनोवृत्ति हो तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि यहां इस सदन में हमारे एक रेजोल्यूशन पास करने से और संविधान का हवाला देने से वह बात बनेगी? इसलिए मैं इन मुद्दों पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि पहले तो यह काम हो कि जितने सरकारी अफसर शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के रिजर्वेशन का मामला डील करते हैं उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि ऐसे अफसरों के रहते जो कमजोर वर्गों के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है वह काम बन्द हो और उनको जस्टिस मिले।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (अंबला): अध्यक्ष महोदय, कल हम लोगों ने और हर एक माननीय सदस्य ने सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था कि यह सदन गुजरात में आरक्षण सम्बन्धी उत्पन्न हुई गंभीर परिस्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त करता है और गुजरात के नागरिकों से अपील करता है कि वहां अविलम्ब शांति स्थापित करें और इसे अपना सर्वोपरि कर्तव्य मानें कि समाज के शोषित और कमजोर वर्ग की रक्षा का उत्तरदायित्व उन पर है।

इस देश में हजारों साल से कुछ ऐसी व्यवस्था रही है जिस का दोष और जिस का प्रभाव आज भी समाज से नहीं निकला है। हजारों साल से इस देश में व्यवस्था रही कि इन शूद्रों, अछूतों और छोटे वर्ग के लोगों का जिस रोज यहां पैदा हों इन का नाम गन्दे से गन्दा रखा जाय, इन के पास कोई सम्पत्ति इकट्ठी न होने दी जाय और इन्हें राज-दरबार में प्रवेश न करने दिया जाय। आज जब उन के सरकारी सेवाओं में जाने का प्रश्न पैदा होता है तो वही मनोवृत्ति जो इस देश में हजारों साल से लोगों को गुलाम बनाने की रही है वही काम कर रही है। जो हजारों साल से पददलित हैं, जो हजारों साल से कुचले गए हैं, जिन्हें हजारों साल से समाज ने मान और सम्मान नहीं दिया है उन के लिए अगर आरक्षण की व्यवस्था है तो वह संविधान की व्यवस्था है जिसके लिए बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने, पूज्य महात्मा गांधी ने, पेरियार रामास्वामी नायकर ने और डा. लोहिया ने लड़ाई लड़ी। हमारी सोशलिस्ट पार्टी का तो सिद्धान्त है कि 60 प्रतिशत अधिकार हमारा है और इन शोषितों को सारी सेवाओं में 60 प्रतिशत अधिकार मिलना चाहिए, पिछड़े वर्गों को मिलना चाहिए। आज 33-34 साल से बराबर हम को धोखा देते रहे। आज भी आरक्षण को ले कर गुजरात में जो लड़ाई चल रही है उस का सीधा मंशा यह है कि मंडल कमीशन आ गया है, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना होगा। मगर आप ने काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया था और लोगों को बहका कर, बरगला कर चाहे सोलंकी की सरकार वहां जा कर करे चाहे आप करें, मगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू न हो सके इस के लिए आप ने यह कोशिश की है। पिछड़े वर्ग के अधिकारों से खेलने के लिए आप ने इन को उकसाया है। आप रिपोर्ट उठा कर देख लें। आप की पुलिस ने वहां पर किस तरह से लोगों को मारा है। आप भी वहां पर हरिजन कैम्पों में पड़े हुए हैं। कौन सी सरकार यह है? क्यों नहीं आप हिफाजत कर पाते? क्यों प्रधान मंत्री जी यहां पर हैं? क्यों नहीं चलते गृह मंत्री जी वहां पर? क्यों यह सदन यहां चल रहा है? ले चलो इस को गुजरात में। एक हफ्ते तक गुजरात में सदन चलना चाहिए, पार्लियामेंट वहां बैठनी चाहिए वरना कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आप की हिम्मत नहीं है। आप जाएंगे नहीं। आप उकसाते रहेंगे। (... (व्यवधान)

हंसने से काम नहीं चलेगा। हम पर हजारों साल से हंसते रहे हो। आज भी हरिजन इस देश में गरीबी रहा की रोटी खाता है, आज भी इस देश में हरिजन किस तरह से पददलित है, शोषित है। आज भी वह महुवा खा कर अपना गुजारा करता है। इन पर तुम हंस सकते हो, हंसो हो लेकिन कभी ये चेतेंगी। ये करोड़ों करोड़ लोग चेतेंगे, जिस रोज इन को अकल आ जायगी, जिस रोज अकल आ जायगी बाबू जगजीवन राम जी को, जिस रोज अकल आ जायगी चौधरी चरण सिंह जी को, जिस रोज अकल आ जायगी ज्ञानी जैल सिंह जी को, उस रोज वे दिखा देंगे कि पद दलितों पर अत्याचार करने का समय निकल गया है। कब तक इन पर अत्याचार करते रहेंगे?

अब गुजरात की जो आप की पुलिस है, जैसा कि हम ने और दूसरे और माननीय सदस्यों ने कहा, अत्याचार वह कर रही है, उस को हटाइए। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र की पुलिस गई है तब से वहां कुछ शांति स्थापित हुई है और वहां कुछ निष्पक्ष काम करने की कोशिश हुई है।

दूसरी चीज यह है कि गुजरात की जो सरकार है उस को बरखास्त कीजिए और फौरन इस तरह का एक प्रस्ताव पास करिए, हम लोग सारे इस के लिए साथ हैं। सौ में 90 शोषित हैं, 90 अधिकार हमारा है। आरक्षण हमारा अधिकार है, आरक्षण हमारा धर्म है, आरक्षण हमारा दीन है। इस के लिए हम लड़ते रहेंगे। हमारे हजारों लोगों को बरबाद किया है, हमारे हजारों घरों को जला दिया है, हमारी लड़ाई इस के लिए चलती रहेगी।

SHRI CHITTA BASU (Barsat): The situation which has developed in Gujarat and which is likely to spill over to other parts of the country pertains to a fundamental issue. What is at stake today is the basic values of life? What is at stake today is the basic concept of national integration? The SC&ST are an integral part of the Indian society, rather to say the Indian nation-hood. Unfortunately, the history has it that the vast masses belonging to SC&ST have been subjected to various kinds of social disabilities and inequalities. They have been victims of socio-economic exploitation for ages together.

Now the principle of reservation is not only a constitutional obligation but an article of faith. It is the commitment of the nation. Now a movement has already started to do away with the reservation. Assuming that the reservation is a gift, assuming that the principle of reservation is something by way of a gift of one section of society to another section of society which is weaker, this concept is pernicious. The principle of reservation is not a matter of grace, is not a matter of greed, is not a matter of gift, but it is a legitimate right of the SC&ST who have contributed to the existence of the Indian nation. This fundamental basis has to be understood; and if we can understand this fundamental basis of society, then we can change our attitude towards them. Unfortunately, the upper caste still believe that they are merely an object of pity, that they are merely an object of grace. That attitude has to be changed. Thier flesh is the flesh of the Indian nation-hood; their blood is the blood of the Indian nation-hood. We cannot emerge as Indian nation-hood excluding this section of our Indian population. That being so, the principle of reservation is our national commitment.

It is good and gratifying to know that the Home Minister made a statement saying that the principle of reservation is not negotiable. For me it is not adequate enough. The entire Parliament should again proclaim that, in no circumstances the principle of reservation enshrined in our Constitution cannot be done away with unless and until these vast masses of our people require it. It is not a question of time; it is not a question of the time limit. So long as they are not brought on par with other sections of the society, this principle of reservation should continue. Unfortunately, some theories are being advanced. The theory of caste, the theory of merit, the theory of economc criterion all are there. Allow me to say permit me to go on record that these are alibis to dilute the basic principle of reservation which is of a preferential nature. There should be a preferential system. It is not only a quesion of a college. Therefore, I urge upon the Prime Minister that she should not fall a prey to this kind of theories of economic criterion, theories of class, theories of merit. That goes against the very principle of reservation which is meant basically and completely to the principle of preferential treatment to this weaker sections of our community.

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह): सम्माननीय स्पीकर साहब, आज की चार घंटे की बहस में बहुत ही कीमती अपने ख्यालात मैम्बर साहबान ने दिए । कुछ एक-दो को छोड़ कर बाकी जिसने भी थे, उन्होंने इस बात को गहराई से चिन्ता की है कि हमारे देश को जो परम्परा है, जो हमारे विधान सिद्धान्त है, जिसको हमने माना है, उसकी जड़ों को काटने वाली शक्तियों को उभरने न दिया जाए—मैं इस बात के लिए उन सब का मशकूर हूं । जिन दोस्तों ने कुछ कटाक्ष भी किए, उनके लिए भी मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन इस बात से मैं भी इत्तिफाक करता हूं तथा यह समझता हूं कि अब कोई एक-एक मैम्बर के भाषण का जवाब देने की जरूरत नहीं रही । पर्टिकु-

स्पीच में अपने विचार रखे और उसके बाद हाउस में जितने मैम्बर थे, उनमें फिर एक शान्ति का वातावरण आया ।

मैं जितने ग्रुप लीडर्स हैं, पार्लियामेंट में रिप्रजेंट करते हैं, उन पार्टियों के जो नेता-गण हैं, उनका भी मशकूर हूं, उन्होंने इस बात को खुद सोचा कि हमको एक ऐसा रिजोल्यूशन लाना चाहिए, जिसमें हिन्दुस्तान के लोगों को और दुनिया को यह मालूम हो जाए कि ऐसे मामले पर भारत के लोग और भारत के लोगों के जो प्रतिनिधि हैं, वे इकट्ठे चल सकते हैं । मैं इस बात पर भी इत्तिफाक करता हूं, इन्द्रजीत गुप्ता जी की बात पर कि ऐसे जो मामलात हैं, जो भारत की एकता को तोड़ने वाले हैं, जो हमारे मूल सिद्धान्त को जड़ से काटते हैं, उनको रोकने के लिए हम ऐसे ही महसूस करें जैसे कि हमारे ऊपर कोई हमला हो गया है । मैं इस बात पर इत्तिफाक करता हूं और मैं एक-एक मैम्बर की तकरीर को सुनने के बाद उन मैम्बरों से भी प्रार्थना करूंगा कि जो मैम्बर इस हाउस में बोलता है, उसके जो लफ्ज हैं उन पर पूरा ऐतबार करना चाहिए और यह कटाक्ष नहीं करना चाहिए कि बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं । मुझे आशा है कि तमाम हिन्दुस्तान के मैम्बर साहबान इस भावना को लेकर जायेंगे कि हमने एक मत होकर इस समस्या पर जो भारत में उभरने की कोशिश कर रही है और गुजरात में जिसने बदअमनी पैदा कर रखी है, उसको खत्म करने के लिए उपाय किए जायें ।

कुछ बहुत से मैम्बर साहबान ने अपने सुझाव भी दिये, उन को भी हम ध्यान में रखेंगे और उन पर जिस-जिस तरीके से हम मिल कर अमल कर सकते हैं, उन बातों पर अमल करेंगे ।

स्पीकर साहब, अब पासवान जी का जो मोशन है, उस में रूल 345 के तहत आप रिलेक्स कर दें तो मैं, हाउस में जो कन्सेनसस है उस के आधार पर, कुछ अमेण्डमेंट मूव करना चाहता हूं.....

MR. SPEAKER: Yes.

SHRI ZAIL SINGH: I beg to move: That in the Motion,—

after "expresses its concern"

for "at the situation arising out of the agitation and violent demonstrations against reservation of jobs for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Gujarat, Rajasthan and other parts of the country"

Substitute—

"and anguish over the situation prevailing in Gujarat over the reservation issue. It reiterates its firm commitment to the national policy on reservations as enshrined in the Constitution. The reported incidents of violence, destruction of property and atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes are against our very culture and go country to the principle of non-violence which the Father of the Nation preached and for which he has sacrified his life. To unhold our tradition, it is the primary duty of every citizen, to strive for restoration of peace and normalcy and make united efforts at the national level." (6)

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है और इतनी डिस्कशन के बाद सिवाय इस प्रस्ताव के और। कोई चीज नहीं निकल रही है । हमारे एक साथी जब अभी बोल रहे थे तो प्रधान मंत्री जी भी बोलीं, उन के बोलने से ऐसा लगा कि वह कुछ बिगड़ गईं थीं । मैंने अपने भाषण में उन को कोट किया था और मैं अभी भी इस राय का हूं--प्रधान मंत्री जी भी उन तमाम पेपर्स से वाकिफ होंगी, उन के नजदीक भी पेपर्ज की कटिंग्ज जाती होंगी---उन का भाषण राज्य सभा और लायर्स कान्फ्रैन्स में हुआ था, वह जिस ढंग से पेपर्स में आया मैंने एक पेपर का उदाहरण भी दिया है--स्टेट्समैन का---उस में निकला था कि प्राइम मिनिस्टर और कांग्रेस पार्टी जो पुराना स्टैण्ड रिजर्वेशन का है उस से पीछे हट रही हैं । उस के सामने कोई प्रश्न-वाचक चिह्न है..... (व्यवधान)..... मैंने वह

पेपर से पढ़ा था, वह उस पेपर में लिखा हुआ था. . . (व्यवधान)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर): पी. एम. ने क्लारिफाई कर दिया है--हमारी पोजीशन वही है ।

श्री राम विलास पासवान: प्रधान मंत्री जी यहां बैठी हुई है। जो आप की भावना है और जो हमारी भावना है--दोनों में कहीं कोई अन्तर नहीं है, लेकिन जिस ढंग से पहल हुई है, जिस ढंग से सारी समस्या बढ़ती जा रही है और अभी आप के पक्ष के लोगों ने भी फिगर्स दी है और हम ने भी भी फिगर्स दी है--30 सालों के रिजर्वेशन में अभी तक 4-5 परसेन्ट है--इस का मतलब है कि कहीं-न-कहीं इम्प्लीमेन्टेशन में खराबी है, इम्प्लीमेन्टेशन ठीक से नहीं हो रहा है. . . .

श्री जैल सिंह स्पीकर साहब, मैं पासवान जी से खुद ही इजाजत ले लेता हूं । उन्होंने जब रेजोल्यूशन मूव किया तो उन के पहले अलफाज ये थे--कि इस को बहुत गंभीरता से हमको सोचना है और उस गंभीरता को यहां के बहुत से मैम्बरों ने कायम रखा है । अब जो रेजोल्यूशन उन्होंने मूव किया है और उस में जो एमेंडमेंट है, वह भी उन को मंजूर है, तो मैं पासवान जी से कहता हूं कि अब क्या तकलीफ की जरूरत है ।

श्री राम विलास पासवान : कोई तकलीफ की जरूरत नहीं है ।

श्री जैल सिंह : अब आप शान्त रहिये और अपनी खूबसूरती को क्यों खराब करते हो ।

श्री राम विलास पासवान : कोई तकलीफ की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे रेप्लाई का अधिकार है और उस हैसियत से आप की नालिज में इस बात को लाना चाहता हूं । मैं ने उस दिन भी कहा था, गृह मंत्री जी आप को याद होगा मैं ने बोलते समय कहा था कि ज्ञानी जी बात को गोलमोल ढंग से कह रहे हैं और खुब वजन के साथ नहीं कह रहे हैं, तो मामला और बिगड़ेगा । इस लिए मैं आप के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आप साफ तौरपर कहिये कि मेरिट-फैरिट कुछ नहीं चलेगा, रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन रहेगा और प्रोमोशन में भी रिजर्वेशन रहेगा और कड़ाई से उस का पालन होगा । साफ तौर पर आप को इस बात को कहना चाहिए । हम ने आप से मांग की थी कि न सिर्फ सर्विसेज में रिजर्वेशन दीजिए बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह कोटा हो, लाइसेंस हो, परमिट हो, जीवन के प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र में आप रिजर्वेशन की व्यवस्था कीजिए । हम लोगों ने यह भी मांग की थी कि आप एक व्हाइट पेपर निकालिये और सरकार की तरफ से व्हाइट पेपर आना चाहिए कि केन्द्र ने कब से, राज्यों ने कब से, किस किस इयर में और कौन कौन से विभागों में रिजर्वेशन लागू किया गया और कितनी दूर तक इस का इम्पलीमेंटेशन हुआ है ।

हम लोगों की कार्य दक्षता के सम्बन्ध में कहा जाता है । 30 साल से ऊपर हो गये हैं और अभी भी हम लोगों की इनटेगरिटी के ऊपर किसी को डाउट है, हम लोगों की कार्य क्षमता पर किसी को डाउट है । तो हम लोग कब तक सर्टीफिकेट देते रहेंगे कि हम देश के लायल हैं, कब तक हम सर्टीफिकेट देते रहेंगे कि हम भी इस देश के नागरिक हैं । एक बार आप एक कमीशन नियुक्त कर के जांच करवा लीजिए कि किस के पास कार्य क्षमता कितनी है, किस के पास कार्य दक्षता कितनी है। हमारे साथियों ने कहा कि रेलवे में एक्सीडेंट्स हुए और अस्पतालों में इंसीडेंट्स हो रहे हैं, तो उन में किस का कितना हाथ है, इस का भी एक और फैसला हो जाए कि ये हरिजन और आदिवासी लोग हैं या और कौन लोग हैं, जिन की कार्य दक्षता कम है, जिस के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं ।

एक बात और कहना चाहूंगा । मेडीकल पास्ट ग्रेजुएट्स का मामला चल रहा है । हमारे जैसा आदमी अभी भी इस बात को मान कर चलता है कि वहां की सरकार जो दो प्वाइन्ट्स पर, कैरी फारवर्ड और प्रोमोशन के मामले में, उन लोगों के सामने झुक गई, वह गलत बात है और उस को फिर से आप लागू नहीं करवायेंगे, तो दूसरी

गहो पर भी यह मामला बढ़ेगा, दिल्ली भी बढ़ेगा और यहा के एम्पलाइज चुप हो रहेंगे और वे उसी का अनुसरण करेंगे। इसलिए इस मामले में सरकार का साफ दृष्टिकोण होना चाहिए और सरकार को काठोक कहना चाहिए कि हम इस मामले में कहीं समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं।

लास्ट में मैं यह कहूंगा कि यह जो पोस्ट-ग्रेजुएट वाला जो मेडीकल का मामला है, इस में यदि बहुत वितगावाड चलता है, तो छोड दीजिए सब के लिए और सब को एडमीशन का अधिकार दीजिए। सरकार का पैसा उस में लगेगा। जो पास करेगा, वह एम डी होगा, जो पास करेगा वह एम. एस. होगा। जो पढेगा, वही पास होगा। इस तरह से इस सारी चीज को चलने दीजिए।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हम को मालूम हुआ है कि वहा के मुख्य मंत्री ने कोई कमेटी बनाई है, सर्वदलीय कमेटी बनाई है। अब वह जो सर्वदलीय कमेटी है, जो उस के टर्म्स आफ रेफ्रेन्स हैं, उन में यह भी जोड़ा जाए कि वह यह भी देखे कि हरिजनो की कितनी क्षति हुई है, किन लोगों के द्वारा क्षति हुई है और कितने पुलिस के लोग थे, जिन के द्वारा क्षति हुई है। ये सारी चीजे हैं, जिन के ऊपर आप को साफ तौर पर बताना चाहिए इस सदन के माध्यम से, गुजरात को ही नहीं बल्कि देश की सारी जनता को कि वह इस मामले में साफ है और कहीं इस मामले में समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। अखबारों और दूसरे माध्यमों में जो इस मामले में कन्फ्यूजन हुआ है, उस का स्पष्टीकरण होना चाहिए, उस के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : कर तो दिया है, इस हाउस ने।

श्री राम विलास पासवान : कहा हुआ है?

अध्यक्ष महोदय : कर दिया है।

श्री राम विलास पासवान : प्रधान मंत्री जी ने कहां कहा है।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : प्रधान मंत्री जी ने कह तो दिया है।... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : इतना बड़ा डिस्कशन हुआ और उस में इतने सारे प्वाइन्ट्स उठाए गये, क्या निकला उस में?

अध्यक्ष महोदय : एक रेजोलूशन आया है।

श्री राम विलास पासवान : आप ही बतला दीजिए कि उन्होंने क्या क्लेरिफाई किया है? क्या रिजर्वेशन भी रहेगा, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन रहेगा? अगर आप समझते हैं तो आप ही बतला दीजिए?

MR SPEAKER: It is quite clear The Resolution is quite clear

श्री राम विलास पासवान : अगर आप कहते हैं तो आप बतला दीजिए कि रिजर्वेशन और प्रमोशन दोनों रहेंगे? **(व्यवधान)** आपका चिता है लेकिन क्या आप हमें स्पेसिफिक तरीके से नहीं बतलाइयेगा? अगर यह नहीं बतलाइयेगा तो यह दूसरे तरीके से आपका बढेगा।

MR SPEAKER: It is with the consent of all the parties it has come out.

श्री राम विलास पासवान : हम तो यह चाहते हैं कि आपकी रिजर्वेशन की पालिसी तो है लेकिन प्रमोशन की पालिसी आपकी क्या है? **(व्यवधान)** अगर शकरानन्दजी इस से आप संटिस्फाई हैं तो हमको कुछ नहीं कहना है।

MR SPEAKER: Do those hon Members, who have moved their amendments, want to withdraw them?

SHRI BHERAVADAN K GADHAVI: Sir, I do not want to press my amendment No 1

SHRI NAVIN RAVANI: Sir, I do not want to press my amendment No. 2

SHRI SURAJ BHAN: Sir, I do not want to press my amendment No 4.

MR. SPEAKER: Have the hon

[Mr. Speaker]

Members the leave of the House to withdraw their amendments?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. SPEAKER: All right.

Amendments Nos. 1, 2 and 4 were, by leave, withdrawn.

MR. SPEAKER: I shall now put the Government amendment moved by Shri Zail Singh, to the vote of the House, the question is:

"That in the Motion,—

after "expresses its concern"

for "at the situation arising out of the agitation and violent demonstrations against reservation of jobs for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Gujarat, Rajasthan and other parts of the country"

Substitute:—

"and anguish over the situation prevailing in Gujarat over the reservation issue. It reiterates its firm commitment to the national policy on reservations as enshrined in the Constitution. The reported incidents of violence destructions of property and atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes are against our very culture and go contrary to the principle of non-violence which the Father of the Nation preached and for which he has sacrificed his life. To uphold our tradition, it is the primary duty of every citizen to strive for restoration of peace and normalcy and make united efforts a the national level."

SHRI INDRAJIT GUPTA: Let us stand up and adopt it.

MR. SPEAKER: It is unanimously passed, by standing up.

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: I will now put the main motion, as amended, to the vote of the House. The question is:

"That this House expresses its concern and anguish over the situation prevailing in Gujarat over the reservation issue. It reiterates its firm commitment to the national policy on reservations as enshrined in the Constitution. The reported incidents of violence, destruction of property and atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes are against our very culture and go contrary to the principle of non-violence which the Father of the Nation preached and for which he has sacrificed his life. To uphold our tradition, it is the primary duty of every citizen to strive for restoration of peace and normalcy and make united effors at the national level."

The motion was adopted

21.27 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 19, 1981/Phalguna 28, 1092 (Saka).

©MGIPMRND—L—71LS—27-6-81— 890